

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

IN

ORIGINAL APPLICATION NO.539/2022

IN THE MATTER OF:

OMARAM BANJARA

...Applicant

Versus

STATE OF RAJASTHAN & OTHERS

...Respondents

**REPLY ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 5, M/S**

**NAYARA ENERGY LIMITED**

**ADVOCATE FOR RESPONDENT NO. 5 :: SANCHIT GARGA**

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

**IN**

**ORIGINAL APPLICATION NO.539/2022**

**IN THE MATTER OF:**

OMARAM BANJARA

...Applicant

Versus

STATE OF RAJASTHAN & OTHERS

...Respondents

**INDEX**

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Reply on behalf of Respondent No. 5 M/s Nayara Energy Limited <i>Along with Affidavit</i>	1-20
2.	<b>ANNEXURE R/1.</b>  True copy of Photographs of the demised premises before developing	21-27
3.	<b>ANNEXURE R/2.</b>  True copy of complaint filed by the complainant and circulated on twitter dated 18.01.2022	28
4.	<b>ANNEXURE R/3.</b>	

	True copy of complaint filed by the complainant and circulated on twitter dated 15.05.2022	29
5.	<b>ANNEXURE R/4.</b> True Copy of the FIR	30-34
6.	<b>ANNEXURE R/5.</b> True copy of order dated 23.09.2022 passed by Hon'ble High Court of Judicature for Rajasthan at Jodhpur bearing S.B. Criminal Misc. (Pet) No. 1582 of 2022 titled Mangilal & others versus State & Another	35-36
7.	<b>ANNEXURE R/6.</b> True copy Land Conversion order dated 19.08.2016 passed by Office of Sub-divisional Magistrate, District Pali, Rajasthan bearing Serial No. SERIAL/REVENUE/SANP./16/2582	37-30
8.	<b>ANNEXURE R/7.</b> True copy Land Conversion order dated 19.08.2016 passed by Office of Sub-divisional Magistrate, District Pali,	39-40

	Rajasthan bearing Serial No. SERIAL/REVENUE/SANP./16/2590	
9.	<b>ANNEXURE R/8.</b> True copy Land Conversion order dated 19.08.2016 passed by Office of Sub-divisional Magistrate, District Pali, Rajasthan bearing Serial No. SERIAL/REVENUE/SANP./16/2598	41-42
10.	<b>ANNEXURE R/9.</b> True copy Land Conversion order dated 19.08.2016 passed by Office of Sub-divisional Magistrate, District Pali, Rajasthan bearing Serial No. SERIAL/REVENUE/SANP./16/2606	43-44
11.	<b>ANNEXURE R/10.</b> True copy Land Conversion order dated 19.08.2016 passed by Office of Sub-divisional Magistrate, District Pali, Rajasthan bearing Serial No. SERIAL/REVENUE/SANP./16/2614	45-46
12.	<b>ANNEXURE R/11.</b>	

	True copy Land Conversion order dated 19.08.2016 passed by Office of Sub-divisional Magistrate, District Pali, Rajasthan bearing Serial No. SERIAL/REVENUE/SANP./16/2622	47-48
13.	<b>ANNEXURE R/12.</b> True copy Land Conversion order dated 19.08.2016 passed by Office of Sub-divisional Magistrate, District Pali, Rajasthan bearing Serial No. SERIAL/REVENUE/SANP./16/2630	49-50
14.	<b>ANNEXURE R/13.</b> True copy Land Conversion order dated 19.08.2016 passed by Office of Sub-divisional Magistrate, District Pali, Rajasthan bearing Serial No. SERIAL/REVENUE/SANP./16/2638	51-52
15.	<b>ANNEXURE R/14.</b> True copy Land Conversion order dated 19.08.2016 passed by Office of Sub-divisional Magistrate, District Pali,	53-54

	Rajasthan bearing Serial No. SERIAL/REVENUE/SANP./16/2646	
16.	<b>ANNEXURE R/15.</b> True copy Land Conversion order dated 19.08.2016 passed by Office of Sub-divisional Magistrate, District Pali, Rajasthan bearing Serial No. SERIAL/REVENUE/SANP./16/2654	55-56
17.	<b>ANNEXURE R/16.</b> True copy Land Conversion order dated 19.08.2016 passed by Office of Sub-divisional Magistrate, District Pali, Rajasthan bearing Serial No. SERIAL/REVENUE/SANP./16/2662	57-58
18.	<b>ANNEXURE R/17.</b> True copy Land Conversion order dated 23.08.2016 passed by Office of Sub-divisional Magistrate, District Pali, Rajasthan bearing Serial No. SERIAL/REVENUE/SANP./16/2678	59-60
19.	<b>ANNEXURE R/18.</b>	

	True copy Land Conversion order dated 26.08.2016 passed by Office of Sub-divisional Magistrate, District Pali, Rajasthan bearing Serial No. SERIAL/REVENUE/SANP./16/2729	61-62
<b>20.</b>	<b>ANNEXURE R/19.</b> True copy of NOC issued by Gram Panchayat Chotila District Pali in favour of M/s Nayara Energy Limited dated 15.05.2017	63 -
<b>21.</b>	<b>ANNEXURE R/20.</b> True copy Land Conversion order dated 25.02.2020 passed by District Collector Pali, Rajasthan bearing Serial No. F12(3)(18)SANP./RAJ/20/906	64-65
<b>22.</b>	<b>ANNEXURE R/21.</b> True copy of Consent for storage of petroleum product plant from Rajasthan State Pollution Control Board bearing Order No. 2020-2021/HDF/3082 dated 10.06.2020 in favour of M/s Nayara Energy Limited	66-71

23.	<b>ANNEXURE R/22.</b>  True copy of NOC issued by Fire Department in favour of M/s Nayara Energy Limited dated 20.04.2020	72
24.	<b>ANNEXURE R/23.</b>  True copy of STP issued by Mining Engineer, Sojat City, Pali, Rajasthan to M/s SP Construction, Civil Package Vendor dated 28.04.2020 for 0.9316 Hectare bearing Khasra No. 273/21, Revenue Village Sawaipura, Tehsil Rohat, District Pali, Rajasthan	73-74
25.	<b>ANNEXURE R/24.</b>  True copy of STP issued by Mining Engineer, Sojat City, Pali, Rajasthan to M/s SP Construction, Civil Package Vendor dated 28.04.2020 for 0.9044 Hectare bearing Khasra No. 273/21, Revenue Village Sawaipura, Tehsil Rohat, District Pali, Rajasthan	75-76
26.	<b>ANNEXURE R/25.</b>	

	True copy of STP issued by Mining Engineer, Sojat City, Pali, Rajasthan to M/s SP Construction, Civil Package Vendor dated 28.04.2020 for 0.9293 Hectare bearing Khasra No. 273/21, Revenue Village Sawaipura, Tehsil Rohat, District Pali, Rajasthan	77-70
27.	<b>ANNEXURE R/26.</b> True copy of NOC issued by the NOC Through DSP Pali & SHO Rohat, Rajasthan favour of M/s Nayara Energy Limited dated 10.09.2020	79-00
28.	<b>ANNEXURE R/27.</b> True copy of NOC issued by the SDM & Tehsildar Rohat, District Pali, Rajasthan favour of M/s Nayara Energy Limited dated 08.10.2020	81-03
29.	<b>ANNEXURE R/28.</b> True copy of NOC issued by Forest Department in favour of M/s Nayara Energy Limited dated 16.10.2020	84-85

30.	<b>ANNEXURE R/29.</b> True copy of NOC issued by District Logistic Department in favour of M/s Nayara Energy Limited dated 22.10.2020	86
31.	<b>ANNEXURE R/30.</b> True copy of NOC issued by State Electricity Board in favour of M/s Nayara Energy Limited dated 29.10.2020	87-88
32.	<b>ANNEXURE R/31.</b> True copy of NOC along with Receipt of Inspection Fees issued by Office of Nagar Parishad, Pali, Rajasthan in favour of M/s Nayara Energy Limited dated 10.11.2020	89-91
33.	<b>ANNEXURE R/32.</b> True copy of STP issued by Mining Engineer, Sojat City, Pali, Rajasthan to M/s SP Construction, Civil Package Vendor dated 16.02.2021	92-93
34.	<b>ANNEXURE R/33.</b>	

	True copy of Provisional NOC issued by the PWD Pali, Rajasthan in favour of M/s Nayara Energy Limited dated 04.08.2021	94
<b>35.</b>	<b>ANNEXURE R/34.</b> True copy of interim NOC issued by the Office of District Magistrate Pali, Rajasthan in favour of M/s Nayara Energy Limited dated 09.09.2021	95
<b>36.</b>	<b>ANNEXURE R/35.</b> True copy of License issued by Ministry of Commerce & Industry in favour of the Respondent Company for Petroleum Class A,B Installation dated 07.01.2022	96
<b>37.</b>	<b>ANNEXURE R/36.</b> True copy of License to Import and Store Petroleum in an Installation bearing License No. P/NC/RJ/15/2493(P473797) issued in favour of M/s Nayara Energy Limited	97
<b>38.</b>	<b>ANNEXURE R/37.</b> True copy of Registration & License to work a Factory dated 03.02.2022 issued by Chief	98

	Inspector of Factories & Boilers Jaipur, Rajasthan	
39.	<b>ANNEXURE R/38.</b>  True copy of Registration Certificate issued by Ministry of Labour in favour of M/s Nayara Energy Limited dated 28.06.2022	99-102
40.	<b>ANNEXURE R/39.</b>  True copy of Authorization letter issued by Rajasthan State Pollution Control Board dated 29.06.2022 in favour of M/s Nayara Energy Limited for Collection, Generation, Reception, storage & Transport of Hazardous Waste	103-108
41.	<b>ANNEXURE R/40.</b>  True copy of Consent for storage of petroleum product plant from Rajasthan State Pollution Control Board bearing Order No. 2022-2023/HDF/8989 dated 29.06.2022 in favour of M/s Nayara Energy Limited	109-112
42.	<b>ANNEXURE R/41.</b>	

	True copy of Clearance Order from Mining Department for STP issued in favour of M/s NMC Industries, Railways Siding Package Vendor dated 01.12.2022	113
43.	<b>ANNEXURE R/42.</b> True copy of Clearance Order from Mining Department for STP issued in favour of M/s SP Construction, Civil Package Vendor dated 09.12.2022	114-115
44.	<b>ANNEXURE R/43.</b> True copy of Final NOC issued by the PWD Pali, Rajasthan in favour of M/s Nayara Energy Limited dated 30.12.2022	116
45.	<b>VAKALATNAMA</b>	117-118

46. AUTHORITY LETTER

119-120

**M/S NAYARA ENERGY LIMITED**

Through

*Sanchit Garga*  
**SANCHIT GARGA**  
**ADVOCATE**

Date - 22/03/23  
Place - New Delhi

**SANCHIT GARGA**  
Advocate-on-Record  
Supreme Court of India  
Off: E-6, First Floor, Jangpura Extn.  
New Delhi-110014, Mob.: 8506812710  
E-mail: sanchitgarg99@gmail.com  
Code No. 2748

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI  
IN  
ORIGINAL APPLICATION NO.539/2022

IN THE MATTER OF:

OMARAM BANJARA

...Applicant

Versus

STATE OF RAJASTHAN & OTHERS

...Respondents

**REPLY ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 5, M/S**

**NAYARA ENERGY LIMITED**

I, Pankaj Tripathi, aged about 45 years working as DGM Legal, Nayara Energy Ltd, Mumbai, Maharashtra, presently posted at Noida, UP, the deponent do hereby solemnly state and affirm as under:

1. That I am the abovementioned authorized officer of the answering respondent and has been duly authorized to file the present affidavit on behalf of the respondent. That the Deponent is well conversant with the facts and circumstances of the instant case and are competent to swear this affidavit.
2. That I have gone through the Original Application filed on behalf of Application and have understood the same fully.



3. That at the outset of this reply I deny each and every averment of facts save and except those which are admitted by me specifically hereinafter.
4. That before giving parawise reply, the deponent craves of this Hon'ble Tribunal to place the Preliminary submission in brief for the sake of Convenience.

**5. PRELIMINARY SUBMISSIONS:**

- I. That it is respectfully submitted that the Respondent No. 5 i.e. M/s Nayara Energy Limited herein after referred as 'Respondent Company' is not doing any illegal mining on the demised premises. The Respondent Company is developing the said land into Depot for Collection, Generation, Reception, storage & Transport/dispatch of Petroleum and Bi-products of Petroleum.
- II. That it is respectfully submitted that the respondent Company is Constructing a Depot on a land admeasuring about 2,34,797.35 sq. mtrs. at Sawaipura /Chotila Village, Tehsil Rohat, District Pali (Rajasthan) Village: Sawaipura, Gram Panchayat: Chotila, Tehsil: Rohat, District: Pali, Rajasthan - 306421 with all the due permissions from respective departments required for development of the said land.



- III. That the entire land was purchased by the answering respondent from the land-owners after paying the relevant Sale consideration at Market value.
- IV. That it is respectfully submitted that before construction there were shrubs and herbs on the acquired pieces of land, there were no trees on the said pieces of land. Furthermore, the Respondent Company is developing a green belt area by planting approximately 1500 Nos. of trees and developing lawns, area etc.

True copy of Photographs of the demised premises before developing is annexed as **ANNEXURE R/1**.

- V. That it is respectfully submitted that the Complainant is a habitual offender, the Complainant has a habit of filing fake and vague complaints against different people, organization, companies, etc. The complainant is adopting these tactics in order to extort more monies in the form of illegal compensation from the Respondent Company.

True copy of complaint filed by the complainant and circulated on twitter dated 18.01.2022 is annexed as **ANNEXURE R/2**.

True copy of complaint filed by the complainant and circulated on twitter dated 15.05.2022 is annexed as **ANNEXURE R/3**.



VI. That it is respectfully submitted that the Complainant was arrayed as an accused in a F.I.R before the Police station Rohat District Pali against the Original applicant & few others for commission of offences under section 147, 148, 149, 323, 447, 427, 392 I. P. C. stating therein that Shri Avnish Chaudhary was the site in-charge of the Depot. At site of the respondent company, construction work of Boundary wall and J.C.B work running. At about 9:00 AM all the petitioner came and started abusing and broke the glass of J.C.B, the driver got injuries and took 4,800/- rupees etc. That the S. H. O. police station Rohat District Pali on receipt of said complaint, registered a case bearing F. I. R. no. 164/2020 against the present petitioners for the aforesaid offences and started investigation.

True Copy of the FIR is annexed as **ANNEXURE R/4**.

VII. Thus, being aggrieved and dissatisfied with impugned F I R. no. 165/2020 registered at police station Rohat District Pali before Hon'ble High Court of Judicature for Rajasthan at Jodhpur bearing S.B. Criminal Misc. (Pet) No. 1582 of 2022 against the Respondent Company, which was later compromised between the parties and became infructuous as the compromise was arrived in between the parties.

True copy of order dated 23.09.2022 passed by Hon'ble High Court of Judicature for Rajasthan at Jodhpur bearing S.B. Criminal Misc. (Pet) No. 1582 of 2022 titled Mangilal & others versus State & Another is annexed as **ANNEXURE R/5**.

- VIII. That it is respectfully submitted that the Respondent Company had received all the required permissions from the respective concerned departments required for development of the demised premises.

True copy Land Conversion order dated 19.08.2016 passed by Office of Sub-divisional Magistrate, District Pali, Rajasthan bearing Serial No. SERIAL/REVENUE/SANP./16/2582 is annexed as **ANNEXURE R/6**.

True copy Land Conversion order dated 19.08.2016 passed by Office of Sub-divisional Magistrate, District Pali, Rajasthan bearing Serial No. SERIAL/REVENUE/SANP./16/2590 is annexed as **ANNEXURE R/7**.

True copy Land Conversion order dated 19.08.2016 passed by Office of Sub-divisional Magistrate, District Pali, Rajasthan bearing Serial No. SERIAL/REVENUE/SANP./16/2598 is annexed as **ANNEXURE R/8**.

True copy Land Conversion order dated 19.08.2016 passed by Office of Sub-divisional Magistrate, District Pali, Rajasthan



bearing Serial No. SERIAL/REVENUE/SANP./16/2606 is annexed as **ANNEXURE R/9**.

True copy Land Conversion order dated 19.08.2016 passed by Office of Sub-divisional Magistrate, District Pali, Rajasthan bearing Serial No. SERIAL/REVENUE/SANP./16/2614 is annexed as **ANNEXURE R/10**.

True copy Land Conversion order dated 19.08.2016 passed by Office of Sub-divisional Magistrate, District Pali, Rajasthan bearing Serial No. SERIAL/REVENUE/SANP./16/2622 is annexed as **ANNEXURE R/11**.

True copy Land Conversion order dated 19.08.2016 passed by Office of Sub-divisional Magistrate, District Pali, Rajasthan bearing Serial No. SERIAL/REVENUE/SANP./16/2630 is annexed as **ANNEXURE R/12**.

True copy Land Conversion order dated 19.08.2016 passed by Office of Sub-divisional Magistrate, District Pali, Rajasthan bearing Serial No. SERIAL/REVENUE/SANP./16/2638 is annexed as **ANNEXURE R/13**.

True copy Land Conversion order dated 19.08.2016 passed by Office of Sub-divisional Magistrate, District Pali, Rajasthan bearing Serial No. SERIAL/REVENUE/SANP./16/2646 is annexed as **ANNEXURE R/14**.



True copy Land Conversion order dated 19.08.2016 passed by Office of Sub-divisional Magistrate, District Pali, Rajasthan bearing Serial No. SERIAL/REVENUE/SANP./16/2654 is annexed as **ANNEXURE R/15**.

True copy Land Conversion order dated 19.08.2016 passed by Office of Sub-divisional Magistrate, District Pali, Rajasthan bearing Serial No. SERIAL/REVENUE/SANP./16/2662 is annexed as **ANNEXURE R/16**.

True copy Land Conversion order dated 23.08.2016 passed by Office of Sub-divisional Magistrate, District Pali, Rajasthan bearing Serial No. SERIAL/REVENUE/SANP./16/2678 is annexed as **ANNEXURE R/17**.

True copy Land Conversion order dated 26.08.2016 passed by Office of Sub-divisional Magistrate, District Pali, Rajasthan bearing Serial No. SERIAL/REVENUE/SANP./16/2729 is annexed as **ANNEXURE R/18**.

True copy of NOC issued by Gram Panchayat Chotila District Pali in favour of M/s Nayara Energy Limited dated 15.05.2017 is annexed as **ANNEXURE R/19**.

True copy Land Conversion order dated 25.02.2020 passed by District Collector Pali, Rajasthan bearing Serial No.



F12(3)(18)SANP./RAJ/20/906 is annexed as **ANNEXURE R/20.**

True copy of Consent for storage of petroleum product plant from Rajasthan State Pollution Control Board bearing Order No. 2020-2021/HDF/3082 dated 10.06.2020 in favour of M/s Nayara Energy Limited is annexed as **ANNEXURE R/21.**

True copy of NOC issued by Fire Department in favour of M/s Nayara Energy Limited dated 20.04.2020 is annexed as **ANNEXURE R/22.**

True copy of STP issued by Mining Engineer, Sojat City, Pali, Rajasthan to M/s SP Construction, Civil Package Vendor dated 28.04.2020 for 0.9316 Hectare bearing Khasra No. 273/21, Revenue Village Sawaipura, Tehsil Rohat, District Pali, Rajasthan is annexed as **ANNEXURE R/23.**

True copy of STP issued by Mining Engineer, Sojat City, Pali, Rajasthan to M/s SP Construction, Civil Package Vendor dated 28.04.2020 for 0.9044 Hectare bearing Khasra No. 273/21, Revenue Village Sawaipura, Tehsil Rohat, District Pali, Rajasthan is annexed as **ANNEXURE R/24.**

True copy of STP issued by Mining Engineer, Sojat City, Pali, Rajasthan to M/s SP Construction, Civil Package Vendor dated 28.04.2020 for 0.9293 Hectare bearing Khasra No.



273/21, Revenue Village Sawaipura, Tehsil Rohat, District Pali, Rajasthan is annexed as **ANNEXURE R/25**.

True copy of NOC issued by the NOC Through DSP Pali & SHO Rohat, Rajasthan favour of M/s Nayara Energy Limited dated 10.09.2020 is annexed as **ANNEXURE R/26**.


True copy of NOC issued by the SDM & Tehsildar Rohat, District Pali, Rajasthan favour of M/s Nayara Energy Limited dated 08.10.2020 is annexed as **ANNEXURE R/27**.

True copy of NOC issued by Forest Department in favour of M/s Nayara Energy Limited dated 16.10.2020 is annexed as **ANNEXURE R/28**.

True copy of NOC issued by District Logistic Department in favour of M/s Nayara Energy Limited dated 22.10.2020 is annexed as **ANNEXURE R/29**.

True copy of NOC issued by State Electricity Board in favour of M/s Nayara Energy Limited dated 29.10.2020 is annexed as **ANNEXURE R/30**.

True copy of NOC along with Receipt of Inspection Fees issued by Office of Nagar Parishad, Pali, Rajasthan in favour of M/s Nayara Energy Limited dated 10.11.2020 is annexed as **ANNEXURE R/31**.



True copy of STP issued by Mining Engineer, Sojat City, Pali, Rajasthan to M/s SP Construction, Civil Package Vendor dated 16.02.2021 is annexed as **ANNEXURE R/32**.

True copy of Provisional NOC issued by the PWD Pali, Rajasthan in favour of M/s Nayara Energy Limited dated 04.08.2021 is annexed as **ANNEXURE R/33**.

True copy of interim NOC issued by the Office of District Magistrate Pali, Rajasthan in favour of M/s Nayara Energy Limited dated 09.09.2021 is annexed as **ANNEXURE R/34**.

True copy of License issued by Ministry of Commerce & Industry in favour of the Respondent Company for Petroleum Class A,B Installation dated 07.01.2022 is annexed as **ANNEXURE R/35**.

True copy of License to Import and Store Petroleum in an Installation bearing License No. P/NC/RJ/15/2493(P473797) issued in favour of M/s Nayara Energy Limited is annexed as **ANNEXURE R/36**.

True copy of Registration & License to work a Factory dated 03.02.2022 issued by Chief Inspector of Factories & Boilers Jaipur, Rajasthan is annexed as **ANNEXURE R/37**.



True copy of Registration Certificate issued by Ministry of Labour in favour of M/s Nayara Energy Limited dated 28.06.2022 is annexed as **ANNEXURE R/38**.

True copy of Authorization letter issued by Rajasthan State Pollution Control Board dated 29.06.2022 in favour of M/s Nayara Energy Limited for Collection, Generation, Reception, storage & Transport of Hazardous Waste is annexed as **ANNEXURE R/39**.

True copy of Consent for storage of petroleum product plant from Rajasthan State Pollution Control Board bearing Order No. 2022-2023/HDF/8989 dated 29.06.2022 in favour of M/s Nayara Energy Limited is annexed as **ANNEXURE R/40**.

True copy of Clearance Order from Mining Department for STP issued in favour of M/s NMC Industries, Railways Siding Package Vendor dated 01.12.2022 is annexed as **ANNEXURE R/41**.

True copy of Clearance Order from Mining Department for STP issued in favour of M/s SP Construction, Civil Package Vendor dated 09.12.2022 is annexed as **ANNEXURE R/42**.

True copy of Final NOC issued by the PWD Pali, Rajasthan in favour of M/s Nayara Energy Limited dated 30.12.2022 is annexed as **ANNEXURE R/43**.



IX. That it is respectfully submitted that the joint committee was constituted comprising of:-

- a. District Collector, Pali, Rajasthan.
- b. Deputy Conservator of Forest, forest Department, Pali, Rajasthan.
- c. Sub-Divisional Officer, Pali, Rajasthan.
- d. Regional Officer RSPCB, Pali, Rajasthan.
- e. Mining Engineer, Mines Department, Soajt City, Pali, Rajasthan.
- f. Tehsildar, Rohat, Pali, Rajasthan

The joint committee had inspected the premises and had given its findings in the Inspection/Action taken report which states that:

*"a) The visit was fixed after having confirmation from the complainant Sh. Omaram Banjara who has ensured to be present with all relevant records/ evidences who had then not joined the visit despite number of calls made to him and has also failed to submit the evidences, as alleged in the complaint. The committee has also found that Sh. Banjara is a habitual complainant and has made several complaints at various Courts in several matters without any substantial evidences.*



*b) Record of Mining Department shows that the mining of soil has been carried out after obtaining valid Short-Term Permit from the Department. Also, unit has submitted royalty fee, penalty fee and other fee as applicable.*

*c) Photographs of the site, for which STPs were obtained from Mining Department, taken by the unit during year 2020 shows that only shrubs were present and no evidences of cutting of trees at the site were observed."*

- X. That it is respectfully submitted that the Respondent Company had already filed a reply before this Hon'ble Tribunal which may be read as part and parcel of this reply.
- XI. That it is respectfully submitted that the sole motive of the complainant behind filing the present complaint is to harass the Respondent Company and to grab illegal compensation against the present complaint. It is a practice of the Complainant which he has practiced earlier before Hon'ble High Court of Judicature for Rajasthan at Jodhpur by filing a false and vague case against the Respondent Company in order to extort the monies from the Respondent Company.
- XII. That the current status of the Depot is fully functional.
- XIII. That from the bare perusal of the Inspection/Action Taken Report submitted before this Hon'ble Tribunal, it is evident that



no violation or any activity against the environment has been undertaken by the Respondent Company and the Respondent Company has all the requisite permissions for the activities being carried out.

- XIV. That the Original Applicant has no credentials and the present Application should be dismissed at the threshold with exemplary costs.

**PARAWISE REPLY:**

1. That the contents of Paragraph No.1 of the original Application are not admitted and denied. In reply it is submitted that the application was filed by Mr. Omaram Banjara before the Hon'ble Tribunal on 12.05.2022 and prior to that the applicant had circulated the same complaint to the Chief Minister, Rajasthan dated 20.04.2022 and SDM, Rohat, Pali Rajasthan dated 23.02.2022, which were not entertained by the respective bodies as the complaint was based on false and frivolous grounds and the authorities did not even deem it appropriate to even issue notice on the said complaint to the Respondent Company.
2. That the contents of Paragraph No. 2 of the Original Application are not admitted and denied. In reply it is



submitted that the bhoomi poojan of the depot was held on 03.03.2020 and the mechanical completion/the major construction activities were completed on 03.02.2022. The complaint was placed much more later to create a barrier to operate the facility, to different govt. bodies and lastly to this Hon'ble Tribunal as mentioned in Paragraph No. 1 of the complaint.

3. That the contents of Paragraph No. 3 of the Original Application are not admitted and denied. In reply it is submitted that the application was put on 12.05.2022 before this Hon'ble Tribunal and the Respondent Company had received the DM/NOC for the establishment on 09.09.2021. The DM/NOC was granted after the receipt of the NOC's of various government bodies like Forest, Fire, PWD, Logistics, SDM & Tahsildar etc. Further the final FIRE department NOC to start the operation of the facility was granted on 20.04.2022 after being Inspection as per Rules of the facility by the respective members of the Inspection committee and it was duly approved.
4. That the contents of Paragraph No. 4 of the Original Application are not admitted and denied. In reply it is submitted that the work package vendors i.e. M/s SP



Construction for Civil Work Package & M/s NMC Industries for railway Siding work package had obtained the duly granted STPs for the earthwork by the mining Department which were taken place during the construction of the depot. Also after the completion of the work with proper inspection by the respective govt. Departments the clearance/NOCs against the granted STPs were received from the Mining Department. Hence, the allegation of illegal mining is not justified at all and the complaint was, also not supported with any proofs as the same is false.

5. That the contents of Paragraph No. 5 of the Original Application are not admitted and denied. In reply it is submitted that the Respondent Company had received the Consent to Establish and Consent to Operate from the Rajasthan State Pollution Control Board after duly complying with all the necessary terms & conditions or requirements.
6. That the contents of paragraph no. 6 of the original Application are not admitted and denied. In reply it is submitted that there were no trees inside the work premises during the starting phase of the construction activities. Only shrubs and herbs were there. Besides that, the Respondent Company is also developing a green belt area by planting approximately 1500



Nos. of trees and developing lawn area etc. the Respondent Company have also plan to develop and expand the same in near future.

7. That the contents of paragraph no. 7 of the original Application are not admitted and denied. In reply it is submitted that the respective land parcel for the establishment was obtained during 2016 & 2020 and was duly converted for the industrial use by SDM, Rohat & DM, Pali. If the land was covered with greenery then the same conversion might not be possible for the industrial use. Also the forest department had granted the NOC for the establishment of the facility after the inspection of the said area, which clearly specifies that there were no trees at all, leave alone the quantities as mentioned in the placed application before this Hon'ble Tribunal.
8. That the contents of Paragraph No. 8 of the Original Application are not admitted and denied. In reply it is submitted that the Complainant i.e. Mr. Omaram is creating problems from the starting of the depot construction to till date and if anyone enquire about the Complainant from the locals, then it will be clear that the Complainant is creating problems for each and every entity present in the locality. The Respondent Company have struggled a lot to mitigate and




giving proofs to the issues raised by the Complainant from time to time.

**Prayer:**

In view of the foregoing submission, it is most respectfully prayed that this Hon'ble tribunal may :-

- A. Dismiss the Original Application ;
- B. pass such or further orders as it may deem fit in the given circumstances of the case.



**SANCHIT GARGA**

ADVOCATE

OFF: E-6, FIRST FLOOR,

JANGPURA EXTENSION, DELHI-110014

MOB. NO.- 8506812719

EMAIL- sanchitgarg99@gmail.com

Date: 23/03/23

Place : **NEW DELHI**



BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI  
IN  
ORIGINAL APPLICATION NO.539/2022

IN THE MATTER OF:

OMARAM BANJARA

...Applicant

Versus


STATE OF RAJASTHAN & OTHERS

...Respondents

**AFFIDAVIT**

I, Pankaj Tripathi aged about 45 years S/o Mr G P Tripathi working as DGM Legal having office at Unit No 1105-1106, World Trade Tower, Sector 16, Noida, Uttar Pradesh do hereby solemnly affirm and state as under:- **PRESENTLY AT DELHI**

1. That I am the Authorized representative of respondent No. 5 in the present application as I am well conversant with the facts and circumstances of the case and competent to swear this affidavit.
2. That I have read the contents of the reply which is drafted by my counsel on my instruction and the same is true and correct to the best of my knowledge and belief.



  
DEPONENT

**VERIFICATION:**


I, above named deponent do hereby verify that above paras of this affidavit are true and correct to the best of my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.

Verified at **NEW DELHI** on 23<sup>rd</sup> March, 2023.

23 MAR 2023



  
**DEPONENT**

  
**IDENTIFIED**





**ATTESTED**  
23 MAR 2023  
  
**NOTARY PUBLIC, DELHI**  
**GOVT. OF INDIA**


Some of the Pre-Construction Pictures of acquired land are as below:



TRUE COPY



TRUE COPY




*R*




TRUE COPY

25



*[Handwritten mark]*

**Pictures of the area from where mining was done as per issued STP by the engaged contractors:**



*n*  
**TRUE COPY**




Photo K  
"← True Copy"

Annexure - R/2

20

X



Twitter

Page 1 of 3

एयर मेरी इकर बुने



**OMARAM BANJARA**

(INDEPENDENT BLOGGER & SOCIAL ACTIVIST)

Mob.No.-92697-96171,80056-29289

E-mail:- omarambanjara171@gmail.com

POSTAL-ADDRESS:-V/P.-EHOTRA,TEHSIL-RONAT,DIST.-PALLARAJIKIN-  
CODE-306421

(न्याय होना भी चाहिए और दिखना भी चाहिए, चाहे स्वर्ग ही क्यों)

न गिर जाए)

पत्र क्रमांक:- 205 दिनांक:- 17.01.2022

दिनांक:- 18.01.2022

अतिआवश्यक

जरिये e-mail व वाट्सप से

सेवा में,

श्रीमति मंगलेश बुध्दावत RPS,

उप अधीक्षक पुलिस

वृत्त पाली ग्रामीण।

विषय :- मेरे द्वारा पुलिस थाना रोहट में चार माह पूर्व संज्ञेय अपराध बाबत प्रस्तुत रिपोर्ट पर एफआईआर दर्ज करने बाबत।

संदर्भ:- महोदय आपके कार्यालय पत्र क्रमांक:- 205 दिनांक :- 17.01.2022 के क्रम में।

महोदया,

महोदया उक्त सन्दर्भ में निवेदन है कि जो परिवाद/रिपोर्ट मेने दिया है वो ही मेरे बयान समझ लिया जाए और प्रस्तुत रिपोर्ट में संज्ञेय अपराध बनता है आप मेरी रिपोर्ट पर एफआईआर दर्ज करने की कृपा करें इस तरह की कई एफआईआर पहले भी दर्ज हुई है। आप द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट की नजीर ललीता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार की भी आप द्वारा नजरअंदाज करते अवहेलना की गई है इस सम्बंध में आप पर भी मैं क्यो नही आपके खिलाफ भी कार्यवाही करू आप इसका मुझे स्पष्टीकरण देने की कृपा करें व आपका दायित्व है कि आप इस सम्बंध में मेरी तुरन्त एफआईआर दर्ज करे या मेरी रिपोर्ट में संज्ञेय अपराध नही मानते हो तो मुझे अवगत कराएं। कृपया मेरा समय नष्ट न करे और मेरी एफआईआर दर्ज करे।

माननीय सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय यह आदेखित करता है कि:-

Lalita Kumari Versus Govt. of U.P. & Ors. PETITION (CRIMINAL) NO. 68 OF 2008

निष्कर्ष / निर्देश:

*True Copy*





Twitter

Annexure - R/3

⋮

29

X

Page 1 of 2

इच्छुर मेरी पुकार सुनो



**OMARAM BANJARA**

(WHISTLEBLOWER & SOCIAL ACTIVIST)

Mob. No.-92697-96171, 80056-29269

E-mail:- omarambanjara171@gmail.com

POSTAL-ADDRESS:- V/P.-CROTILA, TEHSIL-ROHAT, DIST.-PALI, (RAJ.) PIN-CODE-306421

(न्याय होना भी चाहिए और दिखना भी चाहिए, चाहे स्वर्ग ही क्यों न गिर जाए)

**"JUSTICE DELAYED IS JUSTICE DENIED"** (देरी से न्याय मिलना, न्याय नहीं मिलना है)

पत्र क्रमांक:- बीजरा/विकास/32/2022

दिनांक: 15.05.2022

अतिआवश्यक

जरिये e-mail से

सेवा में,

श्रीमान विकास अधिकारी महोदय,

पंचायत समिति-रोहत, जिला-पाली(राज.)

विषय:- PMAY में अनियमितताओं की आवश्यक कानूनी कार्यवाही के सम्बंध में।

महोदय जी,

उपरोक्त विषय में श्रीमान जी से निवेदन है कि पंचायत समिति रोहत के ग्राम पंचायत-निम्बली उर्रा के ग्राम भाटी का ढाणा कागड़िया निवासी पारस राम पुत्र श्री हरजी राम जो कि एक विकलांग नागरिक है जिनके नाम से PMAY में मकान स्वीकृत हुआ था जिसकी मेम्बरशिप आईडी - 132906236-0 है और इनका नरेगा जॉब कार्ड नम्बर- RJ-272000412002429100/8207507 है और इनकी एडमिनिस्ट्रिटिव सेक्शन नम्बर- RJ 20004/2/1351 व एडमिनिस्ट्रिटिव सेक्शन तारीख:- 17.12.2021 (2021-2022) है जिसकी इस्पेक्ट तारीख:- 25.10.2018 है और बैंक विवरण RMGB खाखा खिताब है उपरोक्त सभी दस्तावेज इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न करके भेज रहा हूँ। अतः महोदय जी आपसे निवेदन है कि ग्राम पंचायत निम्बली उर्रा व पंचायत समिति रोहत के कर्मचारियों के द्वारा जानबूझकर व अपने पद का दुरुपयोग करते हुए विकलांग गरीब पारस राम पुत्र हरजी राम के PMAY के मकान की राशि को किसी अन्य को लाभ पहुँचाने की नीयत से मेम्बरशिप आईडी नंबर 133162222-0 दूसरे पारसराम के खाते में पैसे हस्तांतरण कर विकलांग पारस राम के साथ धोखाधड़ी कर अधिक नुकसान पहुँचाकर अपने पद का दुरुपयोग किया गया है। इसलिए श्रीमान से निवेदन है कि आप द्वारा इस प्रकार पर संज्ञान लेकर इसकी जांच करके इसमें प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से शामिल सभी के खिलाफ विभागीय, अनुशासनात्मक व दंडात्मक कार्यवाही करते हुए अतिसख्ती से कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें ताकि भविष्य में इस तरह की धोखाधड़ी किसी और गरीब के साथ न हो सके। मुझे उम्मीद है कि आप इस पर सख्ती से कार्यवाही करेंगे और गरीब विकलांग पारस राम को उसके PMAY की राशि जल्द से जल्द उसके खाते में हस्तांतरण करने की भी कार्यवाही करेंगे। श्रीमान जी आप द्वारा की गई कार्यवाही से मुझे प्रार्थी को भी अग्रगत कराने की कृपा करें।

सादर।

प्रतिशिपी:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है-

1. माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान-सरकार जयपुर।
2. माननीय पंचायतीराज मंत्री महोदय, राजस्थान-सरकार जयपुर।
3. माननीय मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार जयपुर।
4. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, जिला-पाली।
5. श्री मान मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय, जिला-परिषद पाली।
6. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, उपखण्ड रोहत, पाली।

ओमराम

(ओमराम बंजारा)

"True Copy"

**FIRST INFORMATION REPORT**

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत )

1. District (ज़िला): पाली  
FIR.No(प्र.सू.रि.सं.): 0164

P.S.(थाना): रोहट

Year(वर्ष): 2020

Date &amp; Time of FIR (एफआईआर की तिथि / समय): 24/06/2020 15:28 बजे

S.No.(क्र.सं.)	Acts(प्रतिबन्धन)	Sections(धारा(एँ))
1	भा द सं 1860	147
2	भा द सं 1860	148
3	भा द सं 1860	149
4	भा द सं 1860	323
5	भा द सं 1860	447
6	भा द सं 1860	427
7	भा द सं 1860	392

## 3. (a) Occurrence of offence (घपराव की

1. Day(दिन): बुधवार

Date From(दिनांक से): 24/06/2020

Date To(दिनांक तक): 24/06/2020

Time Period (समय अवधि): 3

Time From (समय से): 09:00 बजे

Time To (समय तक): 09:00 बजे

(b) Information received at P.S.(थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई )Date(दिनांक): 24/06/2020

Time (समय): 15:28 बजे

(c) General Diary Reference (रोजानामा संदर्भ):

Entry No.(प्रविष्टि सं.): 042

Time (समय): 24/06/2020 15:28:00 बजे

## 4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

## 5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S (थाना से दूरी और दिशा)दि. 14.13 किमी

Beat No(बीट सं.)

(b) Address(पता): नयारा एनर्जि लिमिटेड, मवाईपुरा, रोहट

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो)

Name of P.S(थाना का नाम):

District(State)(ज़िला(राज्य)):

## 6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): नवनिश चौधरी

(b) Father's Name (पिता का नाम): मणिकान्त चौधरी

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि /वर्ष): 1984

(d) Nationality (राष्ट्रियता)भारत

(e) UID No (एआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN )

S.No.(क्र.)	Id Type(पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number(पहचान संख्या)
-------------	-------------------------------	-------------------------

TRUE COPY

N.C.R.B/एन.सी.आर.बी  
I.I.F.-1/एकीकृत जीव फार्म-1

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	नयारा एनर्जी लिमिटेड, सवाईपुरा, रोहट, रोहट, पाली, राजस्थान, भारत
2	स्थायी पता	59, चन्दीली, समस्तीपुर, समस्तीपुर, बिहार, भारत

(j) Phone number (दूरभाष न.):

Mobile (मोबाइल न.) 91-9534966745

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (आत/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No. (क्र.)	Name (नाम)	Alias (वपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का)	Address (पता)
1	मांगीलाल		पिता: किस्तुरजी	1. चोटिला रोहट, रोहट, पाली, राजस्थान, भारत
2	अभयाराम		पिता: मंगलाराम	
3	गिरधारी		पिता: धनाराम	
4	मंगलाराम		पिता: धनाराम	
5	मंवरलाल		पिता: मांगीलाल	
6	बेनाराम		पिता: नारायणलाल	
7	नारयणलाल		पिता: किस्तुरराम	
8	अनाराम		पिता: अराराम	
9	मदनलाल		पिता: मांगीलाल	
10	मानाराम		पिता: मुनाराम	
11	पारखराम		पिता: रूपाराम	
12	रखामलाल		पिता: रूपाराम	
13	केला देवी		पत्नी: मंवरलाल	
14	चीसी देवी		पत्नी: नारायणलाल	
15	इन्द्रा देवी		पत्नी: मदनलाल	
16	शांती देवी		पत्नी: मांगीलाल	
17	रज्जाक खा		पिता: अबाक खा	

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (मिळाने विलंब / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से वर्णन करने के)

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण (यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नक्की करें)):

S.No.	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Type of Property (सम्पत्ति के)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))
-------	------------------------------------	--------------------------------	---------------------	----------------------------------

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोरी हुई सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / सूची-प्रकरण नं., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)
-----------------	-----------------------------------

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना पत्र (यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नक्की करें)):

सेवा में,

श्रीमान धानेदार साहू

पुलिस थाना रोहट पाली

विशेष-रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई करने बाबत

महोदयजी, उपरोक्त विषय में अतिशय चौधरी पुत्र श्री मणिकान्त चौधरी जति चौधरी निवासी 59 चन्दीली जिला समस्तीपुर बिहार हाल निवासी नयारा एनर्जी लिमिटेड सवाईपुरा तहसील रोहट जिला पाली राज. निवेदन है कि मैं नयारा एनर्जी लिमिटेड सवाईपुरा में साईट इनचार्ज पद पर कार्यरत हु कम्पनी पर मौके पर चार दिवारी का कार्य चल रहा है मैं मौके पर कार्य की देखभाल करता हु। कम्पनी में करीब 150 बीघा पट्टाशुदा भूमिआधारिक हेतु कुम्बर्जन पट्टाशुदा जमीन खरीद की है। आज दिनांक को सुबह करीब 9 बजे मौके पर अमिक व जेसीबी से कार्य चल रहा था। इतने में वहाँ पर एक ट्रैक्टर में बैठकर मांगीलाल पुत्र किस्तुरजी, अभयाराम पुत्र मंगलाराम, गिरधारी

2  
TRUE COPY

N.C.R./एन.सी.आर.बी  
I.I.F.-I /एकीकृत जांच फार्म-I

पुत्र धनाराम, मंगलाराम पुत्र धनाराम, भवरलाल पुत्र मावीलाल, वैनाराम पुत्र आरायणलाल, नारायणलाल पुत्र किल्लुराम, छगनराम पुत्र रूपाराम, मदनलाल पुत्र मावीलाल, मानाराम पुत्र भुराराम, परसराम पुत्र रूपाराम, श्यामलाल पुत्र रूपाराम, कैलादेवी प्रत्नी भवरलाल, बीसीदेवी पत्नि नारायणलाल, इन्द्रादेवी पत्नि मदनलाल, सायरीदेवी पत्नि मावीलाल रजाक बाँ पुत्र जमाखर्चा, यह सभी एक राय होकर कम्पनी की कब्जासूदा, कन्वर्जनसूदा, पट्टासूदा प्रमीम पर अनाधिकृत प्रवेश किया तथा वहाँ पर कम्पनी की तरफ से काम कर रहे थेमीकी को भागी गतीब करने लगे तथा मीके पर काम रूकवा दिया तथा सभी ने एक राय होकर ओमाराम को कड़ा की इस जेसीबी वाले को जाम से मार दो ओमाराम के पास धारीया (मारदार हथियार) पहले ओमाराम ने जेसीबी का कॉपी तैयार तथा जेसीबी के ड्राईवर (अपरेटर) भुराराम पुत्र देवाराम जति भाट निवासी सिणकारी के सिर में जान से मारने की नियत में उल्टे धारिये से गम्भीर चोट पहुंचाई जिससे भुराराम निचे गिर गया तथा सभी ने कहाँ कि जेसीबी वाले को सूट जो वो मदनलाल पुत्र मावीलाल ने भुराराम के जेब में रके 4800/- रूपये लुट लिये यह घटना विजेन्द्रसिंह व शेरसिंह जो कम्पनी में कार्यरत है ने देखी थी। भुराराम को उठाकर एक तरफ लाये काम करने वाली सभी तेवर मीके से डर के मारे भाग गई, यह सभी लोग भी भुराराम को ज्यादा चोट लगने के कारण मीके में डर कर भाग गये। अंत- भीमान से निवेदन है कि हथारी पट्टासूदा प्लॉट में अनाधिकृत प्रवेश कर जेसीबी वाले के साथ जान से मारने की नियत से सिर में गम्भीर चोट पहुंचाई व जेसीबी वाले की जेब से से 4800/- रूपये लुटने व कार्य में बाधा पहुंचाने के कारण उपरोक्त लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करावे।

दिनांक - 24/06/2020 एसडी अवनिश मो 9534967454

पुलिस थाना रोहट दिनांक 24/06/2020 वचन 15.28

इस समय उक्त ड्राईवसूदा रिपोर्ट प्रार्थी भी अविनाश चौधरी पुत्र मणिकान्त चौधरी उम्र 38 वर्ष पेशा व्यापार नि 59, चंडौली जिला समस्तीपुर, बिहार हाँ निवासी नयारा एनर्जी लिमिटेड सवाईपुरा तहसील रोहट जिला पाली ने पेश की मधुपुन रिपोर्ट से मामला नुम धारा 147, 148, 149, 323, 447, 427, 392 आईपीसी का वक्तू मे जाना पाया जाने से मुकदमा आनलाईन सीसीडीपीएलएम पर दर्ज कर तपतीभ हवालेशे रघुबीरसिंह संडनि के की गई। एफआईआर प्रतिमा नियमातुसार जारी होगी। एसडी अवनिश एसडी शिवलाल सडनि कानाप्रभारी पीएस रोहट।

13. Action taken Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्रवाई): वृकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मंद सं.2 में उल्लेख द्वारा के तहत है।):

(1 Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):

or (या)

(2 Directed (Name of I.O.): (जांच अधिकारी का नाम) RAGUVEER Singh Rank (पद): महाधकउप - निरीक्षक

No(सं.): 116

to take up the investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or

(3 Refused investigation due to (जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया था)

(4 Transferred to P.S. (घांवा):

District(जिला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित)

F.I.R. read over to the complainant/informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station

(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

15. Date and time of dispatch to the court

(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): SHIV LAL

Rank (पद): Asst. SI (Assistant Sub-Inspector)

No(सं.):

TRUE COPY






**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT  
JODHPUR**

S.B. Criminal Misc(Pet.) No. 1582/2020

1. Mangilal S/o Kistur Ram, Aged About 70 Years, By Caste Jat, R/o Chotila, Tehsil Rohat, District Pali (Rajasthan).
2. Omaram S/o Manglaram, Aged About 26 Years, By Caste Jat, R/o Chotila, Tehsil Rohat, District Pali (Rajasthan).
3. Girdhari S/o Mangla Ram, Aged About 45 Years, By Caste Jat, R/o Chotila, Tehsil Rohat, District Pali (Rajasthan).
4. Mangla Ram S/o Dhanaram, Aged About 54 Years, By Caste Jat, R/o Chotila, Tehsil Rohat, District Pali (Rajasthan).
5. Bhanwarlal S/o Mangilal, Aged About 45 Years, By Caste Jat, R/o Chotila, Tehsil Rohat, District Pali (Rajasthan).
6. Chainaram S/o Narayanlal, Aged About 28 Years, By Caste Jat, R/o Chotila, Tehsil Rohat, District Pali (Rajasthan).
7. Narayan Lal S/o Kistur Ram, Aged About 62 Years, By Caste Jat, R/o Chotila, Tehsil Rohat, District Pali (Rajasthan).
8. Chaganlal S/o Rooparam, Aged About 32 Years, By Caste Jat, R/o Chotila, Tehsil Rohat, District Pali (Rajasthan).
9. Madanlal S/o Mangilal, Aged About 40 Years, By Caste Jat, R/o Chotila, Tehsil Rohat, District Pali (Rajasthan).
10. Manaram S/o Moolaram, Aged About 30 Years, By Caste Jat, R/o Chotila, Tehsil Rohat, District Pali (Rajasthan).
11. Parasram S/o Rooparam, Aged About 36 Years, By Caste Jat, R/o Chotila, Tehsil Rohat, District Pali (Rajasthan).
12. Shyamlal S/o Rooparam, Aged About 42 Years, By Caste Jat, R/o Chotila, Tehsil Rohat, District Pali (Rajasthan).
13. Keladevi W/o Bhanwarlal, Aged About 42 Years, By Caste Jat, R/o Chotila, Tehsil Rohat, District Pali (Rajasthan).
14. Ghisidevi W/o Narayanlal, Aged About 58 Years, By Caste Jat, R/o Chotila, Tehsil Rohat, District Pali (Rajasthan).
15. Indra Devi W/o Madanlal, Aged About 37 Years, By Caste Jat, R/o Chotila, Tehsil Rohat, District Pali (Rajasthan).
16. Sayaridevi W/o Mangilal, Aged About 65 Years, By Caste Jat, R/o Chotila, Tehsil Rohat, District Pali (Rajasthan).

  
**TRUE COPY**

17. Razak Kha S/o Jamal Kha, Aged About 35 Years, By Caste Muslim, R/o Chotila, Tehsil Rohat, District Pali (Rajasthan).

----Petitioners

Versus

1. State, Through P.p.  
2. Avnish Choudhary S/o Manikant Choudhary, By Caste Choudhary, R/o 59, Chandoli, District Samastipur, Bihar At Present R/o Nawara Energy Lmt. Sawaipur, Tehsil Rohat, District Pali (Rajasthan)

----Respondents

For Petitioner(s) : Mr. Prameshwar Pilania  
For Respondent(s) : Mr. Mahipal Bishnoi, PP  
Mr. Prem Dayal Bohra

**HON'BLE DR. JUSTICE PUSHPENDRA SINGH BHATI**

**Order**

**23/09/2022**

Learned counsel for the parties jointly submit that on account of compromise arrived at between the parties, the present petition has become infructuous.

On joint submission, the present petition is dismissed as having become infructuous. All pending applications stand disposed of.

**(DR.PUSHPENDRA SINGH BHATI), J.**

68-Zeeshan

*At*  
"True Copy"

कार्यालय विहित प्राधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, रोहट), जिला पाली, (राज0)

क्रमांक/राजस्व/संप/16/2582

दिनांक 17-8-16

**-: संपरिवर्तन आदेश :-**


श्री हितेश गाढीया पुत्र श्री घनश्याम गाढीया जाति पटेल निवासी 95 चित्रलेखा वस्त्राल, 10 वस्त्राल, अहमदाबाद (गुजरात) के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू राजस्व (ग्राभीण क्षेत्रों में कृषि भूमि को अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गयी है :-

1.	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम, पिता का नाम सहित पूरा पता	श्री हितेश गाढीया पुत्र श्री घनश्याम गाढीया जाति पटेल निवासी 95 चित्रलेखा वस्त्राल, 10 वस्त्राल, अहमदाबाद (गुजरात)
2.	संपरिवर्तित भूमि का ब्योरा	सवाईपुरा
	(क) ग्राम/ ग्राम पंचायत / तहसील का नाम	ग्राम सवाईपुरा ग्राम पंचायत चोटीला, तहसील रोहट
	(ख) भूमि के खसरा संख्या और क्षेत्रफल	खसरा नम्बर 278/1 रकबा 1.12 बीघा, खसरा नम्बर 279/16 रकबा 5.14 बीघा, खसरा नम्बर 279/4 रकबा 19.09 बीघा कुल 26.15 बीघा अर्थात् 43301.29 वर्गमीटर
	टिप्पणी - अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शों के सुसंगत भाग को सम्यक रूप से स्थापित प्रति है - राजस्व नक्शा मय योजना मानचित्र	संलग्न
3.	संपरिवर्तन का प्रयोजन	औद्योगिक प्रयोजनार्थ
4.	संदेय प्रिमियम की दर	रुपये 11.34 प्रति वर्गमीटर
5.	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित जमा कराई गई प्रिमियम की राशि	चालान नम्बर 0012035241 दिनांक 13-07-16 रूपये राशि 2,16,510/-, चालान नम्बर 0012600594 दिनांक 19.08.2016 रूपये 2,74,550/-, योग रू. 4,91,040/- कुल राशि Rs. 4,91,040/-
6.	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित जमा शास्ति यदि कोई हो कि जमा करायी गई राशि	शून्य
7.	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित ब्याज यदि कोई हो कि जमा करायी गई राशि	शून्य
8.	क्या आदेश नियमितिकरण के लिए नियम 12 के अधीन जारी किया गया हो	शून्य
9.	अन्य प्रविशिष्टियां यदि कोई हो	शून्य
10.	उपयुक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा	-

लगातार .....2

TRUE COPY

(1) उपयुक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
(2) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 05 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है, तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा करायी गयी प्रिमीयम धनराशि समग्रहृत हो जायेगी।
(3) नियम 4 में यथावर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
(4) इंडियन रोड काँग्रेस के प्रावधानों के स्टेट हाइवे के मध्य से निर्धारित दूरी को छोड़कर कार्य करें एवं सड़क के मध्य खातेदार द्वारा निशुल्क राज्यहित में भूमिधारी (तहसीलदार) के समक्ष भूमि समर्पण करने का आवेदन प्रस्तुत कर राजस्व रिकॉर्ड में तदनानुसार प्रविष्ट करवायेगा।
(5) संपरिवर्तन शुल्क यदि वसूलनीय पाया गया तो आवेदन शुल्क राज्यकोष में जमा करवाने हेतु बाध्य होगा अन्यथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूल की जायेगी।
(6) आवेदक संपरिवर्तन भूमि में प्रति बीघा 12 पेड़ की दर से पौधारोपण मय टी-गार्ड लगाना अनिवार्य करे। आवेदक इन लगाये पौधों के फोटोग्राफ तहसीलदार से प्रमाणित कर भिजवावे।
(7) आवेदक संपरिवर्तन की गई भूमि पर उद्योग स्थापित करने से पूर्व उद्योग विभाग एवं प्रदूषण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने पश्चात् बाद प्लान अनुमोदन के किसी प्रकार निर्माण/ उद्योग स्थापित करेगा।
(8) आवेदन द्वारा प्रस्तुत अंडरटेकिंग शपथ पत्र में वर्णित शर्तों की पालना करने हेतु पाबन्द रहेगा।
(9) आवेदक द्वारा संपरिवर्तित भूभाग का 40 प्रतिशत हिस्सा सुविधा क्षेत्र हेतु खुला रखा जायेगा।
(10) राष्ट्रीय उच्च मार्ग सड़क के मध्यबिन्दु से 45 मीटर दूरी तक क्षेत्र पर किसी प्रकार निर्माण अनुज्ञेय नहीं होगा।
(11) प्रस्तावित प्लान में आने हेतु रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रस्तावित भूमि सड़क मध्य बिन्दु से इण्डियन रोड काँग्रेस मापदण्ड अनुसार प्रार्थी का खातेदारी रकबा 89.50 वर्गमीटर राज्य हित में निशुल्क समर्पण योग्य है। जिसे प्रार्थी द्वारा समर्पण किया गया है।



(जबरसिंह)  
विहित प्राधिकारी  
(उपखण्ड अधिकारी रोहट)

क्रमांक/राज/संघ/16/2583-89

दिनांक 19-8-16

प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं पालनार्थ

1. श्रीमान प्रभारी अधिकारी राजस्व/ जिराले शाखा, कलेक्ट्रेट, पाली।
2. तहसीलदार/ तहसील राजस्व लेखाकार, रोहट
3. ग्राम पंचायत चोटिला पंचायत समिति रोहट
4. पटवारी हल्का चोटिला
5. श्री हितेश गाढीया पुत्र श्री घनश्याम गाढीया जाति पटेल निवासी 95 चित्रलेखा वस्त्राल, 10 वस्त्राल, अहमदाबाद (गुजरात)

(जबरसिंह)  
विहित प्राधिकारी  
(उपखण्ड अधिकारी रोहट)

True Copy

कार्यालय विहित प्राधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, रोहट), जिला पाली, (राज0)

क्रमांक/राजस्व/संप/16/1590

दिनांक 19-3-16

संपरिवर्तन आदेश :-

श्री अश्विन गाढीया पुत्र श्री घनश्याम गाढीया जाति पटेल निवासी 95 चित्रलेखा वस्त्राल, 10 वस्त्राल, अहमदाबाद (गुजरात) के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि को अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गयी है :-

1.	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम, पिता का नाम सहित पूरा पता	श्री अश्विन गाढीया पुत्र श्री घनश्याम गाढीया जाति पटेल निवासी 95 चित्रलेखा वस्त्राल, 10 वस्त्राल, अहमदाबाद (गुजरात)
2.	संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा	सवाईपुरा
	(क) ग्राम/ ग्राम पंचायत / तहसील का नाम	ग्राम सवाईपुरा ग्राम पंचायत चोटीला, तहसील रोहट
	(ख) भूमि के खसरा संख्या और क्षेत्रफल	खसरा नम्बर 273/17 रकबा 3.15 बीघा, अर्थात् 6070.27 वर्गमीटर
	टिप्पणी - अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग को सम्यक रूप से सत्यापित प्रति है - राजस्व नक्शा मय योजना मानचित्र	संलग्न
3.	संपरिवर्तन का प्रयोजन	औधोगिक प्रयोजनार्थ
4.	संदेय प्रिमियम की दर	रुपये 12.35 प्रति वर्गमीटर
5.	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित जमा कराई गई प्रिमियम की राशि	चालान नम्बर 0012035895 दिनांक 13-07-16 रुपये राशि 30,360/-, चालान नम्बर 00120600654 दिनांक 19.08.2016 रुपये 44,610/-, योग रु. 74,970/- कुल राशि Rs. 74,970/-
6.	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित जमा शास्ति यदि कोई हो कि जमा करायी गई राशि	शून्य
7.	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित ब्याज यदि कोई हो कि जमा करायी गई राशि	शून्य
8.	क्या आदेश नियमितिकरण के लिए नियम 12 के अधीन जारी किया गया हो	शून्य
9.	अन्य प्रविशिष्टियां यदि कोई हो	शून्य
10.	उपयुक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा	-

लगातार .....2

  
**TRUE COPY**


(1) उपयुक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
(2) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 05 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है, तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा करायी गयी प्रिमीयम धनराशि समपहत हो जायेगी।
(3) नियम 4 में यथावर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
(4) इंडियन रोड कॉर्पोरेशन के प्रावधानों के स्टेट हाइवे के मध्य से निर्धारित दूरी को छोड़कर कार्य करें एवं सड़क के मध्य खातेदार द्वारा निशुल्क राज्यहित में भूमिधारी (तहसीलदार) के समक्ष भूमि समर्पण करने का आवेदन प्रस्तुत कर राजस्व रेकॉर्ड में तदनानुसार प्रविष्ट करवायेगा।
(5) संपरिवर्तन शुल्क यदि वसूलनीय पाया गया तो आवेदन शुल्क राज्यकोष में जमा करवाने हेतु बाध्य होगा अन्यथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूल की जायेगी।
(6) आवेदक संपरिवर्तन भूमि में प्रति बीघा 12 पेड की दर से पौधारोपण मय टी-गाई लगाना सुनिश्चित करें। आवेदक इन लगाये पौधों के फोटोग्राफ तहसीलदार से प्रमाणित कर भिजवायें।
(7) आवेदक संपरिवर्तन की गई भूमि पर उद्योग स्थापित करने से पूर्व उद्योग विभाग एवं प्रदूषण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने पश्चात् बाद प्लान अनुमोदन के किसी प्रकार निर्माण / उद्योग स्थापित करेगा।
(8) आवेदन द्वारा प्रस्तुत अंडरटेकिंग शपथ पत्र में वर्णित शर्तों की पालना करने हेतु बाबन्द रहेगा।
(9) आवेदक द्वारा संपरिवर्तित भूभाग का 40 प्रतिशत हिस्सा सुविधा क्षेत्र हेतु खुला रखा जावेगा।
(10) राष्ट्रीय उच्च मार्ग सड़क के मध्यबिन्दु से 45 मीटर दूरी तक क्षेत्र पर किसी प्रकार निर्माण अनुज्ञेय नहीं होगा।
(11) प्रस्तावित प्लान में आने हेतु रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रस्तावित भूमि सड़क मध्य बिन्दु से 50 फुट दूरी पर स्थित है।

(जबबरसिंह)

विहित प्राधिकारी

(उपखण्ड अधिकारी रोहट)

क्रमांक/राज/संप/16/ 2591-97

दिनांक 19-8-16

प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं पालनार्थ

1. श्रीमान प्रभारी अधिकारी राजस्व/ जिराले शाखा, कलेक्ट्रेट, पाली।
2. तहसीलदार/ तहसील राजस्व लेखाकार, रोहट
3. ग्राम पंचायत चोटिला पंचायत समिति रोहट
4. पटवारी हल्का चोटिला
5. श्री अश्विन गाडीया पुत्र श्री घनश्याम गाडीया जाति पटेल निवासी 95 चित्रलेखा वस्त्राल, 10 वस्त्राल, अहमदाबाद (गुजरात)

(जबबरसिंह)  
विहित प्राधिकारी  
(उपखण्ड अधिकारी रोहट)

True Copy

कार्यालय विहित प्राधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, रोहट), जिला पाली, (राज0)

क्रमांक/राजस्व/संप/16/ 2598

दिनांक 19-8-16

-: संपरिवर्तन आदेश :-

श्री महेशकुमार पुत्र श्री हरीशचन्द्र जाति रेगर निवासी 85 महेश नगर बी, वार्ड नम्बर 15, जयपुर जिला जयपुर (राजस्थान) के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि को अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गयी है :-

1.	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम, पिता का नाम सहित पूरा पता	श्री महेशकुमार पुत्र श्री हरीशचन्द्र जाति रेगर निवासी 85 महेश नगर बी, वार्ड नम्बर 15, जयपुर जिला जयपुर (राजस्थान)
2.	संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा	सवाईपुरा
	(क) ग्राम/ ग्राम पंचायत / तहसील का नाम	ग्राम सवाईपुरा ग्राम पंचायत घोटीला, तहसील रोहट
	(ख) भूमि के खसरा संख्या और क्षेत्रफल	खसरा नम्बर 273/19 एकबा 15 बीघा अर्थात् 24281.01 वर्गमीटर
	टिप्पणी - अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग को सम्यक रूप से सत्यापित प्रति है - राजस्व नक्शा मय योजना मानचित्र	संलग्न
3.	संपरिवर्तन का प्रयोजन	औधोगिक प्रयोजनार्थ
4.	संदेय प्रिमियम की दर	रूपये 6.18 प्रति वर्गमीटर
5.	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित जमा कराई गई प्रिमियम की राशि	चालान नम्बर 12036208 दिनांक 13-07-16 रूपये राशि 1,24,410/-, चालान नम्बर 0012601006 दिनांक 19-08-16 रूपये राशि 25,850/-, -, कुल राशि Rs. 1,50,060/-
6.	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित जमा शास्ति यदि कोई हो कि जमा करायी गई राशि	शून्य
7.	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित ब्याज यदि कोई हो कि जमा करायी गई राशि	शून्य
8.	क्या आदेश नियमितकरण के लिए नियम 12 के अधीन जारी किया गया हो	शून्य
9.	अन्य प्रविशिष्टियां यदि कोई हो	शून्य
10.	उपयुक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा	-

(1) उपयुक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
(2) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 05 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है, तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा करायी गयी प्रिमीयम धनराशि समपहत हो जायेगी।
(3) नियम 4 में यथावर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
(4) इंडियन रोड कॉंग्रेस के प्रावधानों के स्टेट हाइवे के मध्य से निर्धारित दूरी को छोड़कर कार्य करे एवं सड़क के मध्य खातेदार द्वारा निशुल्क राज्यहित में भूमिधारी (तहसीलदार) के समक्ष भूमि समर्पण करने का आवेदन प्रस्तुत कर राजस्व रेकॉर्ड में तदनुसार प्रविष्ट करवायेगा।
(5) संपरिवर्तन शुल्क यदि वसूलनीय पाया गया तो आवेदन शुल्क राज्यकोष में जमा करवाने हेतु बाध्य होगा अन्यथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूल की जायेगी।
(6) आवेदक संपरिवर्तन भूमि में प्रति बीघा 12 पैड की दर से पौधारोपण मय टी-गाई लगाना सुनिश्चित करे। आवेदक इन लगाये पौधों के फोटोग्राफ तहसीलदार से प्रमाणित कर भिजवावे।
(7) आवेदक संपरिवर्तन की गई भूमि पर उद्योग स्थापित करने से पूर्व उद्योग विभाग एवं प्रदूषण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने पश्चात् बाद प्लान अनुमोदन के किसी प्रकार निर्माण/ उद्योग स्थापित करेगा।
(8) आवेदन द्वारा प्रस्तुत अंडरटेकिंग शपथ पत्र में वर्णित शर्तों की पालना करने हेतु पाबन्द रहेगा।
(9) आवेदक द्वारा संपरिवर्तित भूभाग का 40 प्रतिशत हिस्सा सुविधा क्षेत्र हेतु खुला रखा जावेगा।
(10) राष्ट्रीय/ उच्च मार्ग सड़क के मध्यबिन्दु से 45 मीटर दूरी तक क्षेत्र पर किसी प्रकार निर्माण अनुज्ञेय नहीं होगा।
(11) प्रस्तावित प्लान में आने हेतु रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रस्तावित भूमि सड़क मध्य बिन्दु से 50 फुट दूरी पर स्थित है।

(जबरसिंह)

विहित प्राधिकारी

(उपखण्ड अधिकारी रोहट)

क्रमांक/राज/संप/16/ 2599-605

दिनांक 19-8-16

प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं पालनार्थ

1. श्रीमान प्रभारी अधिकारी राजस्व/ जिराले शाखा, कलेक्ट्रेट, पाली।
2. तहसीलदार/ तहसील राजस्व लेखाकार, रोहट
3. ग्राम पंचायत चौटिला पंचायत समिति रोहट
4. पटवारी हल्का चौटिला
5. श्री महेशकुमार पुत्र श्री हरीशचन्द्र जाति रेगर निवासी 65 महेश नगर बी, वार्ड नम्बर 15, जयपुर जिला जयपुर (राजस्थान)

विहित प्राधिकारी

(उपखण्ड अधिकारी रोहट)

"True Copy"

कार्यालय विहित प्राधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, रोहट), जिला पाली, (राज0)

क्रमांक/राजस्व/संप/16/ 2606

दिनांक 19-8-16

**—: संपरिवर्तन आदेश :-**

श्री शशिपाल कुमावत पुत्र श्री कन्हैयालाल जाति कुमावत निवासी 89 चन्द्रनगर ब्यावर रोड अजमेर तहसील अजमेर जिला अजमेर (राजस्थान) के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि को अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गयी है :-

1.	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम, पिता का नाम सहित पूरा पता	श्री शशिपाल कुमावत पुत्र श्री कन्हैयालाल जाति कुमावत निवासी 89 चन्द्रनगर ब्यावर रोड अजमेर तहसील अजमेर जिला अजमेर (राजस्थान)
2.	संपरिवर्तित भूमि का ब्योरा	सवाईपुरा
	(क) ग्राम/ ग्राम पंचायत / तहसील का नाम	ग्राम सवाईपुरा ग्राम पंचायत घोटीला, तहसील रोहट
	(ख) भूमि के खसरा संख्या और क्षेत्रफल	खसरा नम्बर 279/23 रकबा 10 बीघा अर्थात् 16187.4 वर्गमीटर
	टिप्पणी - अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग को सम्यक रूप से सत्यापित प्रति है - राजस्व नक्शा मय योजना मानचित्र	संलग्न
3.	संपरिवर्तन का प्रयोजन	औधोगिक प्रयोजनार्थ
4.	संदेय प्रिमियम की दर	रुपये 5 प्रति वर्गमीटर
5.	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित जमा कराई गई प्रिमियम की राशि	चालान नम्बर 0012039113 दिनांक 13-07-2016 राशि 80,940/-, कुल राशि Rs. 80,940/-
6.	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित जमा शास्ति यदि कोई हो कि जमा करायी गई राशि	शून्य
7.	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित ब्याज यदि कोई हो कि जमा करायी गई राशि	शून्य
8.	क्या आदेश नियमितिकरण के लिए नियम 12 के अधीन जारी किया गया हो	शून्य
9.	अन्य प्रविशिष्टियां यदि कोई हो	शून्य
10.	उपयुक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा	-

लगातार .....2

TRUE COPY

(1) उपयुक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
(2) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 05 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है, तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा करायी गयी प्रिमीयम धनराशि समपहत हो जायेगी।
(3) नियम 4 में यथावर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
(4) इंडियन रोड कॉंग्रेस के प्रावधानों के स्टेट हाइवे के मध्य से निर्धारित दूरी को छोड़कर कार्य करे एवं सड़क के मध्य खातेदार द्वारा निशुल्क राज्यहित में भूमिधारी (तहसीलदार) के समक्ष भूमि समर्पण करने का आवेदन प्रस्तुत कर राजस्व रेकॉर्ड में तदनानुसार प्रविष्ट करवायेगा।
(5) संपरिवर्तन शुल्क यदि वसूलनीय पाया गया तो आवेदन शुल्क राज्यकोष में जमा करवाने हेतु बाध्य होगा अन्यथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूल की जायेगी।
(6) आवेदक संपरिवर्तन भूमि में प्रति बीघा 12 पेड की दर से पौधारोपण मय टी-गाई लगाना सुनिश्चित करे। आवेदक इन लगाये पौधों के फोटोग्राफ तहसीलदार से प्रमाणित कर भिजवावे।
(7) आवेदक संपरिवर्तन की गई भूमि पर उद्योग स्थापित करने से पूर्व उद्योग विभाग एवं प्रदूषण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने पश्चात् बाद प्लान अनुमोदन के किसी प्रकार निर्माण/ उद्योग स्थापित करेगा।
(8) आवेदन द्वारा प्रस्तुत अंडरटेकिंग शपथ पत्र में वर्णित शर्तों की पालना करने हेतु बाबन्द रहेगा।
(9) आवेदक द्वारा संपरिवर्तित भूभाग का 40 प्रतिशत हिस्सा सुविधा क्षेत्र हेतु खुला रखा जावेगा।
(10) राष्ट्रीय उच्च मार्ग सड़क के मध्यबिन्दु से 45 मीटर दूरी तक क्षेत्र पर किसी प्रकार निर्माण अनुज्ञेय नहीं होगा।
(11) प्रस्तावित प्लान में आने हेतु रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रस्तावित भूमि सड़क मध्य बिन्दु से 50 फुट दूरी पर स्थित है।

(जबरसिंह)

विहित प्राधिकारी

(उपखण्ड अधिकारी रोहट)

क्रमांक/राज/संप/16/ 2607-13

दिनांक 19-8-16

प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं पालनार्थ

1. श्रीमान प्रभारी अधिकारी राजस्व/ जिराले शाखा, कलेक्ट्रेट, पाली।
2. तहसीलदार/ तहसील राजस्व लेखाकार, रोहट
3. ग्राम पंचायत चौटिला पंचायत समिति रोहट
4. पटवारी हल्का चौटिला
5. श्री शशिपाल कुमावत पुत्र श्री कन्हैयालाल जाति कुमावत निवासी 89 चन्द्रनगर ब्यावर रोड अजमेर तहसील अजमेर जिला अजमेर (राजस्थान)

विहित प्राधिकारी

(उपखण्ड अधिकारी रोहट)

RUK

True Copy

कार्यालय विहित प्राधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, रोहट), जिला पाली, (राज0)

क्रमांक/राजस्व/संप/16/ 2614

दिनांक 19-8-16

—: संपरिवर्तन आदेश :-

श्री शशिपाल कुमावत पुत्र श्री कन्हैयालाल जाति कुमावत निवासी 89 चन्द्रनगर ब्यावर रोड अजमेर तहसील अजमेर जिला अजमेर (राजस्थान) के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि को अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गयी हैं :-

1.	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम, पिता का नाम सहित पूरा पता	श्री शशिपाल कुमावत पुत्र श्री कन्हैयालाल जाति कुमावत निवासी 89 चन्द्रनगर ब्यावर रोड, अजमेर तहसील अजमेर जिला अजमेर (राजस्थान)
2.	संपरिवर्तित भूमि का ब्योरा	सवाईपुरा
	(क) ग्राम/ ग्राम पंचायत / तहसील का नाम	ग्राम सवाईपुरा ग्राम पंचायत चोटीला, तहसील रोहट
	(ख) भूमि के खसरा संख्या और क्षेत्रफल	खसरा नम्बर 276 रकबा 3.19 बीघा, ख.न. 276/1 रकबा 4.00 बीघा, ख.न. 276/2 रकबा 3.19 बीघा कुल रकबा 11.18 बीघा अर्थात 19283 वर्गमीटर
	टिप्पणी - अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग को सम्यक रूप से सत्यापित प्रति है - राजस्व नक्शा भ्रम योजना मानचित्र	संलग्न
3.	संपरिवर्तन का प्रयोजन	औधोगिक प्रयोजनार्थ
4.	संदेय प्रिमियम की दर	रुपये 5 प्रति वर्गमीटर
5.	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित जमा कराई गई प्रिमियम की राशि	चालान नम्बर 0012039422 दिनांक 13-07-2016 राशि 78,110/-, चालान नम्बर 00120600838 दिनांक 19-08-2016 राशि 18,210/-, कुल राशि Rs. 96,320/-
6.	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित जमा शास्ति यदि कोई हो कि जमा करायी गई राशि	शून्य
7.	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित ब्याज यदि कोई हो कि जमा करायी गई राशि	शून्य
8.	क्या आदेश नियमितिकरण के लिए नियम 12 के अधीन जारी किया गया हो	शून्य
9.	अन्य प्रविशिष्टियां यदि कोई हो	शून्य
10.	उपयुक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा	-

लगातार .....2

TRUE COPY

(1) उपयुक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
(2) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 05 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है, तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा करायी गयी प्रीमियम धनराशि समपहत हो जायेगी।
(3) नियम 4 में यथावर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
(4) इंडियन रोड कॉर्पोरेशन के प्रावधानों के स्टेट हाइवे के मध्य से निर्धारित दूरी को छोड़कर कार्य करें एवं सड़क के मध्य खातेदार द्वारा निशुल्क राज्यहित में भूमिधारी (तहसीलदार) के समक्ष भूमि समर्पण करने का आवेदन प्रस्तुत कर राजस्व रिकॉर्ड में तदनानुसार प्रविष्ट करवायेगा।
(5) संपरिवर्तन शुल्क यदि वसूलनीय पाया गया तो आवेदन शुल्क राज्यकोष में जमा करवाने हेतु बाध्य होगा अन्यथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूल की जायेगी।
(6) आवेदक संपरिवर्तन भूमि में प्रति बीघा 12 पेड की दर से पौधारोपण मय टी-गार्ड लगाना सुनिश्चित करें। आवेदक इन लगाये पौधों के फोटोग्राफ तहसीलदार से प्रमाणित कर भिजवायें।
(7) आवेदक संपरिवर्तन की गई भूमि पर उद्योग स्थापित करने से पूर्व उद्योग विभाग एवं प्रदूषण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने पश्चात् बाद प्लान अनुमोदन के किसी प्रकार निर्माण/ उद्योग स्थापित करेगा।
(8) आवेदन द्वारा प्रस्तुत अंडरटेकिंग शपथ पत्र में वर्णित शर्तों की पालना करने हेतु पाबन्द रहेगा।
(9) आवेदक द्वारा संपरिवर्तित भूभाग का 40 प्रतिशत हिस्सा सुविधा क्षेत्र हेतु खुला रखा जायेगा।
(10) राष्ट्रीय उच्च मार्ग सड़क के मध्याबिन्दु से 45 मीटर दूरी तक क्षेत्र पर किसी प्रकार निर्माण अनुज्ञाय नहीं होगा।
(11) प्रस्तावित प्लान में आने हेतु रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। ग्रामीण डामर सड़क से पड़ौसी खातेदार खसरा नम्बर 273/4 व 273/19 में से रास्ता समर्पण किया गया है।

(जबरसिंह)

विहित प्राधिकारी

(उपखण्ड अधिकारी रोहट)

क्रमांक/राज/संप/16/ 2615-21

दिनांक 14-8-16

प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं पालनार्थ

1. श्रीमान प्रभारी अधिकारी राजस्व/ जिराले शाखा, कलेक्ट्रेट, पाली।
2. तहसीलदार/ तहसील राजस्व लेखाकार, रोहट
3. ग्राम पंचायत चोटिला पंचायत समिति रोहट
4. पटवारी हल्का चोटिला
5. श्री शशिपाल कुमावत पुत्र श्री कन्हैयालाल जाति कुमावत निवासी 89 चन्द्रनगर ब्यावर रोड अजमेर तहसील अजमेर जिला अजमेर (राजस्थान)

विहित प्राधिकारी

(उपखण्ड अधिकारी रोहट)

True Copy

कार्यालय विहित प्राधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, रोहट), जिला पाली, (राज0)

क्रमांक/राजस्व/संप/18/2622

दिनांक 13-8-16

## -: संपरिवर्तन आदेश :-

श्री शिवराज पुत्र श्री रामलाल जाति भील निवासी 485 गोदाम के पास देवली गाँव तहसील देवली जिला टोंक (राजस्थान) के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि को अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गयी है :-

1.	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम, पिता का नाम सहित पूरा पता	श्री शिवराज पुत्र श्री रामलाल जाति भील निवासी 485 गोदाम के पास देवली गाँव तहसील देवली जिला टोंक (राजस्थान)
2.	संपरिवर्तित भूमि का ब्योरा	सवाईपुरा
	(क) ग्राम / ग्राम पंचायत / तहसील का नाम	ग्राम सवाईपुरा ग्राम पंचायत चोटीला, तहसील रोहट
	(ख) भूमि के खसरा संख्या और क्षेत्रफल	खसरा नम्बर 272 रकबा 13.14 बीघा, अर्थात् 22176.13 वर्गमीटर
	टिप्पणी - अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शों के सुसंगत भाग को सम्यक रूप से सत्यापित प्रति है - राजस्व नक्शा मय योजना मानचित्र	संलग्न
3.	संपरिवर्तन का प्रयोजन	औद्योगिक प्रयोजनार्थ
4.	संदेय प्रिमियम की दर	रुपये 05.40 प्रति वर्गमीटर
5.	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित जमा कराई गई प्रिमियम की राशि	चालान नम्बर 0012036032 दिनांक 13-07-16 रुपये राशि 1,05,890/-, चालान नम्बर 00120600760 दिनांक 19.08.2016 रुपये 8,470/-, योग रु. 1,14,360/- कुल राशि Rs. 1,14,360/-
6.	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित जमा शास्ति यदि कोई हो कि जमा करायी गई राशि	शून्य
7.	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित ब्याज यदि कोई हो कि जमा करायी गई राशि	शून्य
8.	क्या आदेश नियमितिकरण के लिए नियम 12 के अधीन जारी किया गया हो	शून्य
9.	अन्य प्रविशिष्टियां यदि कोई हो	शून्य
10.	उपयुक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा	-

लगातार .....2

TRUE COPY

(1) उपयुक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
(2) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 05 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है, तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा करायी गयी प्रिमीयम धनराशि समपहत हो जायेगी।
(3) नियम 4 में यथावर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
(4) इंडियन रोड कॉर्पोरेशन के प्रावधानों के स्टेट हाइवे के मध्य से निर्धारित दूरी को छोड़कर कार्य करें एवं सड़क के मध्य खातेदार द्वारा निशुल्क राज्यहित में भूमिधारी (तहसीलदार) के समक्ष भूमि समर्पण करने का आवेदन प्रस्तुत कर राजस्व रेकॉर्ड में तदनुसार प्रविष्ट करवायेगा।
(5) संपरिवर्तन शुल्क यदि वसूलनीय पाया गया तो आवेदन शुल्क राज्यकोष में जमा करवाने हेतु बाध्य होगा अन्यथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1958 के तहत वसूल की जायेगी।
(6) आवेदक संपरिवर्तन भूमि में प्रति बीघा 12 पेड की दर से पौधारोपण मय टी-गार्ड लगाना सुनिश्चित करें। आवेदक इन लगाये पौधों के फोटोग्राफ तहसीलदार से प्रमाणित कर भिजवावें।
(7) आवेदक संपरिवर्तन की गई भूमि पर उद्योग स्थापित करने से पूर्व उद्योग विभाग एवं प्रदूषण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने पश्चात् बाद प्लान अनुमोदन के किसी प्रकार निर्माण/ उद्योग स्थापित करेगा।
(8) आवेदन द्वारा प्रस्तुत अंडरटेकिंग शपथ पत्र में वर्णित शर्तों की पालना करने हेतु बाबन्द रहेगा।
(9) आवेदक द्वारा संपरिवर्तित भूभाग का 40 प्रतिशत हिस्सा सुविधा क्षेत्र हेतु खुला रखा जावेगा।
(10) राष्ट्रीय उच्च मार्ग सड़क के मध्यबिन्दु से 45 मीटर दूरी तक क्षेत्र पर किसी प्रकार निर्माण अनुज्ञेय नहीं होगा।
(11) प्रस्तावित प्लान में आने हेतु रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। ग्रामीण डामर सड़क से पड़ौसी खातेदार खसरा नम्बर 273/4 व 273/19 में से रास्ता समर्पण किया गया है।

(जबरसिंह)  
विहित प्राधिकारी  
(उपखण्ड अधिकारी रोहट)

क्रमांक/राज/संप/16/2623-29  
प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं पालनार्थ

दिनांक 19.8.16

1. श्रीमान प्रभारी अधिकारी राजस्व/ जिराले शाखा, कलेक्ट्रेट, पाली।
2. तहसीलदार/ तहसील राजस्व लेखाकार, रोहट
3. ग्राम पंचायत चोटिला पंचायत समिति रोहट
4. पटवारी हल्का चोटिला
5. श्री शिवराज पुत्र श्री रामलाल जाति भील निवासी 485 गोदाम के पास देवली गॉव तहसील देवली जिला टोंक (राजस्थान)

(जबरसिंह)  
विहित प्राधिकारी  
(उपखण्ड अधिकारी रोहट)

True Copy

कार्यालय विहित प्राधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, रोहट), जिला पाली, (राज0)

क्रमांक/राजस्व/संप/16/ 2630

दिनांक 13-8-16

-: संपरिवर्तन आदेश :-

श्री महेशकुमार पुत्र श्री हरीशचन्द्र जाति रेगर निवासी 65 महेश नगर बी, वार्ड नम्बर 15, जयपुर जिला जयपुर (राजस्थान) के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि को अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गयी है :-

1.	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम, पिता का नाम सहित पूरा पता	श्री महेशकुमार पुत्र श्री हरीशचन्द्र जाति रेगर निवासी 65 महेश नगर बी, वार्ड नम्बर 15, जयपुर जिला जयपुर (राजस्थान)
2.	संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा	सवाईपुरा
	(क) ग्राम/ ग्राम पंचायत / तहसील का नाम	ग्राम सवाईपुरा ग्राम पंचायत चोटीला, तहसील रोहट
	(ख) भूमि के खसरा संख्या और क्षेत्रफल	खसरा नम्बर 273/4 रकबा 15 बीघा अर्थात् 24281.01 वर्गमीटर
	टिप्पणी - अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग को सम्यक रूप से सत्यापित प्रति है - राजस्व नक्शा मय योजना मानचित्र	संलग्न
3.	संपरिवर्तन का प्रयोजन	औद्योगिक प्रयोजनार्थ
4.	संदेय प्रिमियम की दर	रुपये 5/- प्रति वर्गमीटर
5.	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित जमा कराई गई प्रिमियम की राशि	चालान नम्बर 00120452 दिनांक 13-07-16 रुपये राशि 1,21,410/-, कुल राशि Rs. 1,21,410/-
6.	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित जमा शास्ति यदि कोई हो कि जमा करायी गई राशि	शून्य
7.	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित ब्याज यदि कोई हो कि जमा करायी गई राशि	शून्य
8.	क्या आदेश नियमितकरण के लिए नियम 12 के अधीन जारी किया गया हो	शून्य
9.	अन्य प्रविशिष्टियां यदि कोई हो	शून्य
10.	उपयुक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा	-

लगातार .....2

TRUE COPY

(1) उपयुक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
(2) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 05 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है, तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा करायी गयी प्रिमीयम धनराशि समपहत हो जायेगी।
(3) नियम 4 में यथावर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
(4) इण्डियन रोड कांग्रेस के प्रावधानों के स्टेट हाइवे के मध्य से निर्धारित दूरी को छोड़कर कार्य करें एवं सड़क के मध्य खातेदार द्वारा निशुल्क राज्यहित में भूमिधारी (तहसीलदार) के समक्ष भूमि समर्पण करने का आवेदन प्रस्तुत कर राजस्व रिकॉर्ड में तदनानुसार प्रविष्ट करवायेगा।
(5) संपरिवर्तन शुल्क यदि वसूलनीय पाया गया तो आवेदन शुल्क राज्यकोष में जमा करवाने हेतु बाध्य होगा अन्यथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूल की जायेगी।
(6) आवेदक संपरिवर्तन भूमि में प्रति बीघा 12 पेड की दर से पौधारोपण मय टी-गार्ड लगाना सुनिश्चित करें। आवेदक इन लगाये पौधों के फोटोग्राफ तहसीलदार से प्रमाणित कर भिजवावें।
(7) आवेदक संपरिवर्तन की गई भूमि पर उद्योग स्थापित करने से पूर्व उद्योग विभाग एवं प्रदूषण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने पश्चात् बाद प्लान अनुमोदन के किसी प्रकार निर्माण/ उद्योग स्थापित करेगा।
(8) आवेदन द्वारा प्रस्तुत अंडरटेकिंग शपथ पत्र में वर्णित शर्तों की पालना करने हेतु पाबन्द रहेगा।
(9) आवेदक द्वारा संपरिवर्तित भूभाग का 40 प्रतिशत हिस्सा सुविधा क्षेत्र हेतु खुला रखा जावेगा।
(10) राष्ट्रीय उच्च मार्ग सड़क के मध्यबिन्दु से 45 मीटर दूरी तक क्षेत्र पर किसी प्रकार निर्माण अनुज्ञेय नहीं होगा।
(11) प्रस्तावित प्लान में आने हेतु रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, जिसके मध्य बिन्दु से इण्डियन रोड कांग्रेस मापदण्ड अनुसार प्रार्थी की भूमि रकबा 1.09 बीघा भूमि राज्य हक में निःशुल्क समर्पण योग्य है। जिस पर कोई निर्माण अनुज्ञेय नहीं होगा।

(जबरसिंह)

विहित प्राधिकारी

(उपखण्ड अधिकारी रोहट)

क्रमांक/राज/संप/16/ 2631-37

प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं पालनार्थ

1. श्रीमान प्रभारी अधिकारी राजस्व/ जिराले शाखा, कलेक्ट्रेट, पाली।
2. तहसीलदार/ तहसील राजस्व लेखाकार, रोहट
3. ग्राम पंचायत चोटिला पंचायत समिति रोहट
4. पटवारी हल्का चोटिला
5. श्री महेशकुमार पुत्र श्री हरीशचन्द्र जाति रेगर निवासी 65 महेश नगर बी. वार्ड नम्बर 15, जयपुर जिला जयपुर (राजस्थान)

(जबरसिंह)  
विहित प्राधिकारी  
(उपखण्ड अधिकारी रोहट)

True Copy

कार्यालय विहित प्राधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, रोहट), जिला पाली, (राज0)

क्रमांक/राजस्व/संप/16/2638

दिनांक 19-8-16

## -: संपरिवर्तन आदेश :-

श्री महिपाल कुमावत पुत्र श्री कन्हैयालाल कुमावत जाति कुमावत निवासी लक्ष्मी निवास बस स्टेण्ड के पास, पीसांगन तहसील पीसांगन जिला अजमेर (राजस्थान) के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिवृत्ति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि को अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गयी है :-

1.	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम पिता का नाम सहित पूरा पता	श्री महिपाल कुमावत पुत्र श्री कन्हैयालाल कुमावत जाति कुमावत निवासी लक्ष्मी निवास बस स्टेण्ड के पास पीसांगन तहसील पीसांगन जिला अजमेर (राजस्थान)
2.	संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा	सवाईपुरा
	(क) ग्राम / ग्राम पंचायत / तहसील का नाम	ग्राम सवाईपुरा ग्राम पंचायत चोटीला, तहसील रोहट
	(ख) भूमि के खसरा संख्या और क्षेत्रफल	खसरा नम्बर 277/1 रकबा 3.10 बीघा, अर्थात् 5665.59 वर्गमीटर
	टिप्पणी - अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शों के सुसंगत भाग को सम्यक रूप से सत्यापित प्रति है - राजस्व नक्शा मध्य योजना मानचित्र	संलग्न
3.	संपरिवर्तन का प्रयोजन	औद्योगिक प्रयोजनार्थ
4.	संदेय प्रिमियम की दर	रूपये 05/- प्रति वर्गमीटर
5.	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित जमा कराई गई प्रिमियम की राशि	चालान नम्बर 0012574297 दिनांक 17-08-16 रूपये राशि 28,330/-, कुल राशि Rs. 28,330/-
6.	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित जमा शास्ति यदि कोई हो कि जमा करायी गई राशि	शून्य
7.	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित ब्याज यदि कोई हो कि जमा करायी गई राशि	शून्य
8.	क्या आदेश नियमितिकरण के लिए नियम 12 के अधीन जारी किया गया हो	शून्य
9.	अन्य प्रविशिष्टियां यदि कोई हो	शून्य
10.	उपयुक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा	-

लगातार .....2

TRUE COPY

(1) उपयुक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
(2) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 05 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है, तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा करायी गयी प्रिमीयम धनराशि समपहत हो जायेगी।
(3) नियम 4 में यथावर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
(4) इण्डियन रोड कॉंग्रेस के प्रावधानों के स्टेट हाइवे के मध्य से निर्धारित दूरी को छोड़कर कार्य करें एवं सड़क के मध्य खातेदार द्वारा निशुल्क राज्यहित में भूमिधारी (तहसीलदार) के समक्ष भूमि समर्पण करने का आवेदन प्रस्तुत कर राजस्व रिकॉर्ड में तदनानुसार प्रविष्ट करवायेगा।
(5) संपरिवर्तन शुल्क यदि वसूलनीय पाया गया तो आवेदन शुल्क राज्यकोष में जमा करवाने हेतु बाध्य होगा अन्यथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूल की जायेगी।
(6) आवेदक संपरिवर्तन भूमि में प्रति बीघा 12 पैड की दर से पौधारोपण मय टी-गाई लगाना सुनिश्चित करें। आवेदक इन लगाये पौधों के फोटोग्राफ तहसीलदार से प्रमाणित कर भिजवावें।
(7) आवेदक संपरिवर्तन की गई भूमि पर उद्योग स्थापित करने से पूर्व उद्योग विभाग एवं प्रदूषण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने पश्चात् बाद प्लान अनुमोदन के किसी प्रकार निर्माण/ उद्योग स्थापित करेगा।
(8) आवेदन द्वारा प्रस्तुत अंडरटेकिंग शपथ पत्र में वर्णित शर्तों की पालना करने हेतु पाबन्द रहेगा।
(9) आवेदक द्वारा संपरिवर्तित भूभाग का 40 प्रतिशत हिस्सा सुविधा क्षेत्र हेतु खुला रखा जावेगा।
(10) राष्ट्रीय उच्च मार्ग सड़क के मध्यबिन्दु से 45 मीटर दूरी तक क्षेत्र पर किसी प्रकार निर्माण अनुज्ञेय नहीं होगा।
(11) प्रस्तावित प्लान में आने हेतु रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जिसके मध्य बिन्दु से इण्डियन रोड कॉंग्रेस मापदण्ड अनुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि 0.10 बीघ भूमि राज्य हित में निशुल्क समर्पण योग्य है। जिस पर कोई निर्माण अनुज्ञेय नहीं होगा।

(जबरसिंह)  
विहित प्राधिकारी  
(उपखण्ड अधिकारी रोहट)

क्रमांक/राज/संप/16/ 2639-45  
प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं पालनार्थ

दिनांक 19-8-16

1. श्रीमान प्रभारी अधिकारी राजस्व/ जिराले शाखा, कलेक्ट्रेट, पाली।
2. तहसीलदार/ तहसील राजस्व लेखाकार, रोहट
3. ग्राम पंचायत चोटिला पंचायत समिति रोहट
4. पटवारी हल्का चोटिला
5. श्री महिपाल कुमावत पुत्र श्री कन्हैयालाल कुमावत जाति कुमावत निवासी लक्ष्मी निवास बस स्टेण्ड के पास, पीसांगन तहसील पीसांगन जिला अजमेर (राजस्थान)

(उपखण्ड अधिकारी रोहट)

True Copy

कार्यालय विहित प्राधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, रोहट), जिला पाली, (राज0)

क्रमांक/राजस्व/संप/16/2646

दिनांक 19-8-16

## -: संपरिवर्तन आदेश :-

श्री अश्विन गाढीया पुत्र श्री घनश्याम गाढीया जाति पटेल निवासी 95 चित्रलेखा वस्त्राल, 10 वस्त्राल, अहमदाबाद (गुजरात) के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि को अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गयी है :-

1.	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम, पिता का नाम सहित पूरा पता	श्री अश्विन गाढीया पुत्र श्री घनश्याम गाढीया जाति पटेल निवासी 95 चित्रलेखा वस्त्राल, 10 वस्त्राल अहमदाबाद (गुजरात)
2.	संपरिवर्तित भूमि का ब्योरा	सवाईपुरा
	(क) ग्राम/ ग्राम पंचायत / तहसील का नाम	ग्राम सवाईपुरा ग्राम पंचायत चोटीला, तहसील रोहट
	(ख) भूमि के खसरा संख्या और क्षेत्रफल	खसरा नम्बर 279/27 रकबा 03 बीघा, अर्थात् 4856.22 वर्गमीटर
	टिप्पणी - अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शों के सुसंगत भाग को सम्यक रूप से सत्यापित प्रति है - राजस्व नक्शा भय योजना मानचित्र	संलग्न
3.	संपरिवर्तन का प्रयोजन	औद्योगिक प्रयोजनार्थ
	संदेय प्रिमियम की दर	रुपये 08.06 प्रति वर्गमीटर
	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित जमा कराई गई प्रिमियम की राशि	चालान नम्बर 0012035586 दिनांक 13-07-16 रूपये राशि 24,290/-, चालान नम्बर 00120600713 दिनांक 19.08.2016 रूपये 14,860/-, योग रू. 39,150/- कुल राशि Rs. 39,150/-
6.	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित जमा शास्ति यदि कोई हो कि जमा करायी गई राशि	शून्य
7.	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित ब्याज यदि कोई हो कि जमा करायी गई राशि	शून्य
8.	क्या आदेश नियमितकरण के लिए नियम 12 के अधीन जारी किया गया हो	शून्य
9.	अन्य प्रविशिष्टियां यदि कोई हो	शून्य
10.	उपयुक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा	-

लगातार .....2

TRUE COPY

(1) उपयुक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
(2) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 05 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है, तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा करायी गयी प्रिमीयम धनराशि समपहत हो जायेगी।
(3) नियम 4 में यथावर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
(4) इण्डियन रोड काँग्रेस के प्रावधानों के स्टेट हाइवे के मध्य से निर्धारित दूरी को छोड़कर कार्य करें एवं सड़क के मध्य खातेदार द्वारा निशुल्क राज्यहित में भूमिधारी (तहसीलदार) के समक्ष भूमि समर्पण करने का आवेदन प्रस्तुत कर राजस्व रिकॉर्ड में तदनानुसार प्रविष्ट करवायेगा।
(5) संपरिवर्तन शुल्क यदि वसूलनीय पाया गया तो आवेदन शुल्क राज्यकोष में जमा करवाने हेतु बाध्य होगा अन्यथा राजस्थान में राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूल की जायेगी।
(6) आवेदक संपरिवर्तन भूमि में प्रति बीघा 12 पेड की दर से पौधारोपण मय टी-गार्ड लगाना सुनिश्चित करें। आवेदक इन लगाये पौधों के फोटोग्राफ तहसीलदार से प्रमाणित कर भिजवावें।
(7) आवेदक संपरिवर्तन की गई भूमि पर उद्योग स्थापित करने से पूर्व उद्योग विभाग एवं प्रदूषण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने पश्चात् बाद प्लान अनुमोदन के किसी प्रकार निर्माण/ उद्योग स्थापित करेगा।
(8) आवेदन द्वारा प्रस्तुत अंडरटेकिंग शपथ पत्र में वर्णित शर्तों की पालना करने हेतु पाबन्द रहेगा।
(9) आवेदक द्वारा संपरिवर्तित भूभाग का 40 प्रतिशत हिस्सा सुविधा क्षेत्र हेतु खुला रखा जावेगा।
(10) राष्ट्रीय उच्च मार्ग सड़क के मध्यबिन्दु से 45 मीटर दूरी तक क्षेत्र पर किसी प्रकार निर्माण अनुज्ञेय नहीं होगा।
(11) प्रस्तावित प्लान में आने हेतु रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, जिसके मध्य बिन्दु से इण्डियन रोड काँग्रेस मापदण्ड अनुसार 50 फुट दूरी पर प्रस्तावित भूमि स्थित है।



(जबरसिंह)  
विहित प्राधिकारी  
(उपखण्ड अधिकारी रोहट)

क्रमांक/राज/संप/16/ 2647-53  
प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं पालनार्थ

दिनांक 19-8-16

1. श्रीमान प्रभारी अधिकारी राजस्व/ जिराले शाखा, कलेक्ट्रेट, पाली।
2. तहसीलदार/ तहसील राजस्व लेखाकार, रोहट
3. ग्राम पंचायत चोटिला पंचायत समिति रोहट
4. पटवारी हल्का चोटिला
5. श्री अश्विन गाढीया पुत्र श्री घनश्याम गाढीया जाति पटेल निवासी 95 चित्रलेखा वस्त्राल, 10 वस्त्राल, अहमदाबाद (गुजरात)

विहित प्राधिकारी  
(उपखण्ड अधिकारी रोहट)

Att  
"True Copy"

कार्यालय विहित प्राधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, रोहट), जिला पाली, (राज0)

क्रमांक/राजस्व/संप/16/ 2654

दिनांक 19-8-16

--: संपरिवर्तन आदेश :-


श्री अश्विन गाढीया पुत्र श्री घनश्याम गाढीया जाति पटेल निवासी 95 चित्रलेखा वस्त्राल, 10 वस्त्राल, अहमदाबाद (गुजरात) के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि को अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गयी है :-

1.	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम, पिता का नाम सहित पूरा पता	श्री अश्विन गाढीया पुत्र श्री घनश्याम गाढीया जाति पटेल निवासी 95 चित्रलेखा वस्त्राल, 10 वस्त्राल अहमदाबाद (गुजरात)
2.	संपरिवर्तित भूमि का ब्योरा	सवाईपुरा
	(क) ग्राम/ ग्राम पंचायत / तहसील का नाम	ग्राम सवाईपुरा ग्राम पंचायत चोटीला, तहसील रोहट
	(ख) भूमि के खसरा संख्या और क्षेत्रफल	खसरा नम्बर 277 रकबा 15 बीघा, अर्थात 24281.1 वर्गमीटर
	टिप्पणी - अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शों के सुसंगत भाग को सम्यक रूप से स्तथापित प्रति है - राजस्व नक्शा मय योजना मानचित्र	संलग्न
3.	संपरिवर्तन का प्रयोजन	औद्योगिक प्रयोजनार्थ
4.	संदेय प्रिमियम की दर	रूपये 08.06 प्रति वर्गमीटर
5.	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित जमा कराई गई प्रिमियम की राशि	चालान नम्बर 0012035416 दिनांक 13-07-16 रूपये राशि 1,21,410/-, चालान नम्बर 00120600654 दिनांक 19.08.2016 रूपये 74,350/-, योग रू. 1,95,760/- कुल राशि Rs. 1,95,760/-
6.	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित जमा शास्ति यदि कोई हो कि जमा करायी गई राशि	शून्य
7.	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित ब्याज यदि कोई हो कि जमा करायी गई राशि	शून्य
8.	क्या आदेश नियमितिकरण के लिए नियम 12 के अधीन जारी किया गया हो	शून्य
9.	अन्य प्रविशिष्टियां यदि कोई हो	शून्य
10.	उपयुक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा	-

लगातार .....2

TRUE COPY

(1) उपयुक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
(2) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 05 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है, तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा करायी गयी प्रिमियम धनराशि समपहत हो जायेगी।
(3) नियम 4 में यथावर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
(4) इंडियन रोड कॉर्पोरेशन के प्रावधानों के स्टेट हाइवे के मध्य से निर्धारित दूरी को छोड़कर कार्य करें एवं सड़क के मध्य खातेदार द्वारा निशुल्क राज्यहित में भूमिधारी (तहसीलदार) के समक्ष भूमि समर्पण करने का आवेदन प्रस्तुत कर राजस्व रेकॉर्ड में तदनानुसार प्रविष्ट करवायेगा।
(5) संपरिवर्तन शुल्क यदि वसूलनीय पाया गया तो आवेदन शुल्क राज्यकोष में जमा करवाने हेतु बाध्य होगा अन्यथा राजस्थान में राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूल की जायेगी।
(6) आवेदक संपरिवर्तन भूमि में प्रति बीघा 12 पेड की दर से पौधारोपण मय टी-गार्ड लगाना सुनिश्चित करें। आवेदक इन लगाये पौधों के फोटोग्राफ तहसीलदार से प्रमाणित कर भिजवावें।
(7) आवेदक संपरिवर्तन की गई भूमि पर उद्योग स्थापित करने से पूर्व उद्योग विभाग एवं प्रदूषण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने पश्चात् बाद प्लान अनुमोदन के किसी प्रकार निर्माण/ उद्योग स्थापित करेगा।
(8) आवेदन द्वारा प्रस्तुत अंडरटेकिंग शपथ पत्र में वर्णित शर्तों की पालना करने हेतु पाबन्द रहेगा।
(9) आवेदक द्वारा संपरिवर्तित भूभाग का 40 प्रतिशत हिस्सा सुविधा क्षेत्र हेतु खुला रखा जायेगा।
(10) राष्ट्रीय उच्च मार्ग सड़क के मध्यबिन्दु से 45 मीटर दूरी तक क्षेत्र पर किसी प्रकार निर्माण अनुज्ञेय नहीं होगा।
(11) प्रस्तावित प्लान में आने हेतु रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रस्तावित भूमि सड़क मध्य बिन्दु से 50 फुट दूरी पर स्थित है।



(जबरसिंह)  
विहित प्राधिकारी  
(उपखण्ड अधिकारी रोहट)

क्रमांक/राज/संप/16/2655-61

दिनांक 19-8-16

प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं पालनार्थ

1. श्रीमान प्रभारी अधिकारी राजस्व/ जिराले शाखा, कलेक्ट्रेट, पाली।
2. तहसीलदार/ तहसील राजस्व लेखाकार, रोहट
3. ग्राम पंचायत चोटिला पंचायत समिति रोहट
4. पटवारी हल्का चोटिला
5. श्री अश्विन गाढीया पुत्र श्री घनश्याम गाढीया जाति पटेल निवासी 95 चित्रलेखा वस्त्राल, 10 वस्त्राल, अहमदाबाद (गुजरात)

(जबरसिंह)  
विहित प्राधिकारी  
(उपखण्ड अधिकारी रोहट)

ALL

'True Copy'

कार्यालय विहित प्राधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, रोहट), जिला पाली, (राज0)

क्रमांक/राजस्व/संप/16/ 2662

दिनांक 19-8-16

## -: संपरिवर्तन आदेश :-

श्री महिपाल कुमावत पुत्र श्री कन्हैयालाल कुमावत जाति कुमावत निवासी लक्ष्मी निवास बस स्टेण्ड के पास, पीसांगन तहसील पीसांगन जिला अजमेर (राजस्थान) के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिवृत्ति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि को अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गयी है :-

1.	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम, पित्त का नाम सहित पूरा पता	श्री महिपाल कुमावत पुत्र श्री कन्हैयालाल कुमावत जाति कुमावत निवासी लक्ष्मी निवास बस स्टेण्ड के पास पीसांगन तहसील पीसांगन जिला अजमेर (राजस्थान)
2.	संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा	सवाईपुरा
	(क) ग्राम/ ग्राम पंचायत / तहसील का नाम	ग्राम सवाईपुरा ग्राम पंचायत चोटीला, तहसील रोहट
	(ख) भूमि के खसरा संख्या और क्षेत्रफल	खसरा नम्बर 279/35 रकबा 1.05 बीघा, अर्थात 2023.42 वर्गमीटर
	टिप्पणी - अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग को सम्यक रूप से सत्यापित प्रति है - राजस्व नक्शा मय योजना मानचित्र	संलग्न
3.	संपरिवर्तन का प्रयोजन	औधोगिक प्रयोजनार्थ
4.	संदेय प्रिमियम की दर	रूपये 05/- प्रति वर्गमीटर
5.	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित जमा कराई गई प्रिमियम की राशि	चालान नम्बर 0012574341 दिनांक 17-08-16 रूपये राशि 10,120/-, कुल राशि Rs. 10,120/-
6.	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित जमा शारित यदि कोई हो कि जमा करायी गई राशि	शून्य
7.	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित ब्याज यदि कोई हो कि जमा करायी गई राशि	शून्य
8.	क्या आदेश नियमितिकरण के लिए नियम 12 के अधीन जारी किया गया हो	शून्य
9.	अन्य प्रविशिष्टियां यदि कोई हो	शून्य
10.	उपयुक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा	-

लगातार .....2

TRUE COPY

(1) उपयुक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
(2) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 05 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है, तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा करायी गयी प्रिमीयम धनराशि समपहत हो जायेगी।
(3) नियम 4 में यथावर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
(4) इंडियन रोड कॉर्पोरेशन के प्रावधानों के स्टेट हाइवे के मध्य से निर्धारित दूरी को छोड़कर कार्य करें एवं सड़क के मध्य खातेदार द्वारा निशुल्क राज्यहित में भूमिधारी (तहसीलदार) के समक्ष भूमि समर्पण करने का आवेदन प्रस्तुत कर राजस्व रिकॉर्ड में तदनानुसार प्रविष्ट करवायेगा।
(5) संपरिवर्तन शुल्क यदि वसूलनीय पाया गया तो आवेदन शुल्क राज्यकोष में जमा करवाने हेतु बाध्य होगा अन्यथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूल की जायेगी।
(6) आवेदक संपरिवर्तन भूमि में प्रति बीघा 12 पेंड की दर से पौधारोपण मय टी-गार्ड लगाना सुनिश्चित करें। आवेदक इन लगाये पौधों के फोटोग्राफ तहसीलदार से प्रमाणित कर भिजवायें।
(7) आवेदक संपरिवर्तन की गई भूमि पर उद्योग स्थापित करने से पूर्व उद्योग विभाग एवं प्रदूषण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने पश्चात् बाद प्लान अनुमोदन के किसी प्रकार निर्माण / उद्योग स्थापित करेगा।
(8) आवेदन द्वारा प्रस्तुत अंडरटेकिंग शपथ पत्र में वर्णित शर्तों की पालना करने हेतु पाबन्द रहेगा।
(9) आवेदक द्वारा संपरिवर्तित भूभाग का 40 प्रतिशत हिस्सा सुविधा क्षेत्र हेतु खुला रखा जायेगा।
(10) राष्ट्रीय उच्च मार्ग सड़क के मध्यबिन्दु से 45 मीटर दूरी तक क्षेत्र पर किसी प्रकार निर्माण अनुज्ञेय नहीं होगा।
(11) प्रस्तावित प्लान में आने हेतु रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रस्तावित भूमि सड़क मध्य बिन्दु से 50 फूट दूरी पर स्थित है।

(जबरसिंह)  
विहित प्राधिकारी  
(उपरखण्ड अधिकारी रोहट)

क्रमांक/राज/संप/16/2663-69  
प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं पालनार्थ

दिनांक 19-8-16

1. श्रीमान प्रभारी अधिकारी राजस्व/ जिराले शाखा, कलेक्ट्रेट, पाली।
2. तहसीलदार/ तहसील राजस्व लेखाकार, रोहट
3. ग्राम पंचायत चोटिला पंचायत समिति रोहट
4. पटवारी हल्का चोटिला
5. श्री महिपाल कुमावत पुत्र श्री कन्हैयालाल कुमावत जाति कुमावत निवासी लक्ष्मी निवास बस स्टेण्ड के पास, पीसांगन तहसील पीसांगन जिला अजमेर (राजस्थान)

विहित प्राधिकारी  
(उपरखण्ड अधिकारी रोहट)

AWK

True Copy

कार्यालय विहित प्राधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, रोहट), जिला पाली, (राज0)  
क्रमांक/राजस्व/संप/16/2678 दिनांक 23-8-16

—: संपरिवर्तन आदेश :-

श्री महिपाल कुमावत पुत्र श्री कन्हैयालाल कुमावत जाति कुमावत निवासी लक्ष्मी निवास बस स्टेण्ड के पास, पीसांगन तहसील पीसांगन जिला अजमेर (राजस्थान) के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिवृत्ति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि को अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गयी है :-

1.	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम, पिता का नाम सहित पूरा पता	श्री महिपाल कुमावत पुत्र श्री कन्हैयालाल कुमावत जाति कुमावत निवासी लक्ष्मी निवास बस स्टेण्ड के पास, पीसांगन तहसील पीसांगन जिला अजमेर (राजस्थान)
2.	संपरिवर्तित भूमि का ब्योरा	सवाईपुरा
	(क) ग्राम/ ग्राम पंचायत / तहसील का नाम	ग्राम सवाईपुरा ग्राम पंचायत चौटीला, तहसील रोहट
	(ख) भूमि के खसरा संख्या और क्षेत्रफल	खसरा नम्बर 278/2 रकबा 1.12 बीघा, अर्थात् 2889.98 वर्गमीटर
	टिप्पणी - अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग को सम्यक रूप से सत्यापित प्रति है - राजस्व नक्शा मद्य योजना मानचित्र	संलग्न
3.	संपरिवर्तन का प्रयोजन	औद्योगिक प्रयोजनार्थ
	संदेय प्रिमियम की दर	रुपये 08.06 प्रति वर्गमीटर
	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित जमा कराई गई प्रिमियम की राशि	चालान नम्बर 0012600945 दिनांक 19-08-16 रुपये राशि 3,880/-, चालान नम्बर दिनांक 19-08-16 रुपये 6,880/-, कुल राशि Rs. 20,876/-
6.	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित जमा शास्ति यदि कोई हो कि जमा करायी गई राशि	शून्य
7.	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित ब्याज यदि कोई हो कि जमा करायी गई राशि	शून्य
8.	क्या आदेश नियमितिकरण के लिए नियम 12 के अधीन जारी किया गया हो	शून्य
9.	अन्य प्रविशिष्टियां यदि कोई हो	शून्य
10.	उपयुक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा	-

TRUE COPY

(1) उपयुक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
(2) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 05 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है, तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा करायी गयी प्रिमीयम धनराशि सम्पहत हो जायेगी।
(3) नियम 4 में यथावर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
(4) इंडियन रोड कॉर्पोरेशन के प्रावधानों के स्टेट हाइवे के मध्य से निर्धारित दूरी को छोड़कर कार्य करें एवं सड़क के मध्य खातेदार द्वारा निशुल्क राज्यहित में भूमिधारी (तहसीलदार) के समक्ष भूमि समर्पण करने का आवेदन प्रस्तुत कर राजस्व रेकार्ड में तदनुसार प्रविष्ट करवायेगा।
(5) संपरिवर्तन शुल्क यदि वसूलनीय पाया गया तो आवेदन शुल्क राज्यकोष में जमा करवाने हेतु बाध्य होगा अन्यथा राजस्थान में राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूल की जायेगी।
(6) आवेदक संपरिवर्तन भूमि में प्रति बीघा 12 पेड की दर से पौधारोपण मय टी-गार्ड लगाना सुनिश्चित करें। आवेदक इन लगाये पौधों के फोटोग्राफ तहसीलदार से प्रमाणित कर भिजवावें।
(7) आवेदक संपरिवर्तन की गई भूमि पर उद्योग स्थापित करने से पूर्व उद्योग विभाग एवं प्रदूषण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने पश्चात् बाद प्लान अनुमोदन के किसी प्रकार निर्माण/ उद्योग स्थापित करेगा।
(8) आवेदन द्वारा प्रस्तुत अंडरटेकिंग शपथ पत्र में वर्णित शर्तों की पालना करने हेतु पाबन्द रहेगा।
(9) आवेदक द्वारा संपरिवर्तित भूभाग का 40 प्रतिशत हिस्सा सुविधा क्षेत्र हेतु खुला रखा जायेगा।
(10) राष्ट्रीय उच्च मार्ग सड़क के मध्यबिन्दु से 45 मीटर दूरी तक क्षेत्र पर किसी प्रकार निर्माण अनुज्ञेय नहीं होगा।
(11) प्रस्तावित प्लान में आने हेतु रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है। ग्रामीण कच्चा रास्ता से पडोसी खातेदारी खसरा नम्बर 279/35 में से रास्ता समर्पण किया गया है।

(जबरसिंह)

विहित प्राधिकारी

(उपखण्ड अधिकारी रोहट)

क्रमांक/राज/संप/16/2679-85

दिनांक 23-8-16

प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं पालनार्थ

1. श्रीमान प्रभारी अधिकारी राजस्व/ जिराले शाखा, कलेक्ट्रेट, पाली।
2. तहसीलदार/ तहसील राजस्व लेखाकार, रोहट
3. ग्राम पंचायत चौटिला पंचायत समिति रोहट
4. पटवारी हल्का चौटिला
5. श्री महिपाल कुमावत पुत्र श्री कन्हैयालाल कुमावत जाति कुमावत निवासी लक्ष्मी निवास बस स्टेण्ड के पास, पीसांगन तहसील पीसांगन जिला अजमेर (राजस्थान)

विहित प्राधिकारी

(उपखण्ड अधिकारी रोहट)

Rohit

" True copy "

कार्यालय विहित प्राधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, रोहट), जिला पाली, (राज0)  
क्रमांक / राजस्व / संप / 16 / 2729 दिनांक 26-8-16

—: संपरिवर्तन आदेश :-

श्री महिपाल कुमावत पुत्र श्री कन्हैयालाल कुमावत जाति कुमावत निवासी लक्ष्मी निवास बस स्टेण्ड के पास, पीसांगन तहसील पीसांगन जिला अजमेर (राजस्थान) एवं अश्विन गाढीया पुत्र श्री घनश्याम गाढीया जाति पटेल निवासी 95 चित्रलेखा वस्त्राल 10 वस्त्राल, अहमदाबाद के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि को अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गयी हैं :-

1.	आवेदक खालेदार अभिधारी का नाम, पिता का नाम सहित पूरा पता	श्री महिपाल कुमावत पुत्र श्री कन्हैयालाल कुमावत जाति कुमावत निवासी लक्ष्मी निवास बस स्टेण्ड के पास, पीसांगन तहसील पीसांगन जिला अजमेर (राजस्थान) एवं अश्विन गाढीया पुत्र श्री घनश्याम गाढीया जाति पटेल निवासी 95 चित्रलेखा वस्त्राल 10 वस्त्राल, अहमदाबाद
2.	संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा	सवाईपुरा
	(क) ग्राम / ग्राम पंचायत / तहसील का नाम	ग्राम सवाईपुरा ग्राम पंचायत चौटीला, तहसील रोहट
	(ख) भूमि के खसरा संख्या और क्षेत्रफल	खसरा नम्बर 278/2 रकबा 1.12 बीघा, अर्थात् 2589.98 वर्गमीटर
	टिप्पणी - अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग को सम्यक रूप से सत्यापित प्रति है - राजस्व नक्शा मय योजना मानचित्र	संलग्न
3.	संपरिवर्तन का प्रयोजन	औद्योगिक प्रयोजनार्थ
4.	संदेय प्रिमियम की दर	रुपये 08.06 प्रति वर्गमीटर
5.	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित जमा कराई गई प्रिमियम की राशि	चालान नम्बर 0012800945 दिनांक 19-8-16 रुपये 3,880 / चालान नम्बर 0012045144 दिनांक 13-7-16 रुपये 6480 / चालान नम्बर 742 दिनांक 23.08.16 रुपये 10,120 / - चालान नं. 12747994 दिनांक 26.8.16 रुपये 5,00 / -, कुल राशि Rs. 20,980/-
	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित जमा शास्ति यदि कोई हो कि जमा करायी गई राशि	शून्य
	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित ब्याज यदि कोई हो कि जमा करायी गई राशि	शून्य
8.	क्या आदेश नियमितिकरण के लिए नियम 12 के अधीन जारी किया गया हो	शून्य
9.	अन्य प्रविशिष्टियां यदि कोई हो	शून्य
10.	उपयुक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा	-



(1) उपयुक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
(2) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 05 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है, तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा करायी गयी प्रीमियम धनराशि समपहत हो जायेगी।
(3) नियम 4 में यथावर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
(4) इंडियन रोड कॉर्पोरेशन के प्रावधानों के स्टेट हाइवे के मध्य से निर्धारित दूरी को छोड़कर कार्य करें एवं सड़क के मध्य खातेदार द्वारा निशुल्क राज्यहित में भूमिधारी (तहसीलदार) के समक्ष भूमि समर्पण करने का आवेदन प्रस्तुत कर राजस्व रेकर्ड में तदनुसार प्रविष्ट करवायेगा।
(5) संपरिवर्तन शुल्क यदि वसूलनीय पाया गया तो आवेदन शुल्क राज्यकोष में जमा करवाने हेतु बाध्य होगा अन्यथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूल की जायेगी।
(6) आवेदक संपरिवर्तन भूमि में प्रति बीघा 12 पेड की दर से पौधारोपण मय टी-गाई लगाना सुनिश्चित करें। आवेदक इन लगाये पौधों के फोटोग्राफ तहसीलदार से प्रमाणित कर भिजवावें।
(7) आवेदक संपरिवर्तन की गई भूमि पर उद्योग स्थापित करने से पूर्व उद्योग विभाग एवं प्रदूषण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने पश्चात् बाद प्लान अनुमोदन के किसी प्रकार निर्माण / उद्योग स्थापित करेगा।
(8) आवेदन द्वारा प्रस्तुत अंडरटेकिंग शपथ पत्र में वर्णित शर्तों की पालना करने हेतु पाबन्द रहेगा।
(9) आवेदक द्वारा संपरिवर्तित भूभाग का 40 प्रतिशत हिस्सा सुविधा क्षेत्र हेतु खुला रखा जावेगा।
(10) राष्ट्रीय उच्च मार्ग सड़क के मध्यबिन्दु से 45 मीटर दूरी तक क्षेत्र पर किसी प्रकार निर्माण अनुज्ञेय नहीं होगा।
(11) प्रस्तावित प्लान में आने हेतु रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है। ग्रामीण कच्चा रास्ता से पड़ोसी खातेदारी खसरा नम्बर 279/35 में से रास्ता समर्पण किया गया है।



(जबरसिंह)  
विहित प्राधिकारी  
(उपखण्ड अधिकारी रोहट)

क्रमांक/राज/संप/16/2730-36  
प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं पालनार्थ

दिनांक 26-8-16

1. श्रीमान प्रभारी अधिकारी राजस्व/ जिराले शाखा, कलेक्ट्रेट, पाली।
2. तहसीलदार/ तहसील राजस्व लेखाकार, रोहट
3. ग्राम पंचायत चोटिला पंचायत समिति रोहट
4. पटवारी हल्का चोटिला
5. श्री महिपाल कुमावत पुत्र श्री कन्हैयालाल कुमावत जाति कुमावत निवासी लक्ष्मी निवास बस स्टेण्ड के पास, पीसांगन तहसील पीसांगन जिला अजमेर (राजस्थान) एवं अश्विन गाढीया पुत्र श्री धनश्याम गाढीया जाति पटेल निवासी 95 चित्रलेखा वस्त्राल 10 वस्त्राल, अहमदाबाद

विहित प्राधिकारी  
(उपखण्ड अधिकारी रोहट)  
रोहट (जि.पा.वा.)

True Copy

**कार्यालय ग्राम पंचायत, चोटीला तहसील व पंचायत समिति - रोहट  
जिला पाली, राजस्थान, पिन कोड. 306421.**

सरपंच

श्री मती मंजुकांत W/o श्री प्रहलद सिंह साठेड़

ग्राम पंचायत चोटीला

मोबाइल नं. 9799072100

63

क्रमांक.

दिनांक .....

दिनांक :-15.05.2017

**अनापति प्रमाण पत्र**

**ग्राम पंचायत - चोटिला**

यह प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम - सवाईपुरा में M/S ESSAR OIL LIMITED द्वारा रेल फेड डिपोट (स्टोरेज प्लान्ट) लगाया जाना है, ग्राम -सवाईपुरा में स्थित भूमि खसरा न. 278/2, 273/19, 273/4, 272, 279/23, 276, 276/1, 276/2, 277/1, 279/35, 277, 279/27, 273/17, 278/1, 279/16, 279/4, 279/28, 279/38 एवं 279/24 कुल रकबा लगभग 150 बिघा है जो कि M/S ESSAR OIL LIMITED की मालकीयत है।

M/S ESSAR OIL LIMITED इस भूमि पर रेल फेड डिपोट (स्टोरेज प्लान्ट) लगाना चाहती है, जिसका ग्राम पंचायत - चोटिला, जिला - पाली को कोई ऐतराज नहीं है।

भवदीय

सरपंच

मंजुकांत  
सरपंचग्राम पंचायत चोटिला  
पं.स. रोहट जिला-पाली

*Auto K*  
True Copy

क्रमांक एफ12(3)(18)सप/राज/20/906

दिनांक-25/02/2020

## -संपरिवर्तन आदेश-

श्री शशिपाल कुमावत पुत्र श्री कन्हैयालाल जाति कुमावत निवासी प्लॉट नम्बर 8 बी साउथ पार्ट कृष्णा नगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर के आवेदन-पत्र पर उनकी खातेदारी अभिवृत्ति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम, 2007 के अधीन अकृषि औद्योगिक प्रयोजनार्थ (पेट्रोलियम स्टोरेज) के लिए राजस्व (भूमि रूपान्तरण) विभाग जयपुर के परिपत्र क्रमांक एफ6(6)राज-6/92 पीटी/8 दिनांक 26.4.11 एवं दिनांक 6.10.2016 नियम 9(d) के क्रम में संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं-

- 1 आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम, पिता पति के नाम सहित तथा पूरा पता: श्री शशिपाल कुमावत पुत्र श्री कन्हैयालाल जाति कुमावत निवासी प्लॉट नम्बर 8 बी साउथ पार्ट कृष्णा नगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर
- 2 संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा:
  - (क) ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम: ग्राम सवाईपुरा ग्राम पंचायत चोटिला तहसील रोहट जिला पाली
  - (ख) भूमि का खसरा सं. और प्रत्येक खसरा का क्षेत्रफल (बीघा/हेक्टर/वर्ग मीटर में) ख.नं. 279/12 रकबा 8-01 बीघा, ख.नं. 279/28 रकबा 13-06 बीघा, ख.नं. 279/38 रकबा 5 बीघा एवं ख.नं. 279/24 रकबा 6 बीघा कुल रकबा 32-07 बीघा किस्म बाराणी सोयम 52366.23 वर्ग मीटर (संलग्न नक्शा अनुसार)
  - (ग) प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल (बीघा/हेक्टर/वर्ग मीटर में) ख.नं. 279/12 रकबा 8-01 बीघा, ख.नं. 279/28 रकबा 13-06 बीघा, ख.नं. 279/38 रकबा 5 बीघा एवं ख.नं. 279/24 रकबा 6 बीघा कुल रकबा 32-07 बीघा किस्म बाराणी सोयम 52366.23 वर्ग मीटर (संलग्न नक्शा अनुसार)

टिप्पणी: अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शों के सुसंगत भाग को सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न

- 3 संपरिवर्तन का प्रयोजन: औद्योगिक प्रयोजनार्थ (पेट्रोलियम स्टोरेज)
- 4 संदेय प्रीमियम की दर: 16.18 रुपये प्रति वर्ग मीटर
- 5 चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा करायी गयी प्रीमियम की रकम: GRN 37768972 चालान नं. 798 दिनांक 14.02.2020 के द्वारा 8,47,380/- रुपये
- 6 चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति, यदि कोई हो, की जमा करायी गयी रकम: नहीं
- 7 चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज, यदि कोई हो, की जमा करायी गयी रकम: नहीं
- 8 क्या आदेश नियमितीकरण के लिए नियम 12 के अधीन जारी किया गया है: नहीं
- 9 अन्य विशिष्टियां, यदि कोई हो: उक्त आदेश अधिसूचना दिनांक 06.10.2016 के नियम 9(2) में संपरिवर्तन किया जाता है। उक्त संपरिवर्तन आदेश ले-आऊट प्लान कमेटी में ले-आऊट प्लान मंजूर करवाने के प्रश्नात् प्रभावी माना जायेगा।
- 10 उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन होगा:
  - (i) इन्डियन रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित गाप्त-दण्डानुसार सड़क के मध्य से भूमि छोड़कर निर्माण कार्य किया जाएगा तथा आवेदक द्वारा आवेदित भूमि तक निर्धारित प्रतिमानों के अनुरूप विधिवत पहुच मार्ग सुनिश्चित किया जाएगा।
  - (ii) यदि प्रार्थी राष्ट्रीय राजमार्ग से रास्ता चाहते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग से अनुमति लेनी होगी। यदि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संधारित सड़को से रास्ता चाहते हैं तो सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुमति लेनी होगी।

- (iii) निकलस्थ नगरपालिका/स्थानीय निकाय की उपविधियों एवं निर्धारित मापदण्डों के अनुसार निर्माण कराना होगा।
- (iv) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत करली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन समपहत हो जायेगा।
- (vi) उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
- (vii) उक्त संपरिवर्तन आदेश वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर द्वारा संपरिवर्तन ले-आउट प्लान कमेटी में मंजूरी के पश्चात् ही मान्य माना जायेगा।
- (viii) नियम-4 में यथा-वर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
- (ix) आवेदित खरसा नम्बर के संबंध में कोई याद-विवाद किसी न्यायालय में विचाराधीन होने की स्थिति में यह आदेश, न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अध्वधीन रहेगा।
- (s) उक्त संपरिवर्तन शुल्क के अतिरिक्त यदि कोई राशि बरसूलनीय पायी गयी तो आवेदक द्वारा शुल्क राजस्वकोष में जमा करवाने हेतु बाध्य होगा, अन्यथा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत बसूली कार्यवाही की जायेगी।
- (xi) उद्योग स्थापित करने से पूर्व जल एवं वायु प्रदूषण मानकों की पूर्ण पालना की जावे एवं संक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जावे।
- (xii) अधिसूचना दिनांक 06.10.2016 के फॉर्म 'ए' में अंकित बिन्दु संख्या 4 की पालना में प्रस्तावित भूमि में एक पेड़ को हटाने के बदले 3 पेड़ एक वर्ष की अवधि में लगायेंगे एवं पालना नहीं करने की स्थिति में नियमों के अन्तर्गत पेनल्टी राशि बसूल की जाएगी, जिसकी सुनिश्चितता तहसीलदार द्वारा की जाएगी।



(दिनेश चन्द जैन)  
जिला कलेक्टर,  
जिला (सि.सि.) ऑफिस, पाली  
दिनांक:- 25/02/2020

क्रमांक एफ12(3)(18)संप./राज/20/907-918

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रभारी अधिकारी, जि.रा.ले./भूअभिलेख/न्यायिक शाखा कलेक्टर, पाली
2. उप खण्ड अधिकारी, रोहट।
3. सहायक अभियन्ता, सानिवि, रोहट।
4. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पाली।
5. तहसीलदार/विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रोहट।
6. ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, चोटिला पंचायत समिति, रोहट।
7. पटवारी हल्का चोटिला, सम्बन्धित द्वारा तहसीलदार, रोहट।
8. श्री शशिपाल कुमावत पुत्र श्री कन्हैयालाल जाति कुमावत निवासी प्लॉट नम्बर 8 बी साउथ पार्ट कृष्णा नगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

जिला कलेक्टर,  
जिला (सि.सि.) ऑफिस, पाली  
पाली (राज.)

True Copy

Annexure-R/21

Head Office (HDF)

364



**Rajasthan State Pollution Control Board**  
4, Institutional Area, Jhalana Doongari, Jaipur-302  
Phone: 0141-5159600, 5159695 Fax: 0141-5159697

Registered

66

File No : F(HDF)/Pali(Pali)/2(1)/2020-2021/1182-1184  
Order No : 2020-2021/HDF/3082  
Unit Id : 100787

Dispatch Date: 10/06/2020

M/s NAYARA ENERGY LIMITED  
NAYARA ENERGY LIMITED, 5TH FLOOR, JET  
AIRWAYS GODREJ BKC, PLOT NO C-68, G BLOCK,  
BANDRA KURLA COMPLEX, BANDRA EAST , MUMBAI  
Tehsil:MUMBAI  
District:MUMBAI

Sub: **Consent to Establish** under section 25/26 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and under section 21(4) of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981.  
Ref: Your application(s) for Consent to Establish dated 26/08/2019 and subsequent correspondence.

Sir,


**Consent to Establish** under the provisions of section 25/26 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 (hereinafter referred to as the Water Act) and under section 21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, (hereinafter to be referred as the Air Act) as amended to date and rules & the orders issued thereunder, **is hereby granted** for your **Storage of petroleum product plant** situated / proposed at **ROHAT SAWAIPURA Tehsil:Rohat District:Pali**, Rajasthan under the provisions of the said Act(s). This consent is granted on the basis of examination of the information furnished by you in consent application(s) and the documents submitted therewith, subject to the following conditions:-

Signature Not Verified  
Digitally signed by Rajeev Mahnot  
Date: 2020.06.10 14:44:05  
Reason: Self Attested

- 1 That this Consent to Establish is valid for a period from **26/11/2019** to **31/10/2024** or **date of Commencement of production / commissioning of the project or activities whichever is earlier**.
- 2 That this Consent is granted for manufacturing / producing following products / by products or carrying out the following activities or operation/processes or providing following services with capacities given below.

Particular	Type	Quantity / Capacity
Ethanol	Activity	460.00 KL
HSD	Activity	35,160.00 KL
MS	Activity	12,710.00 KL
Slop	Service	10.00 KL

*[Handwritten Signature]*  
**TRUE COPY**





Head Office (HDF)  
**365**  
**Rajasthan State Pollution Control Board**  
4, Institutional Area, Jhalana Doongari, Jaipur-302  
Phone: 0141-5159600, 5159695 Fax: 0141-5159697

67

Registered

File No : F(HDF)/Pali(Pali)/2(1)/2020-2021/1182-1184

Order No: 2020-2021/HDF/3082

Dispatch Date: 10/06/2020

Unit Id : 100787


- 3 That in case of any increase in capacity or addition / modification / alteration or change in product mix or process or raw material or fuel the project proponent is required to obtain fresh consent to establish.
- 4 That the control equipment as proposed by the applicant shall be installed before trial operation is started for which prior consent to operate under the provision of the **Water Act and Air Act** shall be obtained. This consent to establish shall not be treated as consent to operate.
- 5 That the quantity of effluent generation and disposal along with mode of disposal for the treated effluent shall be as under:

Type of effluent	Max. effluent generation (KLD)	Quantity of effluent to be recycled (KLD)	Quantity of treated effluent to be disposed (KLD) and mode of disposal
Domestic Sewage	3.500	NIL	3.500 To be treated in STP and to be used in plantation and horticulture
Trade Effluent	2.000	NIL	2.000 Plantation

- 6 That the sources of air emissions along with pollution control measures and the emission standards for the prescribed parameters shall be as under:

R

TRUE COPY





**Head Office (HDF)**  
**366**  
**Rajasthan State Pollution Control Board**  
4, Institutional Area, Jhalana Doongari, Jaipur-302  
Phone: 0141-5159600, 5159695 Fax: 0141-5159697

60

Registered

File No : F(HDF)/Pall(Pall)/2(1)/2020-2021/1182-1184

Order No: 2020-2021/HDF/3082

Dispatch Date: 10/06/2020

Unit Id : 100787

Sources of Air Emmissions	Pollution Control Measures	Prescribed	
		Parameter	Standard
DG Set (1 no.)( 250KVA)	ACOUSTIC ENCLOSURE , ADEQUATE STACK HEIGHT	--	--
DG Sets (2 nos.)( 750KVA EACH)	ACOUSTIC ENCLOSURE , ADEQUATE STACK HEIGHT <small>Signature Not Verified Digitally signed by Rameev Mahnot Date: 2020.06.10 14:38 IST Reason: Self Attested Location:</small>	--	--


7 That the domestic sewage shall be treated before disposal so as to conform to the standards prescribed by the Board as notified under the Environment (Protection) Act-1986 for disposal **Into Inland Surface Water**. The main parameters for regular monitoring shall be as under.

Parameters	Standards
pH Value	Between 5.5 to 9.0
Oil and Grease	Not to exceed 10 mg/l
Biochemical Oxygen Demand (3 days at 27°C)	Not to exceed 30 mg/l
Total Suspended Solids	Not to exceed 50 mg/l
Chemical Oxygen Demand	Not to exceed 250 mg/l

8 That this consent to establish is being issued only for the total storage of 48340 KL of petroleum products (HSD, Slop, MS & Ethanol) as per condition no. 2 and shall not be treated for processing/ storage of any other petroleum products.

9 That this consent to establish is being issued upon the khasra no duly converted for industrial use by SDM Rohat Distt. Pali- Khasra no. 279/32, 276, 276(1), 276(2), 273/19, 272, 279/27, 278/1, 279/16, 279/4, 279/23, 273/17, 277, 273/4, 277/1 dated 19/08/2016 and khasra no. 278/2 dated 26/08/2016 of land conversion.

A  
**TRUE COPY**





**Head Office (HDF)**  
**367**  
**Rajasthan State Pollution Control Board**  
4, Institutional Area, Jhalana Doongari, Jaipur-302  
Phone: 0141-5159600, 5159695 Fax: 0141-5159697

69

Registered


File No : F(HDF)/Pali(Pali)/2(1)/2020-2021/1182-1184


Order No : 2020-2021/HDF/3082

Dispatch Date: 10/06/2020

Unit Id : 100787

- 10 That total water requirement is 12 KLD (for domestic use-5 KLD, Fire fighting-2 KLD & Plantation-5 KLD) and same shall be obtained from ground water.
- 11 That the industry shall provide sewage treatment plant (STP) of adequate capacity so as to treat the entire domestic waste water (3.5 KLD) up to the norms for inland surface water standards at condition no 6.
- 12 That entire STP treated domestic waste water shall be used for plantation/gardening within the premises and no waste water shall be discharged outside the premises.
- 13 That the industry shall provide flow meters on sources/intake of fresh water, waste water generation and on the Inlet and outlet of STP to measure the quantity of daily water consumption and treated waste water reused and daily records of same shall be maintained and submitted to the Board.
- 14 That industry shall not abstract ground water without prior NOC/ Permission from CGWA before commissioning of plant. Signature Not Verified  
Date: 2020.06.10 16:14:38 IST  
Reason: Self Attested  
Location:
- 15 That no process effluent will be generated. The effluent generated from the floor washing and mock drill will be suitably treated in Oil Water Separator installed at unit & shall be used for plantation/Horticulture.
- 16 That all possible efforts shall be made for minimization of use of fresh water and use of treated waste water for gainful use within premises.
- 17 That no treated/untreated waste water (domestic/trade) shall be discharge out side the premises & complete zero liquid discharge status shall be maintained.
- 18 That the unit shall provide acoustic enclosure and stack of adequate height with D.G. Sets of 02x750 KVA Each, 01x250 KVA.
- 19 That unit shall use cleaner fuel in D.G. Set/ fire fighting engines etc. i.e. having low sulphur content.
- 20 That additional source of Air/Water pollution shall not be installed without prior consent to establish from the State Board.
- 21 That the industry shall obtain Environmental Clearance from competent authority under EIA Notification dated 14.09.2006 for taking up any such activity which attracts Environmental clearance under EIA Notification dated 14.09.2006 in future.
- 22 That unit shall submit PESO license within a period of one month.
- 23 That the unit shall operate with the valid policy under PLI Act, 1991.
- 24 That the unit shall comply with the provisions of manufacture, storage and import of hazardous Chemical Rules 1989.
- 25 That industry shall comply with the provisions of Hazardous & others Waste (Management, & Transboundary Movement) Rules, 2016.

  
**TRUE COPY**





Head Office (HDF)  
368  
70  
**Rajasthan State Pollution Control Board**  
4, Institutional Area, Jhalana Doongari, Jaipur-302  
Phone: 0141-5159600, 5159695 Fax: 0141-5159697

Registered

File No : F(HDF)/Pali(Pali)/2(1)/2020-2021/1182-1184

Order No: 2020-2021/HDF/3082

Dispatch Date: 10/06/2020

Unit Id : 100787

26 That unit shall provide of greenbelt cover by 33% of total land area.

27 That capital investment as per the C.A. certificate submitted by the unit is Rs. 200 Cr.

28 That the unit shall install adequately designed rain water harvesting structure for recharge of ground water in and around the area.

29 That the industry shall not use petcoke/furnace oil in any process/service/utility in compliance to the order dated 24/10/2017 of Hon'ble Supreme Court, wherein ban has been imposed on the use of pet coke and furnace oil in the State of Rajasthan.

30 That the Industry shall submit half yearly compliance report of all the above conditions to the State Board.

31 That, not withstanding anything provided hereinabove, the State Board shall have power and reserves its right, as contained **under section 27(2) of the Water Act and under section 21(6) of the Air Act** to vary or all the conditions imposed here in above and to make such variation as it deemed fit for the purpose of compliance of the **Water Act and Air Act**.

32. That the grant of this **Consent to Establish** is issued from the environmental angle only, and does not absolve the project proponent from the other statutory obligations prescribed under any other law or any other instrument in force. The sole and complete responsibility, to comply with the conditions laid down in all other laws for the time-being in force, rests with the industry/ unit/ project proponent.

33 That the grant of this **Consent to Establish** shall not, in any way, adversely affect or jeopardize the legal proceedings, if any, instituted in the past or that could be instituted against you by the State Board for violation of the provisions of the Act or the Rules made thereunder.

This **Consent to Establish** shall also be subject, beside the aforesaid specific conditions, to the general conditions given in the enclosed Annexure. The project proponent will comply with the provisions of the **Water Act and Air Act** and to such other conditions as may, from time to time, be specified by the State Board under the provisions of the aforesaid Act(s). Please note that, non compliance of any of the above stated conditions would tantamount to revocation of **Consent to Establish** and project proponent / occupier shall be liable for legal action under the the relevant provisions of the said Act(s).

TRUE COPY





Head Office (HDF)

369

Rajasthan State Pollution Control Board  
4, Institutional Area, Jhalana Doongari, Jaipur-302

Phone: 0141-5159600, 5159695 Fax: 0141-5159697

Registered

File No : F(HDF)/Pali(Pali)/2(1)/2020-2021/1182-1184

Order No: 2020-2021/HDF/3082

Dispatch Date: 10/06/2020

Unit Id : 100787

This bears the approval of the competent authority.

Yours Sincerely

Group Incharge [ HDF ]

(A): Copy To:-


- 1 Regional Officer, Regional Office, Rajasthan State Pollution Control Board, Pali to ensure the compliance.
- 2 Master File.


Signature Not Verified

Digitally signed by Rajeev Mahnot  
Date: 2020.06.10 10:14:38 IST  
Reason: Self Attested  
Location:

Group Incharge [ HDF ]

RMK  
" True Copy "





True Copy

राजस्थान सरकार

73

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, सोजत सिटी जिला पाली

क्रमांक:-खअ/सोजत/एसटीपी/नियम-51(9)(2)/बी-68/2020/

दिनांक 28.04.2020

**:अल्पावधि अनुमति पत्र:-**

मैसर्स एस. पी. कन्स्ट्रक्शन निवासी - 8 बी, साउथ पार्ट, कृष्णा नगर, गोपालपुरा, जयपुर ने श्रीमान् प्रबंधक, नायरा एनर्जी लिमिटेड पत्ता - खाम्भालिया, पोस्ट बॉक्स नम्बर-24 जिला देवभूमि द्वारका (गुजरात)के कार्यादेश क्रमांक 6300002403 Date 13.11.2019 के द्वारा Civil Construction contract for Petroleum Storage Depot at Pali के लिए राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 51 (9) (ii) तथा 74 (i) के अनुसार निम्नानुसार खनिज को खोदने एवं हटाने हेतु अल्पावधि अनुमति पत्र के लिए दिनांक 24.04.2020 को ऑनलाईन आवेदन पत्र पेश किया गया, जिसकी हार्ड कॉपी दिनांक 24.04.2020 को कार्यालय में प्रस्तुत की गई।

सर्वेदक फर्म द्वारा नियमानुसार रॉयल्टी राशि, परमिट फीस कुल राशि रु 117100/- जरिये चालान संख्या जीआरएन 0039216292 दिनांक 24.04.2020 (चालान में अंकित राशि रु 378300/-) से जमा करा दी गई है व डी.एम.एफ.टी. राशि रु 10400/- जरिये चालान संख्या जीआरएन 0039216321 दिनांक 24.04.2020 (चालान में अंकित राशि रु 33600/-) तथा टीसीएस राशि रु 2080/- जरिये चालान संख्या 00703 दिनांक 24.04.2020 (चालान में अंकित राशि रु 6720/-) से जमा करा दिये गये है।

अतः एतद्वारा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 51 (9) (ii) तथा 74 (i) के अनुसार निर्धारित शर्तों पर नीचे अंकित विवरण अनुसार खनिज उठाने की अनुमति जारी की जाती है। उक्त अनुमति की अवधि दिनांक 28.04.2020 से 27.10.2020 तक वैध होगी।

क्र. सं.	नाम खनिज	खनिज की मात्रा (टन में)	रॉयल्टी की दर	कुल रॉयल्टी राशि रु	परमिट फीस राशि रु	कुल राशि रु	खनिज उठाने का स्थान
1	2	3	4	5	6	8	9
1	साधारण मिट्टी	26000 टन	4/-	104000/-	13100/-	117100/-	क्षेत्रफल 0.9316 हेक्टर खसरा संख्या 273/21 राजस्व ग्राम सवाईपुरा तहसील रोहट जिला पाली में किये गये संयुक्त सीमांकन रिपोर्ट अनुसार

**विशेष शर्त:-**

1. अनुमतिधारक किसी तीसरे पक्ष के विरुद्ध सरकार को क्षतिपूर्ति करेगा तथा ऐसे दावे को जैसे ही वह उत्पन्न हो, समाधान करेगा।
2. अनुमतिधारक सड़क/मवन, भू-ग्रादि या सार्वजनिक मैदानों/स्थान में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा या उनको कोई नुकसान नहीं करेगा।
3. अनुमतिधारक को विभाग द्वारा ऐसी हिदायत दी जाने पर जहां से खनिज निकाला गया हो सुक्षा के लिए गड्ढे को पाट देगा या उसके चारों ओर बाड़ लगा देगा।
4. ठेकेदार पत्थर, गिट्टी का उपयोग चिप्स बनाने हेतु नहीं करेगा।

TRUE COPY

5. अनुमतिधारक द्वारा बाद अवधि के एवं अधिक मात्रा में निकाले गये खनिज पर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 51 (11) के तहत पेनल्टी एवं रॉयल्टी राशि की दस गुणा राशि देनी होगी तथा आवेदित क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य भूमि में खनन कार्य नहीं करेगा।
6. अनुमतिधारी खनिज दोहन किसी अन्य भूमि/चारागाह/केचमैट एरिया/वन विभाग द्वारा आरक्षित भूमि/रक्षित अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान तथा उनके सेफटी जोन/विभिन्न न्यायालयों द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र/किसी व्यक्ति या संस्था की निजी भूमि में उसकी लिखित सहमति के बिना तथा वैध पट्टाधारी/लाइसेंस की स्वीकृत क्षेत्र/पंचायत हेतु आरक्षित भूमि/गोचर भूमि/पंचायत द्वारा पौधारोपण क्षेत्र आदि में नहीं करेगा।
7. अनुमतिधारक वन सीमा खनन स्थल के नजदीक हो तो वन सीमा से नियमानुसार निर्धारित दूरी छोड़कर ही खनन कार्य करेंगे तथा सार्वजनिक रास्ते, नदी, नाले व सार्वजनिक स्थल जैसे मंदिर इत्यादि एवं आबादी से नियमानुसार निर्धारित दूरी छोड़कर खनन कार्य करेंगे।
8. खनन कार्य करते समय हेवी ब्लास्टिंग नहीं करेंगे, यदि की जाती है, तो तकनीकी व्यक्ति (ब्लास्टर) की देखरेख में की जाये एवं सुरक्षा के नियमों की पूर्णतया पालना करेंगे।
9. अनुमतिधारक द्वारा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 74 (1) के अनुसार 2 मीटर गहराई तक ही खनन कार्य किया जायेगा तथा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 तथा इसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनों की पूर्णतया पालना करनी होगी।

*sd*

खनि अभियन्ता,

सोजत सिटी

दिनांक 28.04.2020

क्रमांक:-समसंख्यक-780

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

1. श्रीमान् प्रबंधक, नायरा एनर्जी लिमिटेड प्रता - खामभालिया, पोस्ट बॉक्स नम्बर-24 जिला देबभूमि द्वारका (गुजरात)-361305
2. खनि कार्यदेशक-11 कार्यालय हाजा।
3. मैसर्स एस. पी. कन्स्ट्रक्शन निवासी - 8 बी, साउथ पार्ट, कृष्णा नगर, गोपालपुरा, जयपुर।

*sd*

खनि अभियन्ता,

सोजत सिटी

*Alk*  
"Four Copy"

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, सोजत सिटी जिला पाली

क्रमांक-खअ/सोजत/एसटीपी/नियम-51(9)(2)/बी-66/2020/

दिनांक 28.04.2020

**अल्पावधि अनुमति पत्र:-**

मैसर्स एस. पी. कन्स्ट्रक्शन निवासी - 8 बी, साउथ पार्ट, कृष्णा नगर, गोमालपुरा, जयपुर ने श्रीमान् प्रबंधक, नायस एनर्जी लिमिटेड पता - खामभालिया, पोस्ट बॉक्स नम्बर-24 जिला देवभूमि द्वारका (गुजरात)के कार्यादेश क्रमांक 6300002403 Date 13.11.2019 के द्वारा Civil Construction contract for Petroleum Storage Depot at Pali के लिए राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 51 (9) (ii) तथा 74 (i) के अनुसार निम्नानुसार खनिज को खोदने एवं हटाने हेतु अल्पावधि अनुमति पत्र के लिए दिनांक 24.04.2020 को ऑनलाईन आवेदन पत्र पेश किया गया, जिसकी हार्ड कॉपी दिनांक 24.04.2020 को कार्यालय में प्रस्तुत की गई।

संबेदक फर्म द्वारा नियमानुसार रॉयल्टी राशि, परमिट फीस कुल राशि रु 112600/- जरिये चालान संख्या जीआरएन 0039216292 दिनांक 24.04.2020 (चालान में अंकित राशि रु 378300/-) से जमा करा दी गई है व डी.एम.एफ.टी. राशि रु 100000/- जरिये चालान संख्या जीआरएन 0039216321 दिनांक 24.04.2020 (चालान में अंकित राशि रु 33600/-) तथा टीसीएस राशि रु 2000/- जरिये चालान संख्या 00703 दिनांक 24.04.2020 (चालान में अंकित राशि रु 6720/-) से जमा करा दिये गये है।

अतः एतद्वारा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 51 (9) (ii) तथा 74 (i) के अनुसार निर्धारित शर्तों पर नीचे अंकित विवरण अनुसार खनिज उठाने की अनुमति जारी की जाती है। उक्त अनुमति की अवधि दिनांक 28.04.2020 से 27.10.2020 तक वैध होगी।

क्र. सं.	नाम खनिज	खनिज की मात्रा (टन में)	रॉयल्टी की दर	कुल रॉयल्टी राशि रु	परमिट फीस राशि रु	कुल राशि रु	खनिज उठाने का स्थान
1	2	3	4	5	6	8	9
1	साधारण मिट्टी	25000 टन	4/-	100000/-	12600/-	112600/-	क्षेत्रफल 0.9044 हेक्टर खसरा संख्या 273/21 राजस्व ग्राम सवाईपुरा तहसील रोहट जिला पाली में किये गये संयुक्त सीमांकन रिपोर्ट अनुसार

**विशेष शर्तें:-**

1. अनुमतिधारक किसी तीसरे पक्ष के विरुद्ध सरकार को क्षतिपूर्ति करेगा तथा ऐसे दावे को जैसे ही वह उत्पन्न हो, समाधान करेगा।
2. अनुमतिधारक सड़क/भवन, भू-प्रादि या सार्वजनिक मैदानों/स्थान में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा या उनको कोई नुकसान नहीं करेगा।
3. अनुमतिधारक को विभाग द्वारा ऐसी हिदायत दी जाने पर जहां से खनिज निकाला गया हो सुरक्षा के लिए गड्ढे को पाट देगा या उसके चारों ओर बाड़ लगा देगा।
4. ठेकेदार पत्थर, गिट्टी का उपयोग चिप्स बनाने हेतु नहीं करेगा।

TRUE COPY

5. अनुमतिधारक द्वारा बाढ़ अवधि के एवं अधिक मात्रा में निकाले गये खनिज पर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 51 (11) के तहत पेनल्टी एवं रॉयल्टी राशि की दस गुणा राशि देनी होगी तथा आवेदित क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य भूमि में खनन कार्य नहीं करेगा।
6. अनुमतिधारी खनिज दोहन किसी अन्य भूमि/चारागाह/केचमेंट एरिया/वन विभाग द्वारा आरक्षित भूमि/रक्षित अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान तथा उनके सेफटी जोन/विभिन्न न्यायालयों द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र/किसी व्यक्ति या संस्था की निजी भूमि में उसकी लिखित सहमति के बिना तथा वैध पट्टाधारी/लाइसेंसी के स्वीकृत क्षेत्र/पंचायत हेतु आरक्षित भूमि/गोचर भूमि/पंचायत द्वारा पौधारोपण क्षेत्र आदि में नहीं करेगा।
7. अनुमतिधारक वन सीमा खनन स्थल के नजदीक हो तो वन सीमा से नियमानुसार निर्धारित दूरी छोड़कर ही खनन कार्य करेंगे तथा सार्वजनिक रास्ते, नदी, झाले व सार्वजनिक स्थल जैसे मंदिर इत्यादि एवं आबादी से नियमानुसार निर्धारित दूरी छोड़कर खनन कार्य करेंगे।
8. खनन कार्य करते समय हैवी ब्लास्टिंग नहीं करेंगे, यदि की जाती है, तो तकनीकी व्यक्ति (ब्लास्टर) की देखरेख में की जाये एवं सुरक्षा के नियमों की पूर्णतया पालना करेंगे।
9. अनुमतिधारक द्वारा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 74 (1) के अनुसार 2 मीटर गहराई तक ही खनन कार्य किया जायेगा तथा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 तथा इसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनों की पूर्णतया पालना करनी होगी।

*sd*  
खनि अभियन्ता,  
सोजत सिटी  
दिनांक 28.04.2020

क्रमांक:-समसंख्यक- 772

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

1. श्रीमान् प्रबंधक, नायरा एनर्जी लिमिटेड पता - खामभालिया, पोस्ट बोकस नम्बर-24 जिला देवभूमि द्वारका (गुजरात)-361305
2. खनि कार्यदेशक-II कार्यालय हाजा।
3. मैसर्स एस. पी. कन्सल्टेशन निवासी - 8 बी, साउथ पार्ट, कृष्णा नगर, गोपालपुरा, जयपुर।

*sd*  
खनि अभियन्ता,  
सोजत सिटी

*Auth*  
"True Copy"

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, सोजत सिटी जिला पाली

क्रमांक:-खअ/सोजत/एसटीपी/नियम-51(9)(2)/बी-67/2020/

दिनांक 28.04.2020

**:-अल्पावधि अनुमति पत्र:-**

मैसर्स एस. पी. कन्सट्रक्शन निवासी - 8 बी, साउथ पार्क, कृष्णा नगर, गोपालपुरा, जयपुर ने श्रीमान् प्रबन्धक, नायरा एनर्जी लिमिटेड पता - खामभालिया, पोस्ट बॉक्स नम्बर-24 जिला देवभूमि द्वारका (गुजरात)के कार्यादेश क्रमांक 6300002403 Date 13.11.2019 के द्वारा Civil Construction contract for Petroleum Storage Depot at Pali के लिए राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 51 (9) (ii) तथा 74 (i) के अनुसार निम्नानुसार खनिज को खोदने एवं हटाने हेतु अल्पावधि अनुमति पत्र के लिए दिनांक 24.04.2020 को ऑनलाईन आवेदन पत्र पेश किया गया, जिसकी हार्ड कॉपी दिनांक 24.04.2020 को कार्यालय में प्रस्तुत की गई।

संवेदक फर्म द्वारा नियमानुसार रॉयल्टी राशि, परमिट फीस कुल राशि रु 117100/- जरिये चालान संख्या जीआरएन 0039216292 दिनांक 24.04.2020 (चालान में अंकित राशि रु 378300/-) से जमा करा दी गई है व डी.एम.एफ.टी. राशि रु 10400/- जरिये चालान संख्या जीआरएन 0039216321 दिनांक 24.04.2020 (चालान में अंकित राशि रु 33600/-) तथा टीसीएस राशि रु 2080/- जरिये चालान संख्या 00703 दिनांक 24.04.2020 (चालान में अंकित राशि रु 6720/-) से जमा करा दिये गये है।

अतः एतद्वारा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 51 (9) (ii) तथा 74 (i) के अनुसार निर्धारित शर्तों पर नीचे अंकित विवरण अनुसार खनिज उठाने की अनुमति जारी की जाती है। उक्त अनुमति की अवधि दिनांक 28.04.2020 से 27.10.2020 तक वैध होगी।


क्र. सं.	नाम खनिज	खनिज की मात्रा (टन में)	रॉयल्टी की दर	कुल रॉयल्टी राशि रु	परमिट फीस राशि रु	कुल राशि रु	खनिज उठाने का स्थान
1	2	3	4	5	6	8	9
1	साधारण मिट्टी	26000 टन	4/-	104000/-	13100/-	117100/-	क्षेत्रफल 0.9293 हेक्टर खसरा संख्या 273/21 राजस्व ग्राम सवाईपुरा तहसील रोहट जिला पाली में किये गये संयुक्त सीमांकन रिपोर्ट अनुसार

**विशेष शर्त:-**

1. अनुमतिधारक किसी तीसरे पक्ष के विरुद्ध सरकार को क्षतिपूर्ति करेगा तथा ऐसे दावे को जैसे ही वह उत्पन्न हो, समाधान करेगा।
2. अनुमतिधारक सड़क/भवन, भू-ग्रादि या सार्वजनिक मैदानों/स्थान में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा या उनको कोई नुकसान नहीं करेगा।
3. अनुमतिधारक को विभाग द्वारा ऐसी हिदायत दी जाने पर जहां से खनिज निकाला गया हो सुरक्षा के लिए गड्ढे को पाट देगा या उसके चारों ओर बाड़ लगा देगा।
4. ठेकेदार पत्थर, गिट्टी का उपयोग चिप्स बनाने हेतु नहीं करेगा।

TRUE COPY


5. अनुमतिधारक द्वारा बाद अवधि के एवं अधिक मात्रा में निकाले गये खनिज पर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 51 (11) के तहत पेनल्टी एवं रॉयल्टी राशि की दस गुणा राशि देनी होगी तथा आवेदित क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य भूमि में खनन कार्य नहीं करेगा।
6. अनुमतिधारी खनिज दोहन किसी अन्य भूमि/चारागाह/केचमेंट एरिया/वन विभाग द्वारा आरक्षित भूमि/रक्षित अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान तथा उनके सेफटी जोन/विभिन्न न्यायालयों द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र/किसी व्यक्ति या संस्था की निजी भूमि में उसकी लिखित सहमति के बिना तथा वैध पट्टाधारी/लाइसेंसी के स्वीकृत क्षेत्र/पंचायत हेतु आरक्षित भूमि/गोचर भूमि/पंचायत द्वारा पौधारोपण क्षेत्र आदि में नहीं करेगा।
7. अनुमतिधारक वन सीमा खनन स्थल के नजदीक हों तो वन सीमा से नियमानुसार निर्धारित दूरी छोड़कर ही खनन कार्य करेंगे तथा सार्वजनिक रास्ते, नदी, नाले व सार्वजनिक स्थल जैसे मंदिर इत्यादि एवं आबादी से नियमानुसार निर्धारित दूरी छोड़कर खनन कार्य करेंगे।
8. खनन कार्य करते समय हैवी ब्लास्टिंग नहीं करेंगे, यदि की जाती है, तो तकनीकी व्यक्ति (ब्लास्टर) की देखरेख में की जाये एवं सुरक्षा के नियमों की पूर्णतया पालना करेंगे।
9. अनुमतिधारक द्वारा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 74 (1) के अनुसार 2 मीटर गहराई तक ही खनन कार्य किया जायेगा तथा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 तथा इसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनों की पूर्णतया पालना करनी होगी।


  
खनि अभियन्ता,  
सोजत सिटी  
दिनांक 28.04.2020

क्रमांक:-समसंख्यक- 776

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

1. श्रीमान् प्रबंधक, नायरा एनर्जी लिमिटेड पता - खामभालिया, पोस्ट बॉक्स नम्बर-24 जिला देवभूमि द्वारका (गुजरात)-361305
2. खनि कार्यदेशक-II कार्यालय हाजा।
3. मैसर्स एस. पी. कन्सट्रक्शन निवासी - 8 बी, साउथ पार्ट, कृष्णा नगर, गोपालपुरा, जयपुर।

  
खनि अभियन्ता,  
सोजत सिटी

  
"True Copy"

श्रीमान श्री अयोधक पब्लिक प्रदायक

क्रमांक 7066  
संज्ञाने

दिनांक 10-09-2020

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय,  
पाली जिला पाली।

संबन्धित : श्रीमान सप अधीक्षक पुलिस प्रशासिकारी महोदय पाली प्रमाणित।

विषय : प्रार्थना पत्र द्वारा नायरा एनर्जी लिमिटेड को ग्राम सवाईपुर तहसिल रोहट में पेट्रोलियम खनन 2002 के अन्तर्गत पेट्रोलियम पदार्थ के खनन/संग्रहण/ विक्रय हेतु अलापति प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में जोच रिपोर्ट।

प्रसंग : श्रीमान के आवेदन क्रमांक पाली/ विशा/ दिनांक/ 2020/ 2020-20 दिनांक 03.09.2020 की शालना में।

श्रीमान

सम्बन्धित विषय एवं प्रसंगान्तर्गत भिन्नता है कि प्रार्थना पत्र द्वारा नायरा एनर्जी लिमिटेड को ग्राम सवाईपुर तहसिल रोहट में पेट्रोलियम खनन 2002 के अन्तर्गत पेट्रोलियम पदार्थ के खनन/संग्रहण/ विक्रय हेतु अलापति प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में जोच रिपोर्ट निम्नानुसार किन्तु श्रीमान की शिकायत प्रेषित है -

1. प्रस्तावित स्थल का ग्राम का नाम, खसरा नम्बर व रकबा तथा भूमी का स्वामित्व किन्तु है - प्रस्तावित स्थल का ग्राम सवाईपुर तहसिल रोहट जिला पाली, खसरा नम्बर व रकबा क्रमांक 276/2, 273/19, 273/4, 272, 279/23, 276, 276/1, 276/2, 277/1, 279/35, 277, 279/21, 276/17, 278/1, 279/18, 279/4, 279/28, 279/38, 279/24 कुल रकबा 234797.38 वर्गमीटर है, भूमी का स्वामित्व नायरा एनर्जी लिमिटेड सवाईपुर का है।
2. आवेदक का नाम, पता व मोबाइल नम्बर :- श्री अयोधक कुमार चौधरी पुत्र श्री प्रदीपका चौधरी जाति ब्राह्मण उम्र 34 साल पेशा प्राइवेट नौकरी निवासी कन्दोली पुलिस थाना इलीगारपुर जिला समस्तीपुर (बिहार) आज प्रोजेक्ट मैनेजर नायरा एनर्जी लिमिटेड ग्राम सवाईपुर पुलिस थाना रोहट जिला पाली मो 9939950411, 00534967454.
3. प्रस्तावित स्थल पर पेट्रोलियम पदार्थ के खनन/संग्रहण/ विक्रय हेतु जियो लॉगिंग जॉर्नल का कानून व्यवस्था की शिकायत :- प्रस्तावित स्थल ग्राम सवाईपुर तहसिल रोहट में स्थित है जो पुलिस थाना रोहट से दक्षिण-पश्चिम दूरी 44 किलोमीटर दूरी पर तथा पुलिस थाना कोरला से दक्षिण-पश्चिम दूरी 02 किलोमीटर दूरी पर है प्रस्तावित जमीन खनन जॉर्नल पर कानून व्यवस्था प्रस्तावित होने की कोई सम्भावना नहीं है, शिकायत में ऐसा कोई शिथिल उल्लेख नहीं है जो प्रस्तावित स्थल से मात्र 02 किलोमीटर दूरी पर स्थित नौकरी निवासी निवासी है जहाँ से सूचना प्राप्त होने से मात्र 05 मिनट में पुलिस थाना को शिकायत सुनिश्चित होकर कानून व्यवस्था की शिकायत को समर्थ जिले में प्रेषित किया जा सकता है।

प्रस्तावित स्थल पर पेट्रोलियम पदार्थ के खनन/संग्रहण/ विक्रय हेतु जियो लॉगिंग जॉर्नल का कानून व्यवस्था प्रस्तावित होने की कोई सम्भावना नहीं है, शिकायत में ऐसा कोई शिथिल उल्लेख नहीं है जो प्रस्तावित स्थल से मात्र 02 किलोमीटर दूरी पर स्थित नौकरी निवासी निवासी है जहाँ से सूचना प्राप्त होने से मात्र 05 मिनट में पुलिस थाना को शिकायत सुनिश्चित होकर कानून व्यवस्था की शिकायत को समर्थ जिले में प्रेषित किया जा सकता है।

TRUE COPY

I have been thinking of you very much lately  
 and wondering how you are getting on.  
 I hope you are well and happy.  
 I have not much news to write at present.  
 I am still in the same old place.  
 I have not much news to write at present.  
 I am still in the same old place.  
 I have not much news to write at present.  
 I am still in the same old place.

I have not much news to write at present.  
 I am still in the same old place.  
 I have not much news to write at present.  
 I am still in the same old place.

I have not much news to write at present.  
 I am still in the same old place.

I have not much news to write at present.  
 I am still in the same old place.

I have not much news to write at present.  
 I am still in the same old place.

I have not much news to write at present.  
 I am still in the same old place.

Annexure 27

जिला माली (संज.)

दिनांक 8.10.2020

81

कार्यालय उपखण्ड

क्रमांक/पत्रावली/2020/1067

विषय-

भीमान जिला कालक्टर महोदय को ग्राम सवाईपुरा तहसील रोहट में

विषय प्रार्थना पत्र द्वारा नायरा एम्प्लॉय लिमिटेड को ग्राम सवाईपुरा तहसील रोहट में कुल रकम 234787.35 रुपये की भूमि पर नया रिटेल आउटलेट स्थापित करने के लिए प्रार्थना पत्र के संबंध में जांच रिपोर्ट निजवाने बाबत।  
संलग्न प्रमाण-पत्र जारी करने के संबंध में जांच रिपोर्ट निजवाने बाबत।  
प्रमाण-पत्र जारी करने के संबंध में जांच रिपोर्ट निजवाने बाबत।  
दिनांक 8.10.2020 / 1067

महोदय

उपरोक्त प्रमाणित विवरणों के अनुसार ग्राम सवाईपुरा तहसील रोहट में कुल रकम 234787.35 रुपये की भूमि पर नया रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु नायरा एम्प्लॉय लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के संबंध में जांच निरीक्षण की जाच तहसीलदार रोहट द्वारा की गई जिसकी सूचना संलग्न इस पत्र के साथ भीमान की सेवा में अनिवार्य आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रस्तुत है।

संलग्न- उपरोक्तानुसार

3

उपखण्ड अधिकारी  
रोहट

TRUE COPY





कार्यालय  
उप वन संरक्षक  
रेल्वे स्टेशन के पास,  
सरदार पटेल नगर, पाली  
दूरभाष नं. 02932-280798



Annexure - R/20

Office of the  
Deputy Conservator of forest  
Near Railway Station,  
Sardar Patel Nagar, Pali  
Email : dcfpali@gmail.com

क्रमांक : एफ ( ) उवसं/सर्वे/2020-21/4724  
निमित्त :- अति. जिला मजिस्ट्रेट,  
पाली।

दिनांक 16.10.2020

विषय:-प्रार्थना पत्र द्वारा नायरा एनर्जी लिमिटेड को ग्राम-सवाईपुरा,तहसील-रोहट में  
पैट्रोलियम रूल्स, 2002 के अन्तर्गत पैट्रोलियम पदार्थ संग्रहण केंद्र स्थापना हेतु  
अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु जांच रिपोर्ट के संबंध में।

संदर्भ:-कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट पाली का पत्रांक एफ.21(10)(32)न्याय/2020/  
77259-65 दिनांक 31.10.2020।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रबंधक,आवासीय निर्माण नायरा एनर्जी लिमिटेड पाली  
डिपो द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार ग्राम- सवाईपुरा,तहसील-रोहट के खसरा सं. 278/2, 273/19,  
273/4, 272, 279/23, 276, 276/1, 276/2, 277/1, 279/35, 277, 279/27, 273/17, 278/1,  
279/16, 279/4, 279/28, 279/38 व 279/24 की भूमि में पैट्रोलियम रूल्स, 2002 के अन्तर्गत  
21090 कि.ली. पैट्रोलियम पदार्थ संग्रहण केंद्र क्लास बी स्थापित करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु  
आवेदन प्रस्तुत कर संबंधित प्रार्थना पत्र, साईट प्लान एवं भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज प्रेषित किये  
थे।

क्षेत्रीय वन अधिकारी,पाली ने प्रस्तावित स्थल के साईट प्लान के अनुसार मौका जांच कर  
अवगत कराया कि :-

1. आवेदित क्षेत्र वनभूमि नहीं है।
2. आवेदित क्षेत्र निकटतम वनक्षेत्र से लगभग 10 कि.मी. दूरी पर स्थित है।
3. आवेदित क्षेत्र से 10 कि.मी. के दायरे में राष्ट्रीय उद्यान/वन्यजीव अभ्यारण्य/कंजरवेशन रिजर्व नहीं है।

रिपोर्ट सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु मय साईट प्लान मूल हस्ताक्षरित नक्शा प्रेषित  
है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

उप वन संरक्षक  
पाली

TRUE COPY

कार्यालय  
उप वन संरक्षक  
रेल्वे स्टेशन के पास,  
सरदार पटेल नगर, पाली  
दूरभाष नं. 02932-280798



Office of the  
Deputy Conservator of forest  
Near Railway Station,  
Sardar Patel Nagar, Pali  
Email : dcfpali@gmail.com

क्रमांक : एफ ( ) उवसं/सर्वे/2020-21/4724  
निमित्त :- अति. जिला मजिस्ट्रेट,  
पाली।

दिनांक 16.10.2020

विषय:-प्रार्थना पत्र द्वारा नायरा एनर्जी लिमिटेड को ग्राम-सवाईपुरा,तहसील-रोहट में  
पेट्रोलियम रूल्स, 2002 के अन्तर्गत पेट्रोलियम पदार्थ संग्रहण केंद्र स्थापना हेतु  
अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु जांच रिपोर्ट के संबंध में।

संदर्भ:-कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट पाली का पत्रांक एफ.21(10)(32)न्याय/2020/  
77259-65 दिनांक 31.10.2020।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रबंधक,आवासीय निर्माण नायरा एनर्जी लिमिटेड पाली  
डिपो द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार ग्राम-सवाईपुरा,तहसील-रोहट के खसरा सं. 278/2, 273/19,  
273/4, 272, 279/23, 276, 276/1, 276/2, 277/1, 279/35, 277, 279/27, 273/17, 278/1,  
279/16, 279/4, 279/28, 279/38 व 279/24 की भूमि में पेट्रोलियम रूल्स, 2002 के अन्तर्गत  
21090 कि.ली. पेट्रोलियम पदार्थ संग्रहण केंद्र क्लास बी स्थापित करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु  
आवेदन प्रस्तुत कर संबंधित प्रार्थना पत्र, साईट प्लान एवं भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज प्रेषित किये  
थे।

क्षेत्रीय वन अधिकारी,पाली ने प्रस्तावित स्थल के साईट प्लान के अनुसार मौका जांच कर  
अवगत कराया कि :-

1. आवेदित क्षेत्र वनभूमि नहीं है।
2. आवेदित क्षेत्र निकटतम वनक्षेत्र से लगभग 10 कि.मी. दूरी पर स्थित है।
3. आवेदित क्षेत्र से 10 कि.मी. के दायरे में राष्ट्रीय उद्यान/वन्यजीव अभ्यारण्य/कंजरवेशन रिजर्व नहीं है।

रिपोर्ट सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु मय साईट प्लान मूल हस्ताक्षरित नक्शा प्रेषित  
है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

उप वन संरक्षक  
पाली

" True Copy "





जोधपुर विद्युत वितरण निगम, लिमिटेड

Annexure-A/30

सीआईएन U40109RJ2000SGC016483 रजि. कार्यालय-न्यू पावर हाउस जोधपुर-342003

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता (पवस) पाली ई-मेल-xenpali@yahoo.com

औद्योगिक थाने के सामने सरदार समन्द रोड, पाली, फोन न.-02932-281401

क/जोविविनिलि/अधि.अभि./पवस/पाली/अनु...../प्रे.....दि.....

श्रीमान् प्रभारी अधिकारी (न्याय शाखा)  
कलक्ट्रेट पाली।

विषय :- प्रार्थना पत्र द्वारा नायरा एनर्जी लिमिटेड को ग्राम सवाईपुरा तहसील रोहट पेट्रोलियम रूल्स 2002 के अन्तर्गत पदार्थों के क्रय/संग्रहण/विक्रय हेतु अनापति प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में जाँच कर रिपोर्ट भिजवाने हेतु।

सन्दर्भ :- श्रीमान् कार्यालय पत्रांक एफ 21 (10)(32) न्याय/2020/77259-77265 दिनांक 31.08.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हैं कि श्रीमान् प्रबंधक आवासीय निर्माण नायरा एनर्जी लिमिटेड पाली डिपों ने ग्राम सवाईपुरा तहसील रोहट के खसरा संख्या 278/2, 273/19, 273/4, 272, 279/23, 276, 276/1, 276/2, 277/1, 279/35, 277, 279/27, 273/17, 278/1, 279/16, 279/4, 279/28, 279/38 एवं 279/24 कुल रकबा 234797.39 वर्ग मीटर भूमि पर पेट्रोलियम क्लास ए में 8000 कि.ली. एव पेट्रोलियम क्लास बी में 21090 कि.ली. पेट्रोलियम पदार्थ हेतु प्रस्तावित है।

पेट्रोल अधिष्ठापन के प्रस्तावित स्थल के आस-पास 1.0 किलोमीटर की दूरी तक विद्युत सप्लाई लाईन नहीं है।

प्रस्तावित स्थल पर पेट्रोलियम पदार्थों के क्रय/संग्रहण/विक्रय रेल फेड पेट्रोलियम स्टोरेज हेतु उपयुक्त है।

यदि इसमें उपरोक्त संस्था द्वारा पेट्रोलियम पदार्थों के क्रय/संग्रहण/विक्रय रेल फेड पेट्रोलियम स्टोरेज का कार्य किया जाता है तो विद्युत विभाग को किसी प्रकार की आपत्ती नहीं है।

(मनीष माथुर)

अधिशाषी अभियन्ता (पवस)  
जोधपुर डिस्कॉम, पाली।

TRUE COPY

REFERENCE DRAWINGS:

1. FOR TANK SECTIONAL LAYOUT, REFER DRAWING NO. J-5067-C-DW-0268 R0
2. FOR SCHEMATIC FIRE FIGHTING LAYOUT REFER DRAWING NO. J-5067-C-DW-0216 R0
3. FOR HAZARDOUS AREA CLASSIFICATION REFER DRAWING NO. J-5067-C-DW-0213 R0
4. FOR PUMP HOUSE SECTION REFER DRAWING NO. J-5067-C-DW-0269 R0



88

REV.	DATE	DESCRIPTION	DRN BY	CHD BY	APP BY
01	13.07.2020	ISSUED FOR REVIEW & PESO APPROVAL	WVG	LV	BK
0	06.03.2020	ISSUED FOR REVIEW & PESO APPROVAL	WVG	LV	BK

ADM
15
227.55
235.37
179.1
70.74
6
15
660.38
33.17
X

CLIENT :



**NAYARA ENERGY LTD.**

*21/2/20*

PROJECT :

CONSTRUCTION OF RAIL FED DEPOT AT VILLAGE SWAIPURA/  
CHOTILA, DIST-PALI, RAJASTHAN.

CONSULTANT :



TITLE :

OVERALL PLOT PLAN FOR PESO APPROVAL

DRAWING No. J-5067-C-DW-0201 | SHEET: 1 of 1 | REV. 01 | SCALE: 1:1750

2

1

\* उक्त प्लॉट के नजदीकी 100 मीटर तक कोई भी  
साइन स्थापित नहीं है।

Asstt. Engineer (O.S. & M) Executive Engineer (O&V)  
Jodhpur Region, Pali

True Copy

# कार्यालय नगर परिषद, पाली (राज०)

(लालबहादुर शास्त्री टाऊन हॉल, सुरजपोल के पास, पाली-सगरवाड़, राज०, पिनकोड-306401)

(टेली-फैक्स:-02932-221301, ई-मेल:-cmcpali@yahoo.co.in, वेब-साईट www.mcpli.com) Annexure-R/31

क्रमांक प.18 ( ) अग्नि/2020/ 1603

दिनांक :- 10.11.2020

श्रीमान प्रभारी अधिकारी (न्याय शाखा)  
कलक्ट्रेट पाली (राज.)।

89

विषय :- नायरा एनर्जी लिमिटेड पाली डिपो ने ग्राम सवाईपुरा तहसील रोहट जिला पाली मे पेट्रोलियम पदार्थों के कय/संग्रहण/ विक्रय करने हेतु अनापति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत।

प्रसंग :- आपका पत्र क्रमांक एफ 21(10)(32)न्याय/2020/77259-77266 दिनांक 31.08.2020 के सन्दर्भ में। महोदयजी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि नायरा एनर्जी लिमिटेड पाली डिपो ने ग्राम सवाईपुरा तहसील रोहट जिला पाली के खसरा नं. 278/2, 273/19, 273/4, 272, 279/23, 276, 276/1, 277/2, 277/1, 279/35, 277, 279/27, 273/17, 278/1, 279/16, 279/4, 279/28, 279/38 एवं 279/24 कुल रकबा 234797.35 वर्गमीटर भूमि पर पेट्रोलियम क्लास "ए" मे 8000 कि.ली. एवं पेट्रोलियम क्लास "बी" मे 21090 की.ली. पेट्रोलियम पदार्थों के कय/संग्रहण/विक्रय हेतु रेल फेड पेट्रोलियम स्टोरेज स्थापित करने हेतु प्रार्थना पत्र साईट प्लान एवं भूमि के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत कर अनापति प्रमाण पत्र जारी करने का अनुरोध किया है।

प्रस्तावित पेट्रोलियम पदार्थों के कय/संग्रहण/विक्रय स्टोरेज के स्थान का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान पेट्रोलियम पदार्थों स्टोरेज हेतु स्थान उपयुक्त पाया गया है। पेट्रोलियम पदार्थों स्टोरेज के सामने पाली से जोधपुर रोड आया हुआ है।

अतः पेट्रोलियम पदार्थों स्टोरेज के कय/संग्रहण/विक्रय के स्थापित करने के साथ ही निम्न अग्निशमन उपकरण लगाने होंगे :-

1. पेट्रोलियम पदार्थों स्टोरेज टैंक जमीन या ऊपर के लगाना होगा।
2. सभी पेट्रोलियम पदार्थों स्टोरेज पर साफ्लाइं पॉइंटो पर एबीसी सिलेण्डर, सी.ओ.टु सिलेण्डर एब मिटटी के ब्रेकेट लगाने होंगे।
3. बिजली बोर्ड के पास सी.ओ.टु, व एबीसी सिलेण्डर लगाने होंगे।
4. 4000लीटर लिक्विड फौम का स्टोरेज रखना होगा।
5. 5लाख लीटर का पानी का टैंक बनाना होगा जिस पर उच्चा हा.पॉवर की मोटर के साथ पर्याप्त पाईप लगाना होगा।
6. फायर हाईड्रेन्ट व फायर बॉक्स नोजर मय ब्रांच अग्निशमन यंत्र लगाना होगा जिसका कनेक्शन पानी की मोटर से करना होगा।
7. पेट्रोलियम पदार्थों स्टोरेज पर उच्च क्वालिटी के सी.सी. टी वी केमरे लगावें जिसमें नाईट विजन की सुबिधा हो।
8. पेट्रोलियम पदार्थों स्टोरेज पर सायरन/आलार्म लगाया जावें जिसकी आवश्यकता पडने पर कार्य में लिया जावें।
9. अग्नि शमन यंत्रों का उपयोग करने हेतु अनुभवी कर्मचारी नियुक्त किये जावें।
10. पेट्रोलियम पदार्थों के कय/संग्रहण/विक्रय के स्थान हर वर्ष अग्निशमन अधिकारी से निरीक्षण करवाना होगा।
11. आपात सेवाओं के दुरभाष नम्बर व घुम्रपान निषेध का सायरन बोर्ड लगाना होगा।
12. प्रस्तावित पेट्रोलियम पदार्थों स्टोरेज हेतु 1 से 12 तक बिन्दुओं की पालना करनी होगी।

अतः प्रस्तावित पेट्रोलियम पदार्थों के कय/संग्रहण/विक्रय स्टोरेज का निर्माण पूर्ण होने पर चालु करने से पूर्व अग्निशमन अधिकारी से पुनः निरीक्षण करवाना होगा। जिससे यह सुनिश्चित किया जा सकें कि अग्नि शमन विभाग द्वारा दिये गये निर्देशानुसार अग्नि शमन यंत्रों को सही प्रकार से स्थापित किया गया है। अथवा नहीं अग्निशमन विभाग की दृष्टि में अनापति प्रमाण पत्र जारी करने पर कोई आपत्ति नहीं है।

संलग्न :- साईड प्लान का अनुमोदन कर निरीक्षण रिपोर्ट श्रीमान की सेवा में प्रेषित है।

TRUE COPY

सहायक अग्निशमन अधिकारी  
नगर परिषद पाली।

NT ENTRY SIDE PRG. ROAD

## LEGEND:

1. PAVEN BLOCK 
2. GREEN BELT 

## NOTES:

1. ALL DIMENSIONS ARE IN METER GUIDELINES.
2. ALL INSIDE ROADS ARE 7.0 MTR WIDE INCLUDING BO
- \* 3. LAYOUT AND OTHER DETAILS FOR RAILWAY SIDING TR CONSULTANT.

## REFERENCE DRAWINGS:

1. FOR TANK SECTIONAL LAYOUT, REFER DRAWING NO. J-5067-C-DW-0268 RO
2. FOR SCHEMATIC FIRE FIGHTING LAYOUT REFER DRAWING NO. J-5067-C-DW-0216 RO
3. FOR HAZARDOUS AREA CLASSIFICATION REFER DRAWING NO. J-5067-C-DW-0213 RO
4. FOR PUMP HOUSE SECTION REFER DRAWING NO. J-5067-C-DW-0269 RO

मकाला सत्यापित  
सहायक अग्निशमन अधिकारी  
नगर परिषद, पाली

AREA
AREA (SQ.M)
34797.35
11632.39 (34.21%)

8		9		10	
Required	ADM	Required	ADM	Required	ADM
30	728.46	X	82.84	15	15
50	240.8	60	174.37	60	227.55
39	271.5	30	178.83	30	235.37
50	430	30	120.75	30	179.1
5	603.6	6	33.17	6	70.74
15	15	15	26	6	6.2
50	380.7	12	82.08	6	15
X	X	45	609.3	30	660.38
45	609.3	X	X	6	33.17
30	660.38	6	33.17	X	X

01	13.07.2020	ISSUED FOR REVIEW & PESD APPROVAL
0	06.03.2020	ISSUED FOR REVIEW & PESD APPROVAL
REV.	DATE	DESCRIPTION
CLIENT		
		NAYARA ENERGY
PROJECT : CONSTRUCTION OF RAIL FED DE CHOTILA, DIST-PALI,		
CONSULTANT		
TITLE : OVERALL PLOT PLAN FOR PES		
DRAWING No: J-5067-C-DW-0201		SHEET: 1 of 1 REV

3

2

TRUE COPY

प्रपत्र-4

रसीद

नियम 22, 23 एवं 24 (1)

**कार्यालय नगर परिषद, पाली (राज.)**

पुस्तक संख्या 1858

क्रम संख्या 56

दिनांक 10/11/2020

श्री नाथरा एनपी विमिडे गाम अवाधिपत्रा तहसील बीधर

रुपये (शब्दों में) दो हजार एक सौ मात्र

बाबत निरिभण शुल्क (अभिषेकन कायम सैस)

किस समय तक

मांग पत्र का पूरा/हिस्सा रुपये प्राप्त हुये।

₹ 2100/-

= 2100/-

8 ह. आयुक्त/प्रशासक

"True Copy"

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, सोजत सिटी जिला पाली

क्रमांक:-खअ/सोजत/एसटीपी/नियम-51(9)(2)/57/2021/

दिनांक

:-अल्पावधि अनुमति पत्र:-

मैसर्स एस.पी. कन्स्ट्रक्शन निवासी- 8बी, साउथ पार्क, कृष्णा नगर, गोपालपुरा, जयपुर ने श्रीमान प्रबन्धक, नायरा एनर्जी लिमिटेड, पता- खामभालिया, पोस्ट बॉक्स नम्बर-24 जिला देवभूमि द्वारका (गुजरात) के कार्यदेश क्रमांक 6300002403 दिनांक 13.11.2019 के द्वारा Civil Construction contract for Petroleum Storage Depot at Pali. के लिए राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 51 (9) (ii) तथा नियम 74(ii) के अनुसार निम्नानुसार रॉयल्टी पेड खनिज क्रय करने हेतु अल्पावधि अनुमति पत्र के लिए दिनांक 13.02.2021 को ऑनलाईन आवेदन पत्र पेश किया गया, जिसकी हार्ड कॉपी दिनांक 15.02.2021 कार्यालय में प्रस्तुत की गई।

संवैदक फर्म द्वारा नियमानुसार रॉयल्टी राशि रुपये 5,00,000/- जरिये ई-चालान संख्या 47499796 दिनांक 15.02.2021 परमिट फीस राशि रुपये 10,000/- जरिये ई-चालान संख्या 47500417 दिनांक 15.02.2021 से जमा करा दी गई है व डी.एम.एफ.टी. राशि रुपये 50,000/- जरिये ई-चालान संख्या 47505097 दिनांक 15.01.2021 व आर.एस.एम.ई.टी. राशि रुपये 10,000/- जरिये डी.डी. संख्या 44193797 दिनांक 10.02.2021 तथा एवं टी.सी.एस. राशि रुपये 10,000/- जरिये चालान संख्या 01447 दिनांक 15.02.2021 से जमा करा दिये गये है।

अतः एतद्वारा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम नियम 51 (9) (ii) तथा नियम 74(ii) के अनुसार निर्धारित शर्तों पर नीचे अंकित विवरण अनुसार खनिज उठाने की अनुमति जारी की जाती है। उक्त अनुमति की अवधि दिनांक 16.02.2021 से 28.02.2021 तक वैध होगी।

क्र. सं.	नाम खनिज	खनिज की मात्रा (टन में)	रॉयल्टी की दर	कुल रॉयल्टी राशि रु	परमिट फीस राशि रु	कुल राशि रु	खनिज उठाने का स्थान
1	2	3	4	5	6	8	9
1	मुरम	20,000 टन	25/-	5,00,000/-	10,000/-	5,10,000/-	खसरा संख्या 273/21 राजस्व ग्राम-सवाईपुरा तह. रोहट जिला पाली में किए गये मौका रिपोर्ट दिनांक 19.01.2021 अनुसार खनन पीट क्षेत्र में खनिज मुरम जो विभिन्न ढेरियों के रूप में स्टैक किया हुआ है। मे से

विशेष शर्त:-

1. अनुमतिधारक किसी तीसरे पक्ष के विरुद्ध सरकार को क्षतिपूर्ति करेगा तथा ऐसे दावे को जैसे ही वह उत्पन्न हो, समाधान करेगा।
2. अनुमतिधारक सड़क/भवन, भू-ग्रादि या सार्वजनिक मैदानों/स्थान में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा या उनको कोई नुकसान नहीं करेगा।
3. अनुमतिधारक को विभाग द्वारा ऐसी हिदायत दी जाने पर जहां से खनिज निकाला गया हो सुरक्षा के लिए गड्ढे को पाट देना या उसके चारों ओर बाड़ लगा देना।
4. ठेकेदार पत्थर, गिट्टी का उपयोग चिप्स बनाने हेतु नहीं करेगा।

TRUE COPY

5. अनुमतिधारक द्वारा बाढ़ अवधि के एवं अधिक मात्रा में निकाले गये खनिज पर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 51 (11) के तहत पेनल्टी एवं रॉयल्टी राशि की दस गुणा राशि देनी होगी तथा आवेदित क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य भूमि में खनन कार्य नहीं करेगा।
6. अनुमतिधारी खनिज दोहन किसी अन्य भूमि/चारागाह/केचमेंट एरिया/वन विभाग द्वारा आरक्षित भूमि/रक्षित अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान तथा उनके सेफटी जोन/विभिन्न न्यायालयों द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र/किसी व्यक्ति या संस्था की निजी भूमि में उसकी लिखित सहमति के बिना तथा वैध पट्टाधारी/लाइसेंस की स्वीकृत क्षेत्र/पंचायत हेतु आरक्षित भूमि/गोबर भूमि/पंचायत द्वारा पौधारोपण क्षेत्र आदि में नहीं करेगा।
7. अनुमतिधारक वन सीमा खनन स्थल के नजदीक हो तो वन सीमा से नियमानुसार निर्धारित दूरी छोड़कर ही खनन कार्य करेंगे तथा सार्वजनिक रास्ते, नदी, नाले व सार्वजनिक स्थल जैसे मंदिर इत्यादि एवं आबादी से नियमानुसार निर्धारित दूरी छोड़कर खनन कार्य करेंगे।
8. खनन कार्य करते समय हेवी ब्लास्टिंग नहीं करेंगे, यदि की जाती है, तो तकनीकी व्यक्ति (ब्लास्टर) की देखरेख में की जाये एवं सुरक्षा के नियमों की पूर्णतया पालना करेंगे।
9. अनुमतिधारक द्वारा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 74(1) के अनुसार 2 मीटर गहराई तक ही खनन कार्य किया जायेगा तथा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 तथा इसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनों की पूर्णतया पालना करनी होगी।

  
 खनि अभियन्ता,  
 सोजत सिटी  
 दिनांक 16/02/2021

क्रमांक:-समसंख्यक- 416

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

1. श्रीमान् प्रबन्धक, नायरा एनर्जी लिमिटेड, पता- खामभालिया, पोस्ट बॉक्स नम्बर-24 जिला देवभूमि द्वारका (गुजरात) 361305 को भेजकर निवेदन है कि उक्त निर्माण कार्य में अंतिम बिल का भुगतान इस कार्यालय द्वारा अदेयता/अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के उपरान्त ही किया जावे।
2. खनि कार्यदेशक-1 का कार्यालय हाजा, तह. रोहट।
3. मैसर्स एस.पी. कन्स्ट्रक्शन निवासी- 8बी, साउथ घाट, कृष्णा नगर, गोपालपुरा, जयपुर।

  
 खनि अभियन्ता,  
 सोजत सिटी

  
 True Copy

# कार्यालय अधिशाषी अभियंता 3, 9, 10 नि० वि०, खण्ड, पाली

क्रमांक :- अअपा/तक.सहा./21-22/

दिनांक :-

श्रीमान प्रभारी अधिकारी (न्याय शाखा)  
कलेक्ट्रेट, पाली(राज.)

Annexure - R/33

विषय :- प्रार्थना पत्र द्वारा नायरा एनर्जी लि. को ग्राम सवाईपुरा तह. रोहट स्थापित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में जांच करने हेतु।

94

प्रसंग:- आपका पत्रांक:एफ.21(10)(18)न्याय/2020/77259-65 दिनांक:31/08/2020।

महोदयजी

प्रार्थना पत्र द्वारा नायरा एनर्जी लि.को पेट्रोलियम रूल्स 2020 के अन्तर्गत में ग्राम सवाईपुरा तह. रोहट के खसरा 278/2,273/19,273/4,272,279/23,276, 276/1,276/2,277/1,279/35, 277,279/27, 273/17, 278/1, 279/16,279/4,279/28,279/38 एवं 279/24 कुल रकबा 234797.35 वर्ग मीटर पर पेट्रोलियम क्लास "ए" में 800 कि.ली. एवं पेट्रोलियम क्लास "बी" में 21090 कि.ली. पेट्रोलियम पदार्थ के क्रय/संग्रहण/विक्रय हेतु रेल फेड पेट्रोलियम स्टोरेज स्थापित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में निवेदन किया है।

नायरा एनर्जी द्वारा प्रस्तुत ट्रकों की संख्या एवं वर्तमान में इस सड़क पर चल रहे यातायात की तीन दिन की गणना के अनुसार सड़क की वर्तमान चौड़ाई 3.00/3.75 मी है, जिसकी 3.00/3.75 मी. से 7.00 मी. चौड़ाईकरण एवं सुदृढीकरण की आवश्यकता रहेगी।

इस हेतु इस कार्यालय द्वारा उचित माध्यम से चौड़ाईकरण एवं सुदृढीकरण का प्रस्ताव एवं मार्गदर्शन हेतु श्रीमान् मुख्य अभियन्ता सा नि वि राज जयपुर को प्रस्तुत किया गया। उक्त के संदर्भ में श्रीमान् मुख्य अभियन्ता सा नि वि राज जयपुर के पत्रांक:एफ7(3)/अनु-2/2021/डी-42 दिनांक:-14/07/2021 के निर्देशानुसार सड़क का चौड़ाईकरण एवं सुदृढीकरण नायरा एनर्जी लि. ग्राम सवाईपुरा तह. रोहट द्वारा किया जाएगा इस हेतु अधिशाषी अभियन्ता सा नि वि खण्ड पाली एवं श्री अबनीश कुमार चौधरी, साईट इंजार्ज नायरा एनर्जी लि. के मध्य समझौता/अनुबन्ध किया गया है जिसकी छायाप्रति त्वरित संदर्भ हेतु सलग्न प्रस्तुत है।

अतः इस समझौता/अनुबन्ध अनुसार उक्त सड़क का चौड़ाईकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य किये जाने तक नायरा एनर्जी लि. को ग्राम सवाईपुरा तह. रोहट में पेट्रोलियम पदार्थ के क्रय/संग्रहण/विक्रय हेतु रेल फेड पेट्रोलियम स्टोरेज स्थापित करने हेतु अंतरिम (Provisional) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने कि अनुशंसा एतद् द्वारा की जाती है।

कृपया अंतरिम (Provisional) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का श्रम करावे।

सलग्न :-उपरोक्तानुसार



(दिलीप परिहार)

अधिशाषी अभियंता

सा० नि० वि० खण्ड, पाली (राज.)

क्रमांक :- अअपा/तक.सहा./21-22/ 924

दिनांक :- 4/8/21

प्रतिलिपि श्री अबनीश कुमार चौधरी पुत्र श्री मनिकांत चौधरी प्रोजेक्ट मैनेजर, नायरा एनर्जी लि, ग्राम सवाईपुरा को सूचनार्थ प्रेषित है।



(दिलीप परिहार)

अधिशाषी अभियंता

सा० नि० वि० खण्ड, पाली (राज.)

Address:- P.W.D.Campus, Near Dak-Bunglow, Pali (Raj.)-306401

Email :- eepwd.pali@rediffmail.com

Telephone :-02932-220744

True Copy

राजस्थान सरकार  
कार्यालय 993 जिल्ह, पाली

क्रमांक : एफ.21(10)(32)न्याय/2020/24744

दिनांक :- 9 सितम्बर, 2021

अन्तरिम (प्रोविजनल) अनापत्ति प्रमाण पत्र

Annexure - A/34

प्रबन्धक, आवासीय निर्माण, नायरा एनर्जी लिमिटेड, पाली डिपो ने आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम सवाईपुरा तहसील रोहट के खसरा नम्बर 278/2, 273/19, 273/4, 272, 279/23, 276, 276/1, 276/2, 277/1, 279/35, 277, 279/27, 273/17, 278/1, 279/16, 279/4, 279/28, 279/38 एवं 279/24 कुल रकबा 234797.35 वर्ग मीटर भूमि पर उनकी कम्पनी को पेट्रोलियम क्लास 'ए' में 8000 कि.ली. एवं पेट्रोलियम क्लास 'बी' में 21090 कि.ली. पेट्रोलियम पदार्थ के क्रय/संग्रहण/विक्रय हेतु रेल फेड पेट्रोलियम स्टोरेज स्थापित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने का निवेदन किया है।

उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का (संलग्न) साईट प्लान के अनुसार भूमिधारी श्री महिपाल कुमावत, श्री शिवराज, श्री महेश कुमार, श्री अश्विन गाढीया, श्री हितेश गाढीया एवं श्री शशिपाल कुमावत से औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित भूमि कम्पनी द्वारा क्रय की जाने के फलस्वरूप प्रस्तुत आवेदन पत्र के संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक पाली, उपखण्ड मजिस्ट्रेट रोहट, उप वन संरक्षक पाली, जिला रसद अधिकारी पाली, अधिशाषी अभियन्ता जो.वि.वि.नि.लि. पाली, अधिशाषी अभियन्ता, सां.नि.वि., पाली, सहायक अग्निशमन अधिकारी नगर परिषद पाली, एवं सरपंच ग्राम पंचायत, चोटीला से उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई। सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड पाली ने अपने पत्र में वर्णित शर्तों के अध्यक्षीन अन्तरिम (प्रोविजनल) अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किये जाने की अनुशंसा की है।

अतः उपरोक्त संबंध में सभी सम्बद्ध विभाग/कार्यालयों से प्राप्त अनुकूल जांच रिपोर्ट को दृष्टिगत रखते हुए प्रबन्धक, आवासीय निर्माण, नायरा एनर्जी लिमिटेड, पाली डिपो को ग्राम सवाईपुरा तहसील रोहट जिला पाली के खसरा नम्बर 278/2, 273/19, 273/4, 272, 279/23, 276, 276/1, 276/2, 277/1, 279/35, 277, 279/27, 273/17, 278/1, 279/16, 279/4, 279/28, 279/38 एवं 279/24 कुल रकबा 234797.35 वर्ग मीटर भूमि पर पेट्रोलियम क्लास 'ए' में 8000 कि.ली. एवं पेट्रोलियम क्लास 'बी' में 21090 कि.ली. पेट्रोलियम पदार्थ के क्रय/संग्रहण/विक्रय हेतु रेल फेड पेट्रोलियम स्टोरेज स्थापित करने हेतु निम्न शर्तों की पालना करने के अध्यक्षीन अन्तरिम (प्रोविजनल) अनापत्ति प्रमाण-पत्र एतद्वारा जारी किया जाता है :-

1. सहायक अग्निशमन अधिकारी, नगर परिषद, पाली के पत्रांक 1603 दिनांक 10.11.2020 में वर्णित शर्तों की पालना की जावे एवं कार्य पश्चात पुनः निरीक्षण करवाकर ही पम्प चालू किया जावे। (प्रति संलग्न)
2. भूमि संपरिवर्तन आदेशों में वर्णित शर्तों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।
3. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड पाली के पत्रांक 923 दिनांक 4.06.2021 में वर्णित शर्तों के अध्यक्षीन अन्तरिम (प्रोविजनल) अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया गया है। (प्रति संलग्न)
4. कम्पनी को भारत/राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।
5. कम्पनी को पेट्रोलियम एक्ट तथा पेट्रोलियम नियम 2002 के प्रावधानों एवं सभी सुसंगत नियमों/निर्देशों व सभी सुरक्षा एवं पर्यावरण मानकों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।
6. माननीय उच्चतम न्यायालय/राजस्थान उच्च न्यायालय आदि से पेट्रोल पम्प स्थापना के संबंध में कोई प्रतिकूल निर्णय पारित होने की दशा में उक्त अनापत्ति उसके अध्यक्षीन रहेगी।

उक्त शर्तों की पालना नहीं करने की दशा में यह अन्तरिम (प्रोविजनल) अनापत्ति प्रमाण-पत्र निरस्त कर दिया जावेगा।



—sd—  
(अंश दीप)

जिला मजिस्ट्रेट, पाली

दिनांक: 9 सितम्बर, 2021

क्रमांक : सम/2021/24745-759

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1/ प्रबन्धक, आवासीय निर्माण, नायरा एनर्जी लिमिटेड, पाली डिपो को प्रमाणित साईटप्लान की प्रति के साथ प्रेषित है।
2. संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियन्त्रक, हाल संख्या 502 एवं 507, लेवल-5, ब्लॉक 2, पुराना सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स एन.एच.4, फरीदाबाद-121001
3. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, (रा.उ.मा.) राजस्थान जयपुर
4. जिला पुलिस अधीक्षक, पाली
5. उप मुख्य विस्फोटक नियन्त्रक, आमपाली सर्किल, पावर हाउस के पास, वैशाली नगर, जयपुर-302021
6. प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा कलेक्ट्रेट, पाली
7. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पाली/उप वन संरक्षक पाली/जिला रसद अधिकारी, पाली
8. अधिशाषी अभियन्ता, जो.वि.वि.नि.लि. खण्ड पाली
9. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड पाली।
10. तहसीलदार रोहट को भेजकर लेख है कि निर्माण के समय इस हेतु कम्पनी से निर्धारित शर्तों की पालना आवश्यक रूप से करवाई जाना सुनिश्चित करे। (प्रति संलग्न)
11. सहायक अग्निशमन अधिकारी, नगर परिषद, पाली
12. सरपंच, ग्राम पंचायत चोटिला प.स. रोहट
13. रक्षित पत्रावली।

True Copy

जिला मजिस्ट्रेट, पाली



Annexure - R/35

96

भारत सरकार  
Government of India  
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय  
Ministry of Commerce & Industry  
पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पेसो)  
Petroleum & Explosives Safety Organisation (PESO)  
हाल संख्या 502 एवं 507, लेवल-5, ब्लाक II, पुराना सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, एन.एच.4  
फरीदाबाद- 121001  
Hall No. 502 & 507, Level 5, Block B, Old CGO Complex, NH-4,  
Faridabad - 121001

E-mail : jtocefaridabad@explosives.gov.in  
Phone/Fax No : 0129 - 2410734, 2410732

संख्या /No. : P/NC/RJ/15/2493 (P473797)

दिनांक /Dated : 07/01/2022

सेवा में /To,

M/s. Nayara Energy Ltd.,  
5th Floor, Jet Airways Godrej BKC, Plot No. C-68, Block Bandra Kuria Complex, Bandra East,,  
Mumbai,  
District: MUMBAI,  
State: Maharashtra  
PIN: 400051

विषय /Sub : Plot No. 278/2,273/19,273/4,272,279/23,276,276/1,276/2,277/1,279/35,277,279/27,273/17,278/1,279/16,279/4,279/28,279/38,279/24, POL Depot., SWAIPURA, Taluka: Rohat, District: PALLI, State: Rajasthan, PIN: 306421 में पेट्रोलियम वर्ग A,B का अधिष्ठापन -अनुज्ञापति जारी करने के बारे में।  
Petroleum Class A,B Installation at Plot No. 278/2,273/19,273/4,272,279/23,276,276/1,276/2,277/1,279/35,277,279/27,273/17,278/1,279/16,279/4,279/28,279/38,279/24, POL Depot., SWAIPURA, Taluka: Rohat, District: PALLI, State: Rajasthan, PIN: 306421 Grant of Licence regarding.

महोदय  
/Sir(s),

कृपया आपके पत्र क्रमांक OIN973649 दिनांक 05/01/2022 का अवलोकन करें।  
Please refer to your letter No. OIN973649 dated 05/01/2022

विषयान्तर्गत अधिष्ठापन में निम्नलिखित पेट्रोलियम पदार्थों के वर्ग तथा मात्रा के भंडारण के लिए पेट्रोलियम नियम, 2002 के अधीन प्रारूप - XV में स्वीकृत, दिनांक 31/12/2024 तक वैध अनुज्ञापति संख्या P/NC/RJ/15/2493 (P473797) दिनांक 07/01/2022 भेजी जा रही है।

Licence No. P/NC/RJ/15/2493 (P473797) dated 07/01/2022 granted in Form XV under the Petroleum Rules, 2002 and valid till 31/12/2024 for the storage of the following kinds and quantities of Petroleum at the subject installation is forwarded herewith.

पेट्रोलियम का विवरण /Description of Petroleum	किलोलीटरों में अनुज्ञापित क्षमता /Quantity licenced in KL
वर्ग क प्रपुंज पेट्रोलियम /Petroleum Class A in bulk	8000.00 KL
वर्ग क प्रपुंज पेट्रोलियम से भिन्न /Petroleum Class A, otherwise than in bulk	NIL
वर्ग ख प्रपुंज पेट्रोलियम /Petroleum Class B in bulk	21090.00 KL
वर्ग ख प्रपुंज पेट्रोलियम से भिन्न /Petroleum Class B, otherwise than in bulk	NIL
वर्ग ग प्रपुंज पेट्रोलियम /Petroleum Class C in bulk	NIL
वर्ग ग प्रपुंज पेट्रोलियम से भिन्न /Petroleum Class C, otherwise than in bulk	NIL
कुल क्षमता /Total Capacity	29090.00 KL

कृपया पेट्रोलियम नियम 2002 के अधीन बनाए गए नियम 148 में दी गई प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करें और अनुज्ञापति के नवीकरण हेतु समस्त दस्तावेजों को अनुज्ञापति की वैधता समाप्ती की तारीख या उससे पूर्व Dy. Chief Controller of Explosives, Jaipur को प्रेषित करें।

Please follow the procedure strictly as laid down in rule 148 of the Petroleum Rules, 2002 and submit complete documents for the Renewal of the licence to Dy. Chief Controller of Explosives, Jaipur, so as to reach his office on or before the date on which Licence expires.

यह अनुमोदन/ अनुमति अन्य प्राधिकारियों से आवश्यक अनुमति/क्लीयरन्स प्राप्त करने से या यथा लागू अन्य विधियों से छूट नहीं देती है।

This approval/permission, however, does not absolve from obtaining necessary permission/clearance from other authorities or under other statutes as applicable.

भवदीय /Yours faithfully,

((आर.एन.मीना))  
(R.N.Meena)  
संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक  
Jt. Chief Controller of Explosives  
फरीदाबाद/Faridabad

Copy forwarded to :-

1. The District Magistrate, PALLI(Rajasthan) with reference to his NOC No F.21(10)(32)Nyay/2020/24744 Dated 09/09/2021
2. The Dy. Chief Controller of Explosives, Jaipur. A Copy of the licence along with approved plan is enclosed.

Jt. Chief Controller of Explosives  
Faridabad

(अधिक जानकारी जैसे आवेदन की स्थिति, शुल्क तथा अन्य विवरण के लिए हमारी वेबसाइट <http://peso.gov.in> देखें)  
(For more information regarding status, fees and other details please visit our website <http://peso.gov.in>)

Note:-This is system generated document does not require signature.

True Copy

Digitally signed by RAM NARAIN MEENA  
Reason: Licence No. : P/NC/RJ/15/2493  
Location:North Circle [P473797]

395

Annexure - R/36

प्ररूप XV  
(प्रथम अनुसूची का अनुच्छेद 6 देखिए)  
FORM XV  
(see Article 6 of the First Schedule)

97

अधिष्ठापनों में पेट्रोलियम के आयात और भंडारकरण के लिए अनुज्ञप्ति  
LICENCE TO IMPORT AND STORE PETROLEUM IN AN INSTALLATION

अनुज्ञप्ति सं. (Licence No.): P/NC/RJ/15/2493(P473797)

फीस रूपर (Fee Rs.) 100000/- per year

M/s. Nayara Energy Ltd., 5th Floor, Jet Airways Godrej BKC, Plot No. C-68, Block Bandra Kurla Complex, Bandra East., Mumbai, District: MUMBAI, State: Maharashtra, PIN: 400051 को केवल इसमें यथा विनिर्दिष्ट वर्ग और मात्राओं में पेट्रोलियम 29090.00 KL आयात करने के लिए और उसका, नीचे वर्णित और अनुमोदित नक्शा संख्या P/NC/RJ/15/2493(P473797) तारीख 07/01/2022 जो कि इससे उपाबद्ध है, में दिखाए गए स्थान पर भण्डारकरण के लिए पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 के उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा इस अनुज्ञप्ति की अतिरिक्त शर्तों के अधीन रहते हुए, यह अनुज्ञप्ति अनुदत्त की जाती है।

Licence is hereby granted to M/s. Nayara Energy Ltd., 5th Floor, Jet Airways Godrej BKC, Plot No. C-68, Block Bandra Kurla Complex, Bandra East., Mumbai, District: MUMBAI, State: Maharashtra, PIN: 400051 valid only for the importation and storage of 29090.00 KL Petroleum of the class and quantities as herein specified and storage thereof in the place described below and shown on the approved plan No P/NC/RJ/15/2493(P473797) dated 07/01/2022 attached hereto subject to the provisions of the Petroleum Act, 1934 and the rule made thereunder and to the further conditions of this Licence.

यह अनुज्ञप्ति 31st day of December 2024 तक प्रवृत्त रहेगी।  
The Licence shall remain in force till the 31st day of December 2024

पेट्रोलियम का विवरण /Description of Petroleum	अनुज्ञप्त मात्रा (किलोलीटरों में) /Quantity licenced in KL
वर्ग क प्रपुंज पेट्रोलियम /Petroleum Class A in bulk	8000.00 KL
वर्ग क प्रपुंज पेट्रोलियम से भिन्न /Petroleum Class A, otherwise than in bulk	NIL
वर्ग ख प्रपुंज पेट्रोलियम /Petroleum Class B in bulk	21090.00 KL
वर्ग ख प्रपुंज पेट्रोलियम से भिन्न /Petroleum Class B, otherwise than in bulk	NIL
वर्ग ग प्रपुंज पेट्रोलियम /Petroleum Class C in bulk	NIL
वर्ग ग प्रपुंज पेट्रोलियम से भिन्न /Petroleum Class C, otherwise than in bulk	NIL
कुल क्षमता /Total Capacity	29090.00 KL

January 7, 2022

Jt. Chief Controller of Explosives  
NC, Faridabad

अनुज्ञप्त परिसरों का विवरण और अवस्थान  
DESCRIPTION AND LOCATION OF THE LICENSED PREMISES

अनुज्ञप्त परिसर जिसकी विन्यास सीमाएं अन्य विशिष्टियां संलग्न अनुमोदित नक्शों में दिखाई गई हैं Plot No: 278/2,273/19,273/4,272,279/23,276,276/1,276/2,277/1,279/35,277,279/27,273/17,278/1,279/16,279/4,279/28,279/38,279/24, POL Depot., SWAIPURA, Taluka: Rohat, District: PALI, State: Rajasthan, PIN: 306421 स्थान पर अवस्थित है तथा उसमें निम्नलिखित 3 Above Ground tank(s) for CLASS A And 8 Under Ground tank(s) for CLASS A , 3 Above Ground tank(s) for CLASS B And 2 Under Ground tank(s) for CLASS B सम्मिलित हैं।

The licensed premises, the layout , boundaries and other particulars of which are shown in the attached approved plan are situated at Plot No: 278/2,273/19,273/4,272,279/23,276,276/1,276/2,277/1,279/35,277,279/27,273/17,278/1,279/16,279/4,279/28,279/38,279/24, POL Depot., SWAIPURA, Taluka: Rohat, District: PALI, State: Rajasthan, PIN: 306421 and consists of 3 Above Ground tank(s) for CLASS A And 8 Under Ground tank(s) for CLASS A , 3 Above Ground tank(s) for CLASS B And 2 Under Ground tank(s) for CLASS B together with connected facilities.

Note:-This is system generated document does not require signature.

4 True Copy

Digitally signed by RAM NARAIN MEENA  
Reason: Licence No. : P/NC/RJ/15/2493  
Location:North Circle [P473797]

396

Form-4  
(Prescribed under rule-5)  
Government of Rajasthan

Annexure-R/37

90



**REGISTRATION & LICENCE TO WORK A FACTORY**

Registration No.:- RJ/34237

Fees Rs.:- 28900/- per year

Application No.:- R-64882/CIFB/2021

Licence is hereby granted to M/S NAYARA ENERGY LIMITED valid only for the premises described below for use as factory employing not more than 150 persons on any day during the year and using motive power not exceeding 1026 HP subject to the provisions of the Factories Act, 1948 and the rule made there under.

This licence shall remain in force till the 31st day of March 2026

Date:- 03/02/2022



  
Chief Inspector of Factories and Boilers  
Rajasthan, Jaipur

**Description of the licensed premises**

M/S NAYARA ENERGY LIMITED

The licenced premises shown on Plan No. P-47338/CIFB/2021. Date 31/01/2022 are situated in KHASRA NO. 272, 273/4, 273/17, 273/19, 276, 276/1, 276/2, 277, 277/1, 278/1, 278/2, 279/4, 279/16, 279/23, 279/27, 279/35, VILLAGE-SAWAIPUR POST-CHOTILA, TEHSIL ROHAT, PALI and consist of MOTOR SPIRIT (MS), HIGH SPEED DIESEL (HSD), ETHANOL. THE DEPOT WILL RECEIVE, STORE AND DISTRIBUTE PETROLEUM PRODUCTS.

Date of Renewal	Date of Expiry	Signature of Licensing Authority
03/02/2022	31/03/2026	 Chief Inspector, Jaipur

This is a computer generated certificate and bears scanned signature. No physical signature is required on this license. You can verify this license by visiting [www.rajfab.rajasthan.gov.in](http://www.rajfab.rajasthan.gov.in) and entering Application No./ID after clicking the link for verification on the page.

  
True Copy

397

Government of India,  
Ministry of Labour & Employment  
Office of the Dy. Chief Labour Commissioner (Central),  
Shramev Jayate Bhawan, Haribhau Upadhyay Nagar (Extn.),  
Pushkar Road, Ajmer (Raj.) - 305004

Registered Post

Annexure-R/30

99

कमांक: एजे-CLRA/ALCAJMER/2020/R-01

दिनांक 28.06.2022

To,

Shri A.K. Chaudhary,  
Resident Construction Manager,  
Nayara Energy Limited, Freen Field,  
Rail Fed Petroleum Storage Depot,  
Near Kairla Railway Station, Pali-306421

28 JUN 2022


Sub: CL(R&A) Act, 1970 & CL(R&A) Central Rules, 1971 - Amendment in Registration  
No. CLRA/CLRAAJMER/2020/R-01 dated 23.04.2020 - regarding.

Dear Sir,

Please refer to your letter dated 28.06.2022 on the above subject.

In this connection, as requested, a duplicate copy of Certificate of Registration is hereby issued and necessary amendment in the Registration Certificate CLRA/CLRAAJMER/2020/R-01 dated 23.04.2020 has been made which is enclosed herewith. You are requested to intimate whenever any change is made which is or any contract work is allotted to any contractor in future and also advise please ensure that the contractors who engage 20 or more contract workmen obtains proper licence from the Licencing Officer before executing contract work in your establishment.

Encl. as above

Yours faithfully,  
  
Registering Officer and  
Assistant Labour Commissioner (Central),  
Ajmer

Copy forwarded to the LEO, Ajmer(A.B.) for information & necessary action.

Registering Officer and  
Assistant Labour Commissioner (Central), Ajmer

TRUE COPY



100

Form I

(Under Rule 18(1) of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules, 1971)  
**CERTIFICATE OF REGISTRATION FOR PRINCIPAL EMPLOYER**

Registration Number: **CLRA/ALCAJMER/2020/R-1**Date: **23-Apr-2020**

Government of India

Office of the Registering Officer

A Certificate of Registration containing the following particulars is hereby granted under sub-section (2) of section 7 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (37 of 1970) **NAYARA ENERGY LIMITED, GREEN FIELD RAIL FED PETROLEUM STORAGE DEPOT, SWAIPURA ROHAT, NEAR KAIRLA RAILWAY STATION, PALI, Rajasthan, Pali, 306421, through ABNISH KUMAR CHOUDHARY, (RESIDENT CONSTRUCTION MANAGER INFRASTRUCTURE)**

1. Nature of Work Carried on in the Establishment of Principal Employer: **OIL AND NATURAL GAS**
2. Details of Contractors

Sr. No	Names of Contractors	PAN/GSTIN/LIN Number	Mobile No. of Contractor	Email Id of Contractor	Nature of Work of the Contractor in which workman is employed or is to be employed
1	SOPAN O & M COMPANY PRIVATE LIMITED	08AAFCS9163C1Z9	7698006005	hemant@sopan.co.in	ELECTRO MECHANICAL FOR PALI DEPOT
2	SP CONSTRUCTION	08AMQPK6976R1ZO	9001092715	spconstor@rediffmail.com	CIVIL CONTRACT FOR PALI DEPOT
3	BAKSHI SECURITY & PERSONNEL SERVICES PRIVATE LTD	27AAACB3456A1Z7	9820129579	bakshi2001security@hotmail.com	SECURITY SERVICE AT PALI DEPOT

3. Maximum number of workmen to be employed through each contractor under the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (37 of 1970) on any day: **500**

4. Amount of Registration Fee: **INR 1500 ( Transaction Id : 2703200000348 )**

Remarks of Registering Officer: -

*a*  
**TRUE COPY**


399


eSign/DSC of Registering Officer  
D D Makwana (ALC(C))  
ALC Ajmer  
alc-ajmer-rj@nic.in

101

**Note:** This is an online Registration Certificate granted by CLC(C) office through Shram Suvidha Portal.


R.C. cancelled  
as per order 28/6/2022

  
रजिस्ट्रार अधिकारी  
अजमेर

  
TRUE COPY

Signature Not Verified

Digitally signed by User  
Date: 2020.04.23 16:37:31 IST



## APPLICATION FOR REGISTRATION OF EMPLOYMENTS EMPLOYING CONTRACT LABOUR

- 1 Name & location of the Establishment: Nayara Energy Limited & Green Field Rail Fed Petroleum Storage Depot at Village - Sawalpur, Grampanchayat - Chotila, Tahsil - Rohat, District - Pali, Near Kairla Railway Station, Rajasthan-306421
- 2 Postal address of the Establishment: Green Field Rail Fed Petroleum Storage Depot at Village - Sawalpur, Grampanchayat - Chotila, Tahsil - Rohat, District - Pali, Near Kairla Railway Station, Rajasthan-306421
- 3 Full name & address of the Principal Employer: Mr. Abnish Kumar Choudhary
- 4 Full name & address of the Manager or person responsible for the supervision & control of the establishment: Mr. Abnish Kumar Choudhary

5 Registration Number- CLRA/ALCAJMER/2020/R-1

6 Particulars of contractors &amp; contract labour

Sr. No.	Name & address of Contractor	Nature of work in which contract labour is employed on any day of the preceding 12 months	PAN/GSTIN/LIN Number	Mobile No. of contractor	Email id of contractor	No of workmen directly employed by principal employer	Maximum no. of contract labour expected to be employed on any day through each contractor	Estimated date of commencement of each contract work under contract	Estimated actual date of termination of employment of contract labour
1	2	3	4	5	6	7	7A	8	
1	Sopan O&M Co. Pvt. Ltd. B-1101, Mondal Heights, Near Wide Angle Cinema, ISCKON Cross Road, S G Highway, Ahmedabad-380015	Electro Mechanical contract for Pali Depot	08AAFGS9163C1Z9	7698006005	hemant@sopan.co.in	0	150	10-Jan-20	12-Jul-22
2	SP Construction, Basement B34 Akash Enclave, Devi Chitrangiri Colony Surya Nagar, Gopalpura Bypass Jaipur-302015	Civil contract for Pali Depot	08AMQPK6976R1Z0	9001092715	spconst67@rediffmail.com	0	100	10-Mar-20	23-May-23
3	Bhudev Prasad Contractor	Commissioning, Operations & Main	08ABHPP3975H1Z5	9759007231	bhdvprsd@gmail.com	0	40	12-Apr-22	28-Feb-23
4	ASCENT Electrification Engineers	O&M upkeppment of Electrical & Fire	24AAOFA2574R1ZU	9998973793	admin@ascentengrs.com	0	10	18-Apr-22	31-Jan-23
5	Pioneer Security Solutions Pvt.Ltd.	Security Services	24AAECP2104K1ZR	7621011131	kk.prasanna@pioneersecure.	0	40	01-Mar-22	28-Feb-25
6	Sohan Lal	Hiring of Vehicles for Pali depot	08AFNPL4951P1ZM	9680255183	sonumal601@gmail.com	0	5	01-Feb-22	31-Jan-25
7	Ninad Enterprises	Maintenance of Rly siding	22AAKFNS742Q1ZJ	9229289964	ninadenterprises@gmail.com	0	4	01-Jun-22	31-Mar-23
8	Shri Sonana Khehaji Enterprises	Horticultural Contract	08ALYPM2766L1ZA	9929917270	leelaram47270@gmail.com	0	0	01-Jun-22	31-Aug-22
9	Oriental Integrated Facility Management Private Limited	Food Catering Services	27AAKCS9232K1ZT	7016748402	umesh@orientalinterf.mgt.co	0	0	01-Jul-22	30-Jun-25

Particulars of treasury Receipt enclosed:

I hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge

Time &amp; Date of receipt of application with Treasury Receipt No and Date-

*P.C. Choudhary*  
*28/6/2022*

*10/7/22*  
 मंजीकरण अधिकारी

"True Copy"

Principal Employer Seal or Stamp

Officer of the Registering Office  
Signature of the Registering Office



Registered

Annexure- 1/39

File No: F(HSW)/Pali(Pali)/6817(1)/2022-2023/951-953

Date:- 29/06/2022

103

Unit Id : 100787

M/s NAYARA ENERGY LIMITED

NAYARA ENERGY LIMITED, 5TH FLOOR, JET AIRWAYS GODREJ BKC, PLOT NO  
C-68, G BLOCK, BANDRA KURLA COMPLEX, BANDRA EAST, MUMBAI

Tehsil:MUMBAI

District:MUMBAI

**Sub:-** Authorisation for operating a facility for Collection, Generation, Reception, Storage, Transport of Hazardous Wastes Under Hazardous and Other Waste (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016.

**Ref:-** Your application dated : 16/02/2022 received on 07/04/2022 and subsequent corresponde

**Sir**

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajeev Mahnot

Date: 2022.06.29 10:03:19 IST

Location:

- 1 Number of authorisation RPCB/HWM/2022/2023/44DF/HSW/13.
- 2 Application Number : 302862 dated : 16/02/2022 .

- 3 **HEAD INFRASTRUCTURE** of M/s NAYARA ENERGY LIMITED is hereby granted an authorisation based on the enclosed signed inspection report for Collection, Generation, Reception, Storage, Transport of Hazardous waste on the premises situated at ROHAT Tehsil: Rohat District: Pali.

Details of Authorization

SNo	Type of Hazardous waste	Category		Quantity/ Unit	Hazardous Waste Disposal Practice
		Sch	Code		
1	Oil filter	I	3.3	32.00 NOS./ANNUM	UCCI Udaipur
2	Oily sludge	I	3.3	2.00 KG PER ANNUM	UCCI Udaipur
3	Sludge and filters contaminated with oil	I	3.3	20.00 MT IN 5 YEARS	UCCI Udaipur
4	Contaminated cotton rags or other cleaning materials	I	33.2	300.00 KG/ANNUM	UCCI Udaipur
5	Used or spent oil	I	5.1	1000.00 LITRES/ANNUM	UCCI Udaipur

TRUE COPY





402  
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD  
4, Institutional Area, Jhalana Doongari, Jaipur-302 004  
Phone: 0141-5159600,5159695 Fax: 0141-5159697

104

Registered

File No: F(HSW)/Pali(Pali)/6817(1)/2022-2023/951-953


Date:- 29/06/2022

Unit Id : 100787

- 4 The authorisation shall be in force for period from 07/04/2022 to 31/03/2027 .

Signature Not Verified  
Digitally signed by Rajeev Mahnot  
Date: 2022.06.29 10:09:19 IST  
Reason: Self Attested  
Location:

TRUE COPY





Registered

File No: F(HSW)/Pali(Pali)/6817(1)/2022-2023/951-953


Date:- 29/06/2022


Unit Id : 100787

The authorisation is subject to the following general and specific conditions :

A. General conditions of Authorisation

1. The authorised person shall comply with the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 and the rules made thereunder.
2. The authorisation or its renewal shall be produced for inspection at the request of an officer authorised by the State Pollution Control Board.
3. The person authorised shall not rent, lease, store, or otherwise transport the hazardous and other wastes except what is permitted through the authorisation.  
Signature: Not Verified  
Digitally signed by Pooja Mahapatra  
Date: 2022.06.29 10:09:19 IST  
Reason: Self Attested  
Location:
4. Any unauthorised change in personnel, equipment or working conditions as mentioned in the application by the person authorised shall constitute a breach of his authorisation.
5. The person authorised shall implement Emergency Response Procedure (ERP) for which this authorisation is being granted considering all site specific possible scenarios such as spillages, leakages, fire etc. and their possible impacts and also carry out mock drill in this regard at regular interval of time;
6. The person authorised shall comply with the provisions outlined in the Central Pollution Control Board guidelines on "Implementing Liabilities for Environmental Damages due to Handling and Disposal of Hazardous Waste and Penalty"
7. It is the duty of the authorised person to take prior permission of the State Pollution Control Board to close down the facility.
8. The imported hazardous and other wastes shall be fully insured for transit as well as for any accidental occurrence and its clean-up operation.
9. The record of consumption and fate of the imported hazardous and other wastes shall be maintained.
10. The hazardous and other waste which gets generated during recycling or reuse or recovery or pre-processing or utilisation of imported hazardous or other wastes shall be treated and disposed

  
TRUE COPY





Registered

File No: F(HSW)/Pali(Pali)/6817(1)/2022-2023/951-953

Date:- 29/06/2022

Unit Id : 100787

of as per specific conditions of authorisation.

11. The importer or exporter shall bear the cost of import or export and mitigation of damages if any.

12. An application for the renewal of an authorisation shall be made as laid down under these Rules.

13. Any other conditions for compliance as per the Guidelines issued by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or Central Pollution Control Board from time to time.

14. Annual return shall be filed by June 30th for the period ensuring 31st March of the year.


B. Specific Conditions

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajeev Mahnot  
Date: 2022.06.29 10:09:19 IST  
Reason: I Attested  
Location:

- 5 That this authorisation shall cease to be valid & shall be liable to be revoked without any further notice in case of refusal/expiry of consent to operate under the provisions of Water(Prevention and Control of Pollution) Act,1974 and Air(Prevention and Control of Pollution)Act,1981 by the State Board.
- 6 That no recycling/ re-processing of the hazardous waste covered under schedule IV shall be carried out without prior authorization from Rajasthan State Pollution Control Board as recycler/ re-processor of hazardous waste under the rule 6 of the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016.
- 7 That no hazardous waste shall be utilised for co-processing as a supplementary resource or for energy recovery or after processing without prior and valid approval of Central Pollution Control Board under the rule 9 of the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016.
- 8 That in case of any expansion or change in process or product or change in mode/ practice of disposal of hazardous waste or its quantity, fresh authorization shall be obtained.
- 9 That the arrangements for transportation of the hazardous waste for disposal shall be done by the authorized/ dedicated vehicles only and any environmental damages during Transportation shall be borne by sender/ receiver whoever arranges the transportation.
- 10 The authorisation is subject to the conditions stated at Annexure "A" enclosed with the authorisation letter and the such conditions as may be specified in the Rules for the time being forced under the Environmental (Protection) Act, 1986.

R  
TRUE COPY





Registered


File No: F(HSW)/Pali(Pali)/6817(1)/2022-2023/951-953

Date:- 29/06/2022

Unit Id : 100787

- 11 The unit has to display and maintain the data online outside the factory main gate in Hindi & English both on a 6'X 4' display board in the manner & format prescribed at Annexure "B" and the report of the Compliance along with photograph shall be submitted to this office & Regional Office, time to time.
- 12 That the annual reports/returns in the form prescribed under the Rules shall be submitted to the State Board by 30th June of every year and records of hazardous waste/other waste generation, handling & management shall be maintained according to the provisions of the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and shown & submitted to the State Board as and when asked for.
- 13 The hazardous waste should not be stored for a period beyond 90 days, failing which the authorisation shall deemed to be revoked.
- 14 It shall be ensured that the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 is handled, managed & disposed of strictly in accordance with the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016. Non compliance of the Rules or any of the conditions contained in the authorisation shall be tantamount to automatic cancellation/revocation of the authorisation.  
Digitally signed by Rajeev Mahnot  
Date: 2022.06.29 10:09:40  
Reason: Self Attested
- 15 The operator of the facility shall liable to comply any other conditions as per the guidelines issued by the MoEF or CPCB or State Board related to generation, collection, reception, storage, transport, reuse, recycling, recovery, pre-processing, co-processing, utilisation, treatment, disposal of hazardous and other wastes.
- 16 That Authorisation is issued under the provisions of Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 from the environmental angle only, and does not absolve the project proponent from the other statutory obligations prescribed under any other law or any other instrument in force. The sole and complete responsibility, to comply with conditions laid down in all other for the time-being in force, rests with the industry/unit/project proponent.
- 17 That this Authorisation shall not, in any way, adversely affect or jeopardize the legal proceeding, if any, instituted in the past or that could be instituted against you by the State Board for violation of the provisions of the Act or the Rules made thereunder.

*A*  
**TRUE COPY**





Registered

File No: F(HSW)/Pali(Pali)/6817(1)/2022-2023/951-953

Date:- 29/06/2022

Unit Id : 100787

This bears the approval of the competent authority.

Yours sincerely,

Group Incharge


Copy To:-

- 1 Regional Officer, Regional Office, Rajasthan State Pollution Control Board Pali to ensure the compliance of consent conditions
- 2 Master File

Signature Not Verified  
Digitally signed by Rajeev Mahnot  
Date: 2022.06.28 10:09:19 IST  
Reason: Self Attested  
Location:

Group Incharge

R  
"True Copy"





**Head Office (HDF)**  
**407**  
**Rajasthan State Pollution Control Board**  
**4, Institutional Area, Jhalana Doongari, Jaipur-302 004**  
**Phone: 0141-5159600,5159695**



Annexure R/40

**File No :** F(HDF)/Pali(Pali)/4(1)/2022-2023/948-950  
**Order No :** 2022-2023/HDF/8989  
**Unit Id :** 100787

**Date:** Jun 29 2022 3:03PM

109

**M/s NAYARA ENERGY LIMITED**

**NAYARA ENERGY LIMITED, 5TH FLOOR, JET AIRWAYS  
GODREJ BKC, PLOT NO C-68, G BLOCK, BANDRA KURLA  
COMPLEX, BANDRA EAST, MUMBAI Tehsil:MUMBAI  
District:MUMBAI**

**Sub:** Consent to Operate under Section 25/26 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and under Section 21(4) of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981.  
**Ref:** Your application for Consent to Operate dated 07/04/2022 and subsequent correspondence.

Sir,


**Consent to Operate** under the provisions of Section 25/26 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 (hereinafter to be referred as the Water Act) and under Section 21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, (hereinafter to be referred as the Air Act) as amended to date and rules & the orders issued thereunder is hereby granted for your **Storage of petroleum product plant** situated at **ROHAT SAWAIPURA Tehsil:Rohat District:Pali**, Rajasthan, subject to the following conditions:-


- 1 That this Consent to Operate is valid for a period from **07/04/2022** to **31/03/2027**.
- 2 That this Consent is granted for manufacturing / producing following products / by products or carrying out the following activities or operation/processes or providing following services with capacities given below:

Particular	Signature Not Verified	
	Quantity with Unit	
Fire Fighting Engine	3.00 NOS.	Digitally signed by Raveev Mahnot Date: 2022.06.29 16:03:59 IST Reason: Self Attested Location: Activity

- 3 That this Consent to Operate is for existing plant, process & capacity and separate Consent to Establish/Operate is required to be taken for any addition / modification / alteration in process or change in capacity or change in fuel.
- 4 That the sources of air emissions along with pollution control measures and the emission standards for the prescribed parameters shall be as under:

Sources of Air Emissions	Pollution Control Measures	Prescribed	
		Parameter	Standard
Fire Fighting Engine( 3NOS.)	ADEQUATE STACK HEIGHT		

  
**TRUE COPY**





Head Office (HDF)  
**408**  
**Rajasthan State Pollution Control Board**  
4, Institutional Area, Jhalana Doongari, Jaipur-302 004  
Phone: 0141-5159600,5159695

110

Registered

File No : F(HDF)/Pal(Pal)/4(1)/2022-2023/948-950

Order No : 2022-2023/HDF/8989

Date: Jun 29 2022 3:03PM


Unit Id : 100787

		--	-
--	--	----	---

- 5 That this consent to operate is being issued for three fire fighting engine only mentioned at condition no. 2. The industry has to seek fresh consent to establish & operate for any change in product / by product/process/modification/alteration.
- 6 That the industry shall maintain adequate stack height with three fire fighting engines.
- 7 That water shall not be used in process and thus no trade effluent will be generated.
- 8 That no treated/untreated waste water (domestic & trade effluent) shall be discharged outside the factory premises in any case and complete zero discharge status shall be maintained.
- 9 That no additional source of Air/Water pollution shall be installed without prior consent to establish from the State Board.
- 10 That no waste as defined under Hazardous & Other Waste (Management & Transboundary Movement) Rules, 2016 shall be generated.
- 11 That the industry shall install & maintain adequately designed rain water harvesting structure for recharge of ground water in and around the area.
- 12 That the plantation of local species in the 33% of total area of the project shall be carried out & maintained.
- 13 That capital investment as per the C.A. certificate submitted by the unit is Rs. 99.0 lacs which includes the cost Plant & Machinery.
- 14 That the industry shall ensure compliance of all the conditions of consent to operate issued vide Board's order n<sup>o</sup> 2022/HDF/8884 date 09.02.2022 & consent to establish issued vide Board's order no.2021-22/HDF/8936 dated 23.03.2022.
- 15 That industry shall submit point wise compliance report on half yearly basis to the State Board.
- 16 That, notwithstanding anything provided hereinabove, the State Board shall have the power and reserves its right, as contained under Section 27(2) of the Water Act and under Section 21(6) of the Air Act to review anyone or all of the conditions imposed here in above and to make such variation as it deems fit for the purpose of Air Act & Water Act.

Signature Not Verified  
Digitally signed by Rajeev Manoj  
Date: 2022.06.29 12:03:59 IST  
Reason: Self Attested  
Location: [ ]

R  
**TRUE COPY**





Head Office (HDF)  
409  
**Rajasthan State Pollution Control Board**  
4, Institutional Area, Jhalana Doongari, Jaipur-302 004  
Phone: 0141-5159600,5159695

111

Registered

File No : F(HDF)/Pali(Pali)/4(1)/2022-2023/948-950

Order No : 2022-2023/HDF/8989


Date: Jun 29 2022 3:03PM

Unit Id : 100787

- 17 That the grant of this **Consent to Operate** is issued from the environmental angle only, and does not absolve the project proponent from the other statutory obligations prescribed under any other law or any other instrument in force. The sole and complete responsibility to comply with the conditions laid down in all other laws for the time-being in force, rests with the industry/ unit/ project proponent.
- 18 That the grant of this **Consent to Operate** shall not, in any way, adversely affect or jeopardize the legal proceeding, if any, instituted in the past or that could be instituted against you by the State Board for violation of the provisions of the Water Act and Air Act or the Rules made thereunder.
- 19 That the Project Proponent shall comply with provisions of the E-waste (Management) Rules, 2016 and ensure that e-waste generated by them is channelized through collection centre or dealer of authorized producer or dismantler or recycler or through designated take back service provider of the producer to authorized dismantler or recycler.
- 20 That the Project Proponent shall maintain record of e-waste generated by them in Form-2 and make such records available for scrutiny by the Board.
- 21 That the Project Proponent shall file annual returns in Form-3, to the Board on or before the 30th day of June following the financial year to which that return relates.
- 22 That the transportation of e-waste shall be carried out as per the manifest system whereby the transporter shall be required to carry a document (three copies) prepared by the sender, giving the details as per Form-6.
- 23 That the Project Proponent shall comply with provisions of the Batteries (Management and Handling) Rules, 2001 (as amended) Digitally signed by Rajeev Mahnot  
Date: 2022.06.29 14:35:59 IST  
Reason: Self Attested yearly returns (as bulk consumer, importer, auctioneer, recycler as the case may be) to the State Board as provided under Rule 10 (2) (ii) of the Battery (Management and Handling) Rules, 2001 (as amended). In case the Project Proponent is not a bulk consumer even then the used batteries shall be returned to the authorized dealers or recyclers only.
- 24 That the record of batteries purchased and sold/ returned to registered dealers and/ or authorized recyclers shall be maintained and made available to the officers of the Board during inspections.

This **Consent to Operate** shall also be subject, besides the aforesaid specific conditions, to the general conditions given in the enclosed Annexure. The Project Proponent will comply with the provisions of the **Water Act and Air Act** and to such other conditions as may, from time to time, be specified, by the State Board under the provisions of the aforesaid Act(s). Please note that, non compliance of any of the above stated conditions would tantamount to

A  
**TRUE COPY**





112

Head Office (HDF)  
410  
**Rajasthan State Pollution Control Board**  
4, Institutional Area, Jhalana Doongari, Jaipur-302 004  
Phone: 0141-5159600,5159695

**Registered**

**File No :** F(HDF)/Pali(Pali)/4(1)/2022-2023/948-950

**Order No :** 2022-2023/HDF/8989

**Date:** Jun 29 2022 3:03PM

**Unit Id :** 100787

revocation of **Consent to Operate** and Project Proponent / occupier shall be liable for legal action under the relevant provisions of the said Act(s).

This bears approval of the competent authority.

Yours sincerely,

Group Incharge[ HDF ]

**(A): Copy to:-**


- 1 Regional Officer, Regional Office, Rajasthan State Pollution Control Board, Pali to ensure the compliance of consent conditions
- 2 Master File.

Group Incharge[ HDF ]

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajeev Mahnot  
Date: 2022.06.29 15:03:59 IST  
Reason: Self Attested  
Location:

R  
"True Copy"



राजस्थान सरकार

## कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, सोजत सिटी जिला पाली

क्रमांक :- खअ/सोजत/एस.टी.पी./2022/

दिनांक :-

## कार्यालय आदेश

मैसर्स एन.एम.सी. इण्डस्ट्रिज प्रा.लि. निवासी- प्लॉट नं. 161, फोर्थ लेन दारुखाना, रे-रोड़, मुम्बई (महाराष्ट्र) ने श्रीमान प्रबन्धक, नायरा एनर्जी लिमिटेड, पता- खासभालिया, पोस्ट बोकस नम्बर-24 जिला देवभूमि द्वारका (गुजरात) के कार्यादेश क्रमांक 8300002481 दिनांक 13.02.2020 के द्वारा Construction contract for Railway Siding Works at Pali Depot, Pali (Rajasthan) के लिए राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 51 (9) (II) तथा नियम 74(I) के अनुसार निम्नानुसार रायल्टी पेड खनिज क्रय करने हेतु कार्य जारी किया गया है। मैसर्स एन.एम.सी. इण्डस्ट्रिज प्रा.लि. निवासी- प्लॉट नं. 161, फोर्थ लेन दारुखाना, रे-रोड़, मुम्बई (महाराष्ट्र) को श्रीमान प्रबन्धक, नायरा एनर्जी लिमिटेड, पता- खासभालिया, पोस्ट बोकस नम्बर-24 जिला देवभूमि द्वारका (गुजरात) द्वारा जारी उक्त कार्यादेश के सम्बन्ध में उपयोग में आने वाले खनिज साधारण मिट्टी एवं मुरम की अत्यावधि अनुमति राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियम 51 के तहत कार्यालय से प्राप्त की जाकर प्रयुक्त खनिज का कार्यालय में निम्नानुसार विवरण प्रस्तुत किया गया है।

एसटीपी संख्या/ दिनांक	एसटीपी में वर्णित मात्रा	खनिज	सर्वेदक द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड के अनुसार खनिज की मात्रा	अन्तर(-/+)	जमा राशि का विवरण				
					रायल्टी	परमिट फिस	डीएमएफटी	RSMET	टी.सी.एस.
93/2020	27000	सा.मिट्टी	88201.078	-1.078	198000	13700	10800	2160	2160
94/2020	27000	सा.मिट्टी			108000	13700	10800	2160	2160
95/2020	27000	सा.मिट्टी			108000	13700	10800	2160	2160
96/2020	7200	सा.मिट्टी			28800	3800	2880	576	576
97/2020	15000	मुरम	27026.216	+3373.784	375000	7600	37500	7500	7500
98/2020	15800	मुरम			395000	8000	39500	7900	7900

चूँकि सर्वेदक द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त रिकॉर्ड अनुसार उपरोक्त अनुमति पत्रों में वर्णित मात्रा एवं सर्वेदक द्वारा उपयोगित मात्रा अनुसार उपरोक्त एस.टी.पी. में कोई राशि बकाया नहीं है। यह पत्र केवल उक्त रायल्टी पेड खनिज मात्रा के लिए जारी किया गया है। तथा यह निर्धारण केवल इस मात्रा के लिए है। यह पत्र उक्त प्रोजेक्ट के पूर्ण होने पर श्रीमान प्रबन्धक, नायरा एनर्जी लिमिटेड से जारी होने वाले संयुक्त अंतिम खनिज उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर पूरे प्रोजेक्ट के अंतिम अधिशुल्क निर्धारण के अधधीन रहेगा। यह पत्र इस निर्माण कार्य में प्रयुक्त अन्य खनिजों के लिए मान्य नहीं है तथा इस खनिज मात्रा के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजनार्थ यह पत्र मान्य नहीं होगा।

खनि अभियन्ता  
सोजत सिटी

दिनांक 01/12/2022

क्रमांक :- सम/1047

प्रतिलिपि :- 1. मैसर्स एन.एम.सी. इण्डस्ट्रिज प्रा.लि. निवासी- प्लॉट नं. 161, फोर्थ लेन दारुखाना, रे-रोड़, मुम्बई को प्रार्थना पत्र दिनांक 19.05.2022 के क्रम में।  
2. प्रबन्धक, नायरा एनर्जी लिमिटेड, पता- खासभालिया, पोस्ट बोकस नम्बर-24 जिला देवभूमि द्वारका (गुजरात) को भेजकर लेख है कि मैसर्स एन.एम.सी. इण्डस्ट्रिज प्रा.लि. द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार राशि जमा करवाई जा चुकी है। अतः सर्वेदक कम्पनी मैसर्स एन.एम.सी. इण्डस्ट्रिज प्रा.लि. को अंतिम बिल का भुगतान किया जाता है तो इस कार्यालय को आपत्ति नहीं है।

खनि अभियन्ता  
सोजत सिटी

4 True Copy

राजस्थान सरकार

## कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं मू-विज्ञान विभाग, सोजत सिटी जिला पाली

क्रमांक :- खअ/सोजत/एस.टी.पी./2022/

दिनांक :-

## कार्यालय आदेश

मैसर्स एस.पी. कन्सल्टेशन, निवासी- 8वीं, साउथ पार्ट, गोपालपुरा जयपुर राजस्थान ने श्रीमान प्रबन्धक, नायरा एनर्जी लिमिटेड, पता- खाम्नालिया, पोस्ट बॉक्स नम्बर-24 जिला देवगुमि द्वारका (गुजरात) के कार्यदिश क्रमांक 6300002403 दिनांक 13.11.2019 को द्वारा Civil Construction contract for petroleum Depot at Pali के लिए राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 51 (9) (ii) तथा नियम 74(ii) के अनुसार निम्नानुसार रायल्टी पेड खनिज क्रय करने हेतु कार्य जारी किया गया है। मैसर्स एस.पी. कन्सल्टेशन, निवासी- 8वीं, साउथ पार्ट, गोपालपुरा जयपुर राजस्थान को श्रीमान प्रबन्धक, नायरा एनर्जी लिमिटेड, पता- खाम्नालिया, पोस्ट बॉक्स नम्बर-24 जिला देवगुमि द्वारका (गुजरात) द्वारा जारी उक्त कार्यदिश के संदर्भ में उपयोग में आने वाले खनिज साधारण मिट्टी एवं पुरम की अत्यावधि अनुमति राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियम 51 के तहत कार्यालय से प्राप्त की जाकर प्रयुक्त खनिज का कार्यालय में निम्नानुसार विवरण प्रस्तुत किया गया है।

एसटीपी संख्या / दिनांक	एसटीपी में वर्णित मात्रा	खनिज	संवेदक द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड के अनुसार खनिज की मात्रा	अन्तर(-/+)	जमा राशि का विवरण				
					रायल्टी	परमिट फिस	डीएमएफटी	RSMET	टी.सी.एस.
66/2020	25000	सा.मिट्टी	65742.07	-	100000	12600	10000	2000	2000
67/2020	26000	सा.मिट्टी			104000	13100	10400	2080	2080
68/2020	26000	सा.मिट्टी			104000	13100	10400	2080	2080
57/2021	20000	पुरम	19230.08	-	500000	10000	50000	10000	10000

चूंकि संवेदक द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त रिकॉर्ड अनुसार उपरोक्त अनुमति पत्रों में वर्णित मात्रा एवं संवेदक द्वारा उपयोगित मात्रा अनुसार उपरोक्त एस.टी.पी. में कोई राशि बकाया नहीं है। यह पत्र केवल उक्त रायल्टी पेड खनिज मात्रा के लिए जारी किया गया है। तथा यह निर्धारण केवल इस मात्रा के लिए है। यह पत्र उक्त प्रोजेक्ट के पूर्ण होने पर श्रीमान प्रबन्धक, नायरा एनर्जी लिमिटेड से जारी होने वाले संयुक्त अंतिम खनिज उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर पूरे प्रोजेक्ट के अंतिम अधिशुल्क निर्धारण के अधीन रहेगा। यह पत्र इस निर्माण कार्य में प्रयुक्त अन्य खनिजों के लिए मान्य नहीं है तथा इस खनिज मात्रा के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजनार्थ यह पत्र मान्य नहीं होगा।

खनि अभियन्ता  
सोजत सिटी

दिनांक 09/12/2022

क्रमांक :- सम/1202

प्रतिलिपि :- 1. मैसर्स एस.पी. कन्सल्टेशन, निवासी- 8वीं, साउथ पार्ट, गोपालपुरा जयपुर राजस्थान के प्रार्थना पत्र दिनांक 02.12.2022 के क्रम में।

2. प्रबन्धक, नायरा एनर्जी लिमिटेड, पता- खाम्नालिया, पोस्ट बॉक्स नम्बर-24 जिला देवगुमि द्वारका (गुजरात) को भेजकर लेख है कि मैसर्स एस.पी. कन्सल्टेशन, निवासी- 8वीं, साउथ पार्ट, गोपालपुरा जयपुर राजस्थान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार राशि जमा करवाई जा चुकी है। अतः संवेदक कम्पनी मैसर्स एस.पी. कन्सल्टेशन को अंतिम बिल का भुगतान किया जाता है तो इस कार्यालय को आपत्ति नहीं है।

खनि अभियन्ता  
सोजत सिटी

TRUE COPY

राजस्थान सरकार

## कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, सोजत सिटी जिला पाली

क्रमांक - खअ/सोजत/एसटीपी/2022/

दिनांक -

## कार्यालय आदेश

मैसर्स एस.पी. कन्सल्टन्स, निवासी- 8बी, साउथ पार्ट, गोपालपुरा जयपुर राजस्थान ने श्रीमान प्रबन्धक, नायरा एनर्जी लिमिटेड, पता- खामभालिया, पोस्ट बोकस नम्बर-24 जिला देवभूमि द्वारका (गुजरात) के कार्यादेश क्रमांक 6390082403 दिनांक 13.11.2019 के द्वारा Civil Construction contract for petroleum Depot at Pali के लिए राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 51 (g) (i) तथा नियम 74(i) के अनुसार निम्नानुसार रायल्टी पेड खनिज क्रय करने हेतु कार्य जारी किया गया है। मैसर्स एस.पी. कन्सल्टन्स, निवासी- 8बी, साउथ पार्ट, गोपालपुरा जयपुर राजस्थान को श्रीमान प्रबन्धक, नायरा एनर्जी लिमिटेड, पता- खामभालिया, पोस्ट बोकस नम्बर-24 जिला देवभूमि द्वारका (गुजरात) द्वारा जारी उक्त कार्यादेश के सन्दर्भ में उपरोक्त में आने वाले खनिज साधारण मिट्टी एवं सुरंग की अल्पावधि अनुमति राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियम 51 के तहत कार्यालय से प्राप्त की जाकर प्रयुक्त खनिज का कार्यालय में निम्नानुसार विवरण प्रस्तुत किया गया है।

एसटीपी संख्या/ दिनांक	एसटीपी में वर्णित मात्रा	खनिज	सर्वेदक द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड के अनुसार खनिज की मात्रा	अन्तर(-/+)	जमा राशि का विवरण				
					रायल्टी	परमिट फिस	डीएमएफटी	RSMET	टीसीएस.
66/2020	25000	सा.मिट्टी	66742.07	-	100000	12500	10000	2000	2000
67/2020	26000	सा.मिट्टी			104000	13100	10400	2080	2080
68/2020	28000	सा.मिट्टी			104000	13100	10400	2080	2080
57/2021	20000	सुरंग	19230.06	-	500000	10000	50000	10000	10000

चूंकि सर्वेदक द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त रिकॉर्ड अनुसार उपरोक्त अनुमति पत्रों में वर्णित मात्रा एवं सर्वेदक द्वारा उपयोगित मात्रा अनुसार उपरोक्त एसटीपी में कोई राशि बकाया नहीं है। यह पत्र केवल उक्त रायल्टी पेड खनिज मात्रा के लिए जारी किया गया है। तथा यह निर्धारण केवल इस मात्रा के लिए है। यह पत्र उक्त प्रोजेक्ट के पूर्ण होने पर श्रीमान प्रबन्धक, नायरा एनर्जी लिमिटेड से जारी होने वाले संयुक्त अंतिम खनिज उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर पूरे प्रोजेक्ट के अंतिम अधिशुल्क निर्धारण के अधीन रहेगा। यह पत्र इस निर्माण कार्य में प्रयुक्त अन्य खनिजों के लिए मान्य नहीं है तथा इस खनिज मात्रा के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजनार्थ यह पत्र मान्य नहीं होगा।

खनि अभियन्ता  
सोजत सिटी

दिनांक 02.12.2022

क्रमांक - सम/ [20]

प्रतिविधि

1. मैसर्स एस.पी. कन्सल्टन्स, निवासी- 8बी, साउथ पार्ट, गोपालपुरा जयपुर राजस्थान के प्रार्थना पत्र दिनांक 02.12.2022 के क्रम में।
2. प्रबन्धक, नायरा एनर्जी लिमिटेड, पता- खामभालिया, पोस्ट बोकस नम्बर-24 जिला देवभूमि द्वारका (गुजरात) को भेजकर लेख है कि मैसर्स एस.पी. कन्सल्टन्स, निवासी- 8बी, साउथ पार्ट, गोपालपुरा जयपुर राजस्थान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार राशि जमा करवाई जा चुकी है। अतः सर्वेदक कंपनी मैसर्स एस.पी. कन्सल्टन्स को अन्तिम बिल का भुगतान किया जाता है तो इस कार्यालय को आपत्ति नहीं है।

खनि अभियन्ता  
सोजत सिटी

AJ  
"True Copy"

**कार्यालय अधिशाषी अभियंता, सा० नि० वि०, खण्ड, पाली**

116

क्रमांक :- अअपा/तक.सहा./22-23/ 3791

दिनांक :- 30/12/2022

श्रीमान प्रभारी अधिकारी (न्याय शाखा)

कलेक्ट्रेट, पाली(राज.)

विषय :- प्रार्थना पत्र द्वारा नायरा एनर्जी लि. को ग्राम सवाईपुरा तह. रोहट स्थापित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में जाँच करने हेतु।

प्रसंग:- आपका पत्रांक:एफ.21(10)(18)न्याय/2020/77259-65 दिनांक:31/08/2020, इस कार्यालय के पूर्व पत्रांक:अअपा/तक.सहा./2021-22/924 दिनांक:04-08-2021, नायरा एनर्जी के आवेदन स.Nayra/Pali-Depot/PWD-001 Dt:-26-12-2022।

महोदयजी

प्रार्थना पत्र द्वारा नायरा एनर्जी लि.को पेट्रोलियम रूल्स 2020 के अन्तर्गत में ग्राम सवाईपुरा तह. रोहट के खसरा .278/2,273/19,273/4,272,279/23,276, 276/1,276/2,277/1,279/35, 277,279/27, 273/17, 278/1, 279/16,279/4,279/28,279/38 एव 279/24 कुल रकबा 234797.35 वर्ग मीटर पर पेट्रोलियम क्लास "ए" में 8000 कि.ली. एव पेट्रोलियम क्लास "बी" में 21090 कि.ली. पेट्रोलियम पदार्थ के क्रय/संग्रहण/विक्रय हेतु रेल फेड पेट्रोलियम स्टोरेज स्थापित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में निवेदन किया गया था।

नायरा एनर्जी द्वारा प्रस्तुत ट्रको की संख्या एव वर्तमान में इस सड़क पर चल रहे यातायात की तीन दिन की गणना के अनुसार सड़क की वर्तमान चौड़ाई 3.00/3.75 मी है, जिसको 3.00/3.75 मी. से 7.00 मी. चौड़ाईकरण एव सुदृढीकरण की आवश्यकता व्यक्त की गई थी।

इस हेतु इस कार्यालय द्वारा उचित माध्यम से चौड़ाईकरण एव सुदृढीकरण का प्रस्ताव एव मार्गदर्शन हेतु श्रीमान् मुख्य अभियन्ता सा.नि.वि. राज. जयपुर को प्रस्तुत किया गया। उक्त के संदर्भ में श्रीमान् मुख्य अभियन्ता सा. नि.वि. राज. जयपुर के पत्रांक:एफ7(3)/अनु-2/2021/डी-42 दिनांक:-14/07/2021 के निर्देशानुसार सड़क घूमटी मोरिया सड़क (ODR) (km 0/0 at Ghoomti to Nayra Energy Depot, Sawaipura km 8/600) निर्माण का चौड़ाईकरण एव सुदृढीकरण, नायरा एनर्जी लि. ग्राम सवाईपुरा तह. रोहट द्वारा किया जाएगा इस हेतु अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड पाली एव श्री अरुनीश कुमार चौधरी, साईट इंजीनियर नायरा एनर्जी लि. के मध्य समझौता/ अनुबन्ध किया गया था एव सशर्त इस कार्यालय के प्रासंगिक पत्रांक द्वारा अंतरिम अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया था।

अतः अब समझौता/अनुबन्ध अनुसार उक्त सड़क निर्माण चौड़ाईकरण एव सुदृढीकरण का कार्य नायरा एनर्जी लि. को ग्राम सवाईपुरा तह. रोहट द्वारा किये जाने के फलस्वरूप पेट्रोलियम पदार्थ के क्रय/संग्रहण/विक्रय हेतु रेल फेड पेट्रोलियम स्टोरेज स्थापित करने हेतु अंतिम (Final) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने की अनुरोध की जाती है।

कृपया अंतिम (Final) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का प्रयत्न करें।



(दिलीप परिहार)

अधिशाषी अभियंता

सा० नि० वि० खण्ड, पाली (राज.)

क्रमांक :- अअपा/तक.सहा./21-22/

दिनांक :-

प्रतिलिपि श्री अरुनीश कुमार चौधरी पुत्र श्री मनिकांत चौधरी प्रोजेक्ट मैनेजर, नायरा एनर्जी लि, ग्राम सवाईपुरा को सूचनार्थ प्रेषित है।

(दिलीप परिहार)

अधिशाषी अभियंता

सा० नि० वि० खण्ड, पाली (राज.)

u True Copy

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL  
BENCH, NEW DELHI  
IN ORIGINAL APPLICATION NO.539/2022**

**IN THE MATTER OF:**

OMARAM BANJARA

...Applicant

Versus

STATE OF RAJASTHAN & OTHERS

...Respondents

(herein after called the advocate/s) to be my/our Advocate in the above noted case authorize him:

To act, appears and plead in the above-noted case in this Court or in any other Court in which the same may be tried or heard and also in the appellate Court including High Court subject to payment of fees separately for each Court by me/us.

To sign, file, verify and present pleadings, appeals, cross-objections or petitions, for executions review revision, withdrawal, compromise or other petitions, or affidavits or other documents as may be deemed necessary or proper for the prosecution of the said case in all its stage subjects to payment of fees of each stage.

To withdraw or compromise the said case or submit to arbitration any differences or disputes that may arises touching or in any manner relating to the said case.

To deposit, draw and receive monthly cheques, cash and grant receipts thereof and to do all other acts and things which may be necessary to be done for the progress and in the course of the prosecution of the said case.

To appoint and instruct any other Legal Practitioners authorizing him to exercise the power and authority hereby conferred upon the Advocate whenever he may thing fit to do so and to sign the power of attorney on our behalf.

And I/We the undersigned do hereby agree to ratify and confirm all acts done by the Advocate or his substitute in the matter as my/our own acts, as if done by me/us to all intents and proposes.

And I/We undertake that I/We or my/our duly authorised agent would appear in Court on all hearings and will inform the Advocate for appearance when the case is called.

And I/We undersigned do hereby agree not to hold the advocate or his substitute responsible for the result of the said case. The adjournment costs whenever ordered by the Court shall be of the Advocate which he shall receive and retain for himself.



And I/We the undersigned to hereby agreed that in the event of the whole or part of the fee agreed by me/us to be paid to the advocate remaining unpaid he shall be entitled to withdraw from the prosecution of the said case until the same is paid up. The fee settled is only for the above case and above Court. I/We hereby agree that once fee is paid, I/We will not be entitled for the refund of the same in any case whatsoever and if the case prolongs for more than 3 years the original fee shall be paid again by me/us.

In witness whereof I/We do hereunto set my/our hand to these presents the contents of which have been understood by me/us on this 23<sup>rd</sup> day of March, 2023

Accepted subject to the terms of the fees.

Advocate for the Respondent no.5

Advocate

**SANCHIT GARGA**

Advocate-on-Record  
Supreme Court of India

Off: E-8, First Floor, Jangpura Extn.  
New Delhi-110014, Mob.: 8506812719  
E-mail: sanchitgarg99@gmail.com  
Code No. 274A

Client  
(RANKAJ TRIPATHI)





## LETTER OF AUTHORITY

I, B. Anand, Chief Executive Officer of Nayara Energy Limited formerly known as Essar Oil Limited ("the Company"), in exercise of the authority granted by the Board of Directors of the Company vide resolution passed at its meeting held on 19<sup>th</sup> August, 2017 hereby authorise **Mr. Pankaj Tripathi, Deputy General Manager – Legal** of the Company having its office at World Trade Tower, 1105-06, 11<sup>th</sup> Floor, Sector-16, Noida – 201 301 Uttar Pradesh in connection with all legal matters and proceedings filed, to be filed by or against the company, to do the following in the name of the Company :-


1. To sign, verify, file, execute, declare and affirm all plaints, appeals, written statements, defences, applications, undertakings, complaints, petitions, affidavits, vakalatnama and other necessary documents as the case may be.
2. To appoint / engage advocate (s) for appearance and representation on behalf of the Company.
3. To appear before any Court of law including High Courts and Supreme Court, Arbitrator (s) and Consumer Disputes Redressal Forum/ Commissions, Regulatory Bodies, Stock Exchanges(s), Securities and Exchange Board of India, all Tribunal(s)/Appellate Tribunals, Reserve Bank Of India or any other such Authority, and for that matter to appear before any Judge, Magistrate, Judicial Authority or any officer / authority empowered by Law, to hear any suit, complaints or proceedings or any inquiry wherein the Company may be a party and for that purpose to give evidence and to accept and acknowledge the service of any Writ, Notice, Application, Summons, intimation of judicial process for and on behalf of the Company and do all other acts, deeds, matters and things in respect of matters relating to the above.

This authority shall, unless revoked earlier, stand revoked on cessation of the employment of Mr. Pankaj Tripathi in the Company.

A certified copy of the extract of the resolution giving authority to the undersigned, the Chief Executive Officer of the Company, passed at the meeting of the Board of Directors of the Company held on 19<sup>th</sup> August, 2017 is enclosed.

Dated this 16<sup>th</sup> July, 2018

For Nayara Energy Limited  
Formerly known as Essar Oil Limited

  
B. Anand  
Chief Executive Officer

  
**TRUE COPY**

Encl.: As above

Nayara Energy Limited (Formerly Essar Oil Limited)  
4<sup>th</sup> Floor, Tower 2, Equinox Business Park, Off Bandra Kurla Complex,  
L.B.S. Marg, Kurla (W), Mumbai 400 070, India

T +91 22 7132 1010 | F +91 22 6708 2177  
E corporate@nayaraenergy.com

Registered Office:  
Khambhalia, Post Box No.24, Dist. Devbhumi Dwarka, Gujarat 361 305, India  
T +91 2833 661444 | F +91 2833 662929

CIN: U11100GJ1989PLC032116  
www.nayaraenergy.com

July 27, 2018



**EXTRACT OF THE RESOLUTION PASSED BY THE  
BOARD OF DIRECTORS OF NAYARA ENERGY LIMITED  
AT ITS 190<sup>TH</sup> MEETING HELD ON AUGUST 19, 2017**

**“RESOLVED THAT** pursuant to Section 179 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013, the Board of Directors of the Company hereby delegates the following powers in favour of the Chief Executive Officer of the Company, subject the limits and conditions as set out in the Governance Manual:

- is responsible for the day to day administration, general conduct, supervision and management of the routine business and affairs of the Company and shall exercise such powers and perform such acts, deeds and things as may be necessary and expedient for the business of the Company, subject to those matters which are reserved for decision by the Board;
- To institute, conduct, defend, compound, refer to arbitration or abandon any legal or other proceedings by or against the Company or its officers or otherwise concerning the affairs of the Company,
  - a. That relate to the crude oil procurement and product trading (including logistics) - to amount not exceeding per unrelated transaction (a) upto ₹900 crore (b) exceeding ₹900 crore and upto ₹3,000 crore with the concurrence of Management Board.
  - b. That relate to investment projects and budgeted capital expenditures – to amount per unrelated transaction (a) upto ₹6 crore and (b) exceeding ₹6 crore and upto ₹600 crore with the concurrence of the Management Board;
  - c. That relate to other deals – to amount per unrelated transaction (a) upto ₹18 crore and (b) exceeding ₹18 crore and upto ₹300 crore with the concurrence of the Management Board;
 and to authorise any Solicitors, Advocates and Counsels to appear in this regard before any legal authority and pay their remuneration, file necessary affidavits, petitions, undertakings, papers, reply, receipt and other documents and also to compound and allow time for payment or satisfaction of any debts due and of any claims or demands by or against the Company and to refer any dispute between the Company and any other persons to arbitration, do any act deed or thing or authorise to do any act deed or thing that may be necessary to give effect to the institution or defending of any legal suit or proceeding and observe and perform or enforce any awards made thereon;
- To engage consultants and experts as may be required to amount per unrelated transaction (a) upto ₹18 crore and (b) exceeding ₹18 crore and upto ₹300 crore with the concurrence of the Management Committee;
- To delegate authority to the executives, officers and employees of the Company and any other person or persons working for or on behalf of the Company and to grant powers of attorney in their favour wherever necessary in order to carry out efficiently and effectively the performance of the duties;

**CERTIFIED TRUE COPY  
for NAYARA ENERGY LIMITED**

**Mayank Bhargava  
Company Secretary**

**TRUE COPY**

Purpose: For delegation of authority to executives and employees to sign documents to appoint advocates and represent the Company before Courts and other regulatory authorities.

Nayara Energy Limited (Formerly Essar Oil Limited)  
4<sup>th</sup> Floor, Tower 2, Equinox Business Park, Off Bandra Kurla Complex,  
L.B.S. Marg, Kurla (W), Mumbai 400 070, India

T +91 22 7132 1010 | F +91 22 6708 2177  
E CompanySec@nayaraenergy.com

Registered Office:  
Khambhalia, Post Box No.24, Dist. Devbhumi Dwarka, Gujarat 361 305, India  
T +91 2833 661444 | F +91 2833 662929

CIN: U11100GJ1989PLC032116  
www.nayaraenergy.com